खण्ड-188, अंक-3
गुरूवार, 28 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(19 सितम्बर, 1957 ई0)

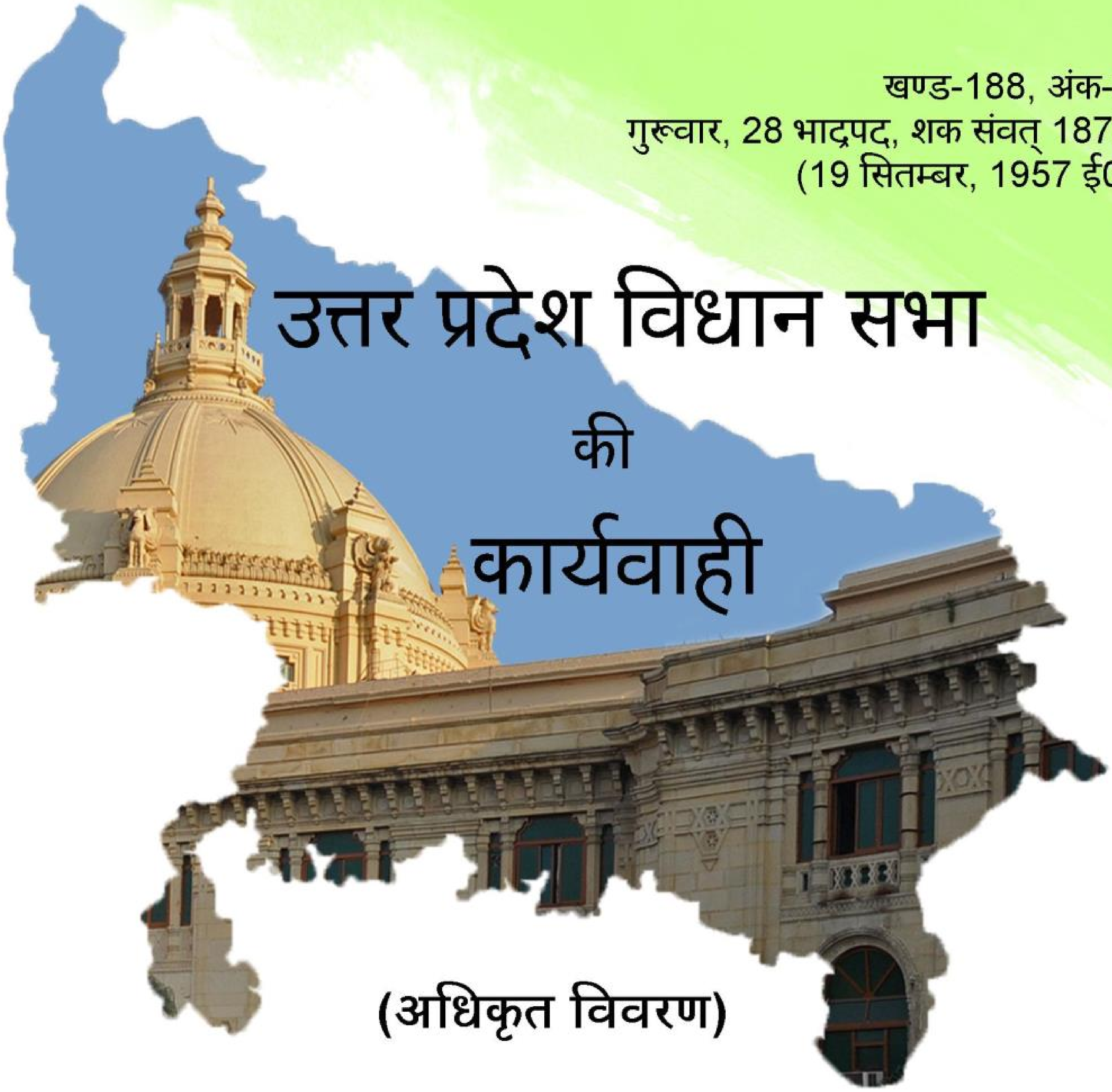

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 188 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला बोर्डों के चुनाव न कराये जाने के सबन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित)	२०७
किरावली और खैरागढ़ तहसीलों की बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना ..	२०७
पश्चिमी जिलों की बाढ़ के विषय पर विवादार्थ समय निर्धारण के लिये प्रार्थना	२०७–२०८
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	२०८
उत्तर प्रदेश राज्य-शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये निर्वाचित सदस्य	२०९
आगामी बैठक के सम्बन्ध में जानकारी	२१०
प्रश्न ९४–९५ के उत्तरों के सम्बन्ध में श्री गेंदासिंह द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	२१०
कानपुर में पकड़े गये पदार्थों के सम्बन्ध में जानकारी ..	२१०
आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव	२१०–२११
उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९५७	२११–२५३
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए नामांकन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के फल की घोषणा	२५३
श्रमजीवी पत्रकार तथ प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में विवाद ..	२५४–२७१
नत्थियां	२७२–२९६

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९ सितम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्मा राम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजान सिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगा धर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंद सहाय, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोदीलाल, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरी दीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रताप बहादुरसिंह, श्री
प्रताप भानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल, वैद्य
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री, उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री

रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री]
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री]
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री]
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथ बहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरिदत्त काण्ड

हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

तीन स्थायी समितियों तथा अपराध निरोधक केन्द्रीय समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—पहले मैं एक सूचना देना आवश्यक समझता हूं। तीन स्थायी समितियों तथा अपराध निरोधक केंद्रीय समिति के निर्वाचन के लिये आज ११ बजे से ३ बजे तक का समय था, किन्तु प्रेस से शलाका-पत्र यानी बैलेट पेपर्स छपकर अभीतक नहीं आ पाये हैं। लगभग १२ बजे प्राप्त होंगे। अतएव माननीय सदस्यों को यह सूचना दे रहा हूं कि मतदान का समय आज १ बजे से ५ बजे तक ४ घंटे रहेगा। बजाय ११ बजे से ३ बजे तक के, १ बजे से ५ बजे तक का समय रहेगा।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १९ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विक्टोरिया पार्क चौक, लखनऊ से शरणार्थियों की दूकानों को हटाना

**१—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ नगर स्थित विक्टोरिया पार्क चौक का कुछ भाग निकाल कर सड़क में मिलाया जा रहा है और मकान बनाने के लिये प्लाट बनाये जा रहे हैं?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां।

**२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ शरणार्थियों ने इस स्थान पर अपनी दूकानें लगा ली थीं, उनके लिये कोई अन्य स्थान तय किया गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उनको भूमि दी जायगी, यह तय हो गया है। जिस स्थान पर दी जायगी उसका निर्णय भी शीघ्र हो जायगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भूमि उन को हटाने के कब्ल दी जायगी या हटाने के बाद?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह दोनों स्थितियां हो सकती हैं। कोशिश यह की जायगी कि हटाने के पहले दी जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भूमि उनको शहर में दी जायगी अथवा किसी निर्जन स्थान में भी दी जा सकती है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर शहर के बाहर जमीन देने से काम चल सकेगा तो वहां भी दी जा सकती है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर के महत्व को देखते हुये वह पार्क की जमीन किसी दूसरे काम में नहीं लगायेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लखनऊ शहर का हित और पार्क का ख्याल रख कर ही यह प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने शरणार्थियों को वहां से हटा कर जमीन दी जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संख्या तो इस समय मेरे सामने नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह इन जमीनों को रिआयती किराये पर देने का विचार कर रही है अथवा उन से वही किराया लिया जायगा जो होगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोशिश यह की जायगी कि किराया उनकी गुंजाइश के अन्दर ही हो। बाकी यह समझा जाता है कि अगर जमीन की कमी पड़ी और उनको ज्यादा किराया देना पड़ा तो वह भी दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि अभी तक वह जहां थे वहां किराया नहीं देते थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उस समय वह तकलीफ में थे। अब तो उन को वहां १० साल के करीब हो गये हैं, काफी उनकी स्थिति सुधर चुकी है और वैसी स्थिति नहीं है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—जिन दूकानदारों को वहां से हटा कर दूसरी जगह बसाया जायगा उन को नयी जगह उनकी मरजी से दी जायगी अथवा सरकार अपने आप ही उनके लिये स्थान नियत कर देगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उनकी मरजी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख कर यह प्रबन्ध किया जा रहा है।

आगरा जिले की किरावली तथा खैरागढ़ तहसीलों में मलेरिया आदि बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था

**३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री आगरा जिले की तहसील किरावली और खैरागढ़ के लगभग २०० ग्रामों के निवासियों को जो अतिवृष्टि से पीड़ित होने के कारण मलेरिया आदि बीमारियों के शिकार हो रहे हैं अविलम्ब चिकित्सा सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जी हां। इन स्थानों पर मलेरिया तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रबन्ध किस तारीख को किया गया और इस स्थिति की सूचना उन्हें कब मिली?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—तारीख बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्तजाम हमारा काफी दिनों से चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या इस बीमारी से कोई मृत्यु भी हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भगवान् की दया से कोई मृत्यु नहीं हुई।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सहायता पहुंचायी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐन्टी मलेरिया मेजर लिये गये। डी०डी० टी० का छिड़काव हुआ। मेडिकल आफिसर वहां पर मुकर्रर किये गये। सेनीटरी इन्सपेक्टर, वैद्य वहां भेजे गये हैं। मजदूरों को रखा गया है जो डी०डी०टी० का छिड़काव करते हैं। दवाइयों की सहायता भी दी गयी है, सिविलसर्जन दौरा कर रहे हैं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्हें मेरा ६ अगस्त का कोई पत्र इस संबंध में मिला था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इस समय याद नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२९ जुलाई, १९५७ के लिये अल्प सूचित प्रश्न के रूप में निर्धारित किये गये और सरकार द्वारा अल्प-सूचना पर उत्तर न प्राप्त होने पर पुनः २४ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ८-१० के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले में कुएं निर्माण हेतु स्वीकृत सब्सिडी का दुरुपयोग

*४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या यह सच है कि सन् १९५४-५५ के बजट में शाहजहांपुर जिले में सिंचाई के वास्ते कुआं बनाने के लिये ७५,००० रु० बतौर सब्सिडी देने के लिये स्वीकार किये गये थे?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां।

*५—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार सदन की मेज पर उन व्यक्तियों की सूची रखने की कृपा करेगी जिनको उपर्युक्त बजट प्रावीजन के अन्तर्गत सब्सिडी दी गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७२-२७४ पर)

*६—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि आडीटर लोगों ने जांच के समय उपर्युक्त ७५,००० रु० की ग्रांट के वितरण की व्यवस्था तथा आंकड़ों पर एतराज किया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रकम के बारे में कोई जांच अब तक की है या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। आडीटर्स ने जांच के समय उपरोक्त ७५,००० रु० के अनुदान में से जो २१,५७५ रु० ६ आ० ६ पाई जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा वितरण किया गया था उस पर आपत्ति की थी। इस संबंध में धन वसूली के हेतु कार्यवाही की जा रही है। कृषि विभाग के ३ सहायक कृषि निरीक्षकों को दंडित किया जा चुका है तथा एक कामदार को दंड देने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इस संबंध में अभी वसूली के हेतु कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक उस कार्यवाही का कोई परिणाम रहा है, कोई धन वसूल हुआ है या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यदि परिणाम हुआ होता तो आपको बता दिया जाता। अभी कार्यवाही जारी है।

श्री देवनारायण भारतीय---सरकार ने बतलाया कि ३ सहायक कृषि निरीक्षकों को दंडित किया जा चुका है और एक कामदार के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उन ३ सहायक कृषि निरीक्षकों को क्या दंड दिया गया है और उस कामदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कामदार ससपेंडेड है और तीन में से एक बीच में ही इस्तीफा देकर चला गया। बाकी दो के खिलाफ ऐडवर्स एन्ट्री हो गयी है और उनको ससपेंडेड पीरियड की आधी तनख्वाह मिलती रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आडिटर का एतराज क्या था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उसमें यह था कि कुछ उनको ऐसा शक पैदा हुआ कि जो कुंआ बना है उसके लिये उनका स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है। कुछ छोटा या बड़ा बतलाया गया। कुछ पुराना कुंआ है उसको थोड़ा बहुत लीपपोत दिया गया है। इस तरह की शिकायत थी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७५,००० की सब्सिडी में कितने कुंए तैयार हुए?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसकी सूची संलग्न है। कार्यवाही इसीलिये की जा रही है कि पूरा काम नहीं हुआ है।

श्री देवनारायण भारतीय---कृषि विभाग द्वारा जो २१,००० रुपया सब्सिडी में बांटा गया उसके अलावा ७५,००० रुपये में से जो रकम बची, क्या उसका भी प्लानिंग आफिसर द्वारा वैसा ही दुरुपयोग हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके विषय में सरकार को सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जो कर्मचारी बीच में इस्तीफा देकर चला गया उसके विरुद्ध कौन कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी तो क्यों नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस सारे मामले पर सरकार की ओर से फिर जांच हो रही है कि उनको सजा माकूल दी गयी है या नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इसे मेरी ओर से सूचना मानकर जांच करायेगी कि ७५,००० रुपये में से एक भी नया कुंआ जिले में नहीं बनाया जा सका है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं पहले ही कह चुका हूं कि सारे विषय पर जांच होगी।

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय---[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नार्मल विकास खंडों के कार्यों के लिये सरकारी अनुदान

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नार्मल विकास खंडों में बनने वाले निर्माण कार्यों में सरकारी अनुदान पूरे व्यय का १/४ ही देने का आदेश इस वर्ष से हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। यह व्यवस्था सामूहिक विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ कम्युनिटी डेवलपमेंट) के आदेश पर निर्धारित है जिसके अनुसार नार्मल विकास खंड के प्रथम वर्ष में १/३ तथा द्वितीय व तृतीय वर्षों में कुल व्यय का १/४ सरकारी अनुदान दिया जाना निश्चित हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय मंत्रालय से उन्होंने जानने की कृपा की है कि किस वजह से १/४ अनुदान दिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---सारे भारतवर्ष के लिये उन्होंने यही प्लान बनाया है। जितना रुपया वे खर्च कर सकते हैं उतना ही दे रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को मालूम है कि १/४ अनुदान से जो काम जारी होते हैं वे पूरे नहीं होते हैं और इस कारण से इन विकास खंडों में काम में काफी रुकावट होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जितना अन्तर १ और १/४ में है उतना ही काम में जरूर होगा।

*९-१०---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा जिले की सड़कों का नव-निर्माण तथा उन पर व्यय

*११---स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में नियोजन विभाग ने सन् १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ में किन-किन सड़कों के नव-निर्माण और मरम्मत के हेतु कितना-कितना धन दिया है और उनमें से कौन कौन सी सड़कें नवनिर्मित हो चुकी हैं तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत हो चुकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७५ पर)

*१२---स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा से बिचपुरी होकर भरतपुर (राजस्थान) को जाने वाली पुख्ता सड़क के आगरा से अछनेरा तक के भाग की मरम्मत तथा अछनेरा से फरह और किरावली से कागारोल तक पुरानी कच्ची सड़कों के नव-निर्माण के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में नियोजन विभाग से अनुदान मिलने की आशा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आगरा से बिचपुरी होकर भरतपुर जाने वाली पुख्ता सड़क की मरम्मत के लिये नियोजन विभाग द्वारा १,२१० रु० स्वीकृत हुए थे जिनमें से ८०० रु० अग्रिम धन अध्यक्ष, जिला बोर्ड, आगरा को दिया जा चुका है और मरम्मत का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आगरा से बिचपुरी तक ८ मील सड़क को डामर रोड बनाने के लिये ३०,००० रु० अध्यक्ष, जिला बोर्ड, आगरा को दिया जा चुका है।

अछनेरा से फरह और किरावली से कागारोल तक कच्ची सड़कों के नव-निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्राविधान नहीं है और न अब तक कोई अनुदान नियोजन विभाग से दिया गया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---ये ८०० रुपये कब दिये गये थे और कितना काम हो चुका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---तारीख के लिये सूचना की आवश्यकता है।

मंसूरी विकास कमिश्नर्स सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार खाद्यान्नों में वृद्धि की योजनाएं

*१३---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंसूरी में विकास कमिश्नरों के सम्मेलन में अधिक अन्न उपजाने के सम्बन्ध में जोजो निर्णय हुए उन पर क्या अमल हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--विकास कमिश्नरों के मंसूरी सम्मेलन में अधिक अन्न उपजाने के संबंध में यह निर्णय किया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आगामी ३ वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन ५० प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में और ३० प्रतिशत असिंचित क्षेत्र में बढ़ा दिया जाय। इस लक्ष्य का २० प्रतिशत १९५७-५८ में ही प्राप्त करने का निर्णय भी किया गया। इस निश्चय के पहिले राज्य में २४ लाख टन अधिक अन्न उपजाने की योजना थी जो ३० प्रतिशत के हिसाब से रखी गई थी। इन लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिये जिला अधिकारियों को आदेश भेजे गये हैं कि वे खंडवार अधिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करके भेजें।

उन्नतिशील बीज, रासायनिक खादों, यंत्रों तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध इन्हीं निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर संचालक, कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्पादन की बढ़ौतरी में अन्य सिंचाई योजनाओं, खाद, विशेषकर हरी खाद व रासायनिक खाद तथा उन्नतिशील बीजों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। उन्नतिशील बीजों के संबंध में यह निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी विकास क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने जिले के उत्पादन से बढ़ावा देकर करें।

*१४--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य के किस जिले में कितना खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और तम्बाकू उपजाने की योजना है और अब तक इन योजनाओं पर कितना-कितना धन खर्च किया जा चुका है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य के जिलों में खाद्यान्न, तिलहन और गन्ना उपजाने के लक्ष्य की सूची नत्थी है।

इनमें तम्बाकू वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके; उपलब्ध होने पर माननीय सदस्य को भेज दिये जायेंगे।

इन योजनाओं पर १९५६-५७ में कृषि विभाग द्वारा १९,४८,९६२ रु० और गन्ना विकास विभाग द्वारा ३१ लाख रुपया व्यय किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७६-२७८ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या इस सम्मेलन में हर गांव के लिये टारगेट मुकर्रर करने का फैसला हुआ था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अथवा उत्तर देने वाले डिप्टी मिनिस्टर साहब विकास कमिश्नरों के सम्मेलन में मौजूद थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं मौजूद था। यह बात थी कि ब्लाकवाइज तो होना ही चाहिये और यदि हो सके तो गांव के हिसाब से भी बनाने की कोशिश की जाय। इतना ही नहीं, यह भी हुआ कि प्रत्येक काश्तकार के हिसाब से टारगेट बनाने की कोशिश की जाय। लेकिन गांव के लिये अभी तक, हमारे यहां ही नहीं बल्कि और भी किसी प्रदेश में सफलता नहीं हुई है। लक्ष्य हमारे सामने जरूर है लेकिन उसमें समय लगेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि मंसूरी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन साहेब कृष्णमाचारी जी और प्रधान मंत्री ने भाषणों में यह कहा था कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये केंद्रीय सरकार व प्लानिंग कमीशन कोई अधिक रुपया नहीं दे सकेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह मुझे ठीक याद नहीं है।

श्री गेंदासिंह—१९५७-५८ का आधा वर्ष खत्म हो चुका है, तो ५७-५८ में अभी तक कितना रुपया सरकार ने इस काम में खर्च किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो २० प्रतिशत बढ़ोत्तरी का टारगेट ५७-५८ में प्राप्त करने का निर्णय किया गया था वह सिंचित क्षेत्रों के लिये किया गया था या असिंचित क्षेत्रों के लिये, अथवा दोनों के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—दोनों के लिये है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त कान्फरेंस में कम ब्याज पर किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने की भी कोई बात सोची गयी थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस मसूरी कान्फरेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये आंकड़ों की आवश्यकता होगी जो यहां पर नहीं हैं। इसलिये सूचना की जरूरत है।

*१५—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६-१७—श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-२०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[८ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न १९-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रान्तीय रक्षक दल, बस्ती के कर्मचारियों के कार्य का ब्योरा

*२१—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिले में जो पी० आर० डी० के कर्मचारी हैं उनके मुख्य कार्य क्या हैं और उन लोगों ने सन् १९५६ ई० में जो मुख्य कार्य किये क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रक्खेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बस्ती के प्रान्तीय रक्षक दल के सदस्यों के कार्य वही हैं जो प्रदेश में प्रान्तीय रक्षक दल के आदमी अन्यत्र करते हैं। १९५६ में इन लोगों द्वारा किये गये कार्यों की सूची सदस्य की मेज पर रखी है।

*२२—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के पी० आर० डी० के कर्मचारी-गण में से प्रत्येक कितने, कितने दिन बस्ती हेडक्वार्टर पर और कितने-कितने दिन अपने क्षेत्र में जहां कि वे तैनात थे सन् १९५६ ई० में रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूची, जिसमें सब विवरण दिया हुआ है, सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७९-२८१ पर)

*२३-२४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अन्न उत्पादन में वृद्धि की योजना का खर्चा

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अन्न उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि रखी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कृषि तथा अन्न संबंधित क्षेत्रों में अन्न उत्पादन बढ़ाने के हेतु रखी गयी धनराशि का ब्यौरा माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २८२ पर)

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में कौन-कौन विभाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी अपने लक्ष्यों (targets) को पूरा कर सके, और कौन-कौन नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही एक पुस्तिका इस संसर्ग में प्रकाशित की जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस धनराशि का ब्योरा उन्होंने इस सदन की मेज पर रखा है, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विभागों क अधीन जो रुपया रक्खा है, वही है या जो विशेष रूप से खाद्य उत्पादन के लिये रक्खा है वह है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यों तो खाद्यान्न बढ़ाने में सभी विभागों पर कुछ न कुछ असर पड़ता ही है, लेकिन इसमें विशेष रूप से आपके सामने कुछ आइटम्स रखे हैं मसलन् सिंचाई की बड़ी और छोटी योजनायें तथा उन्नतिशील बीज इत्यादि।

श्री नारायणदत्त तिवारी—राष्ट्रीय प्रसार सेवा और कम्युनिटी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो यह २,६६० लाख रुपया है तथा बढ़ा कर ३,३३५ लाख रुपया रखने का विचार है तो क्या यह केवल कृषि सम्बन्धी कार्यों में खर्च किये जायंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं, भिन्न-भिन्न कार्यों में खर्च किये जायंगे, जैसे कि फ्लड कंट्रोल, स्वाइल इरोजन इत्यादि हैं। लेकिन इन सबका असर कृषि पर पड़ता अवश्य है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस धनराशि का निर्णय करते समय क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह उतनी धनराशि को उन्हीं कामों में रखने से पर्याप्त होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह असल में सारे देश के हिसाब से रखा गया था। १५५ लाख टन अन्न सारे देश में हमें पैदा करना था, इसी हिसाब से यू० पी० में करीब २४ लाख टन आता है। उसी हिसाब से यह रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब अभी सरकार के पास कोई सूचना इस सम्बन्ध में नहीं है कि कौन सा विभाग अभी अपने लक्ष्य को पूरा कर सका है अथवा नहीं कर सका है तो सरकार यह दावा कैसे कर रही है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया ?

श्री अध्यक्ष—क्या सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने लक्ष्य को पूरा कर लिया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले भी कहा गया है और प्रश्न के उत्तर में भी कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा प्रश्न कीजिये, यह बहस है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में यह कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, यह सूचना उन्होंने कहां से एकत्रित की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन शब्दों में कहा गया या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आंकड़े अलहदा चीज हैं। जो प्रगति हो रही है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है या हम उसको पूरा करने के करीब पहुंच रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई स्पेशल ग्रांट मांगी है, यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिक अन्न उपजाओ के सिलसिले में इस वक्त कोई खास ग्रांट नहीं मांगी गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी सन् १९५६–५७ में विभागों के लक्ष्य क्या थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो अलग-अलग विभाग के अलग-अलग लक्ष्य थे। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि हर विभाग से उसे मंगाना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं बतला दूं कि सन् ५६–५७ में ५.०१ लाख टन अन्न की वृद्धि हुई है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्न उत्पादन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो अतिवृष्टि होने से और रेह से जमीन खराब हो गयी है उसको ठीक करने के लिये भी कोई योजना है और उसके लिये कोई धनराशि इसमें रखी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—स्वायल इरोजन सम्बन्धी जो कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत यह हो सकता है।

विशेष पदाधिकारियों की नियुक्तियां

*२७—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने व्यक्ति इस प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत विशेष पदाधिकारी (O. S. D.) के पद पर कार्य कर रहे हैं और किस-किस विभाग में ?

*२८—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ये अधिकारी (O. S. D.) पृथक-पृथक कितने काल से अपने विशेष पद पर कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २८३–२८४ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह—सूची में जिन विशेष अधिकारियों के नाम दिये गये हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन ३० व्यक्तियों में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो रिटायर हो जाने के पश्चात् पुनः ओ० एस० डी० नियुक्त हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री गंगाप्रसाद सिंह— क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विशेष अधिकारी लोगों की जो नियुक्ति होती है, उनकी जगह पर रेगुलर कैडर के लोग क्यों नहीं नियुक्त किये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर प्रश्न का मतलब या संकेत यह हो कि जो लोग विशेष अधिकारी होते हैं वे रेगुलर कैडर के नहीं होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सिवा एक के जिसके बारे में मैं जानता हूं और कोई ऐसा नहीं है जो रेगुलर कैडर का न हो। अब यह कि विशेषाधिकारी की जगह क्यों रखी जाती है, स्थायी तौर पर नियुक्ति क्यों नहीं कर ली जाती है, इसका उत्तर यह है कि जब कोई विशेष काम होता है तो उसके लिये ओ० एस० डी० को रखा जाता है और जब देख लिया जाता है कि यह काम बराबर चलने वाला है तो ओ० एस० डी० को रखने की जरूरत नहीं रहती है। वहां पर स्थायी नियुक्ति करली जाती है और ओ० एस० डी० की जगह तोड़ दी जाती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ओ० एस० डी० की पोस्ट को समाप्त करने का विचार सरकार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, हमारा ख्याल है कि साधारणतः जहांतक हो सके ओ० एस० डी० की जगह बहुत कम होनी चाहिये। इस अर्थ में हम उसको खत्म करने की बात सोच रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है उसमें विशेषाधिकारियों के काम की संख्या को घटाने की कोशिश की गयी है या जैसा है वैसा ही रखा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका ठीक उत्तर देना कठिन है क्योंकि उसका सम्बन्ध रिआर्गेनाइजेशन से नहीं है। अगर किसी समय कोई विशेष काम सरकार के सामने आ जाता है तो वह रखे जाते हैं वरना साधारण शासन में वह चीज हो तो जरूर हटा देने चाहिये।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विशेषाधिकारियों के कार्यकाल की कोई सीमा होती है और वह कितने दिन तक एक पद पर रखे जा सकते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक वह विशेष काम रहता है तब तक के लिये ही वह किसी एक जगह पर रखे जाते हैं।

पर्यटन केन्द्रों की स्थापना तथा उन पर व्यय

*२९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि प्रदेश के किन-किन स्थानों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं और उनमें कितना-कितना धन प्रदेशीय व केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय होगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केन्द्रीय सरकार ने अब तक दो पर्यटन केन्द्र आगरा और वाराणसी में खोले हैं। इन केन्द्रों का पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है और उत्तर प्रदेश सरकार को कोई धन नहीं देना पड़ता है। १९५७–५८ के आय-व्ययक (Budget) के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि निम्नांकित धनराशि इन पर व्यय हुई :–

	वास्तविक आंकड़े १९५५–५६	दोहराया तखमीना १९५६–५७	बजट का तखमीना १९५७–५८
आगरा	१३,४६९	१५,०००	१५,५००
वाराणसी	१२,०७४	१५,०००	१७,५००

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के कुछ अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर भी पर्यटन केन्द्र खोलने के लिये सरकार से बातचीत की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रादेशिक सरकार के केन्द्र तो हरिद्वार, नैनीताल, वाराणसी और आगरे में हैं।

*३०—श्री रामचन्द्र विकल—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले के ओला पीड़ित गांवों को सहायता

*३१—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला खीरी के किन-किन गांवों में मार्च सन् १९५७ की ओलाबारी से रबी की फसल को हानि हुई है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—गत मार्च मास में खीरी जिले के ६२३ गांवों में ओला पड़ने से फसल को हानि पहुंची, जिनमें से ३५२ गांवों में हानि रुपये में आठ आने से कम थी। गांवों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

*३२—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतयेगी कि इन गांवों क किसानों को क्या-क्या रिलीफ देने का विचार है?

श्री चरणसिंह—प्रभावित गांवों में १,०५,००० रु० तकावी वितरित करने के लिये स्वीकृत किया गया है तथा जिन गांवों में हानि रुपये में ८ आना से अधिक है उनमें मालगुजारी में छूट या स्थगन भी नियमानुसार दिया जायेगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—श्रीमन्, प्रश्न ३२ के उत्तर में कहा गया है कि उनमें मालगुजारी में छूट या स्थगन भी नियमानुसार दिया जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि छूट दी जा चुकी है या नहीं?

श्री चरणसिंह—जिन गांवों में जिलाधीश यह समझते हैं कि आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है उनको अधिकार है कि मालगुजारी की वसूली स्थगित करदें और वह कर देते हैं। उसके बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू की मार्फत गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। जब यहां एग्जामिनेशन हो जाता है तब यहां से फाइनल आर्डर्स जाते हैं। इसलिये फाइनल आर्डर्स नहीं गये हैं, लेकिन उन्होंने मालगुजारी स्थगित कर दी है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश ने कितने रुपये के रेमिशन या इल्तवा के लिए रिपोर्ट भेजी है?

श्री चरणसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या सरकार को यह सूचना है कि बाज किसानों का जिनका निश्चित हो गया है कि उनका सोलह आने नुकसान हो गया, इस पर भी उनसे लगान लिया जा चुका है?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता।

श्री गेंदासिंह—फाइनल आर्डर कब तक हो जायगा और किस फसल की छूट का सवाल इस वक्त दरपेश है?

श्री चरणसिंह—फाइनल आर्डर्स की कोई तारीख नहीं बतायी जा सकती और किस फसल की छूट का सवाल है, तो माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि वह सवाल पढ़ने की तकलीफ गवारा करें।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में आठ आने से अधिक नुकसान हुआ है और सरकार ने लगान माफ करने के बारे में या छूट देने के बारे में निश्चय किया है उनमें आजकल टयूबवेल या नहर की आबपाशी सख्ती से वसूल की जा रही है?

श्री चरणसिंह—मुझ को ऐसी कोई सूचना नहीं है और माननीय मित्र को अगर खीरी जिले की बाबत मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करेंगे।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या रबी की फसल के सिलसिले में यह लखीमपुर का ही मामला अभी विचाराधीन है या और जगहों का भी विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मूल प्रश्न से उठता नहीं है। उन्होंने तो खीरी का ही प्रश्न पूछा है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह ठीक है कि रबी की मालगुजारी की वसूलयाबी की अन्तिम तारीख ३० सितम्बर होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो नियमों का सवाल है। आप खुद देख लें।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में लगान की छूट दी गयी है उन गांवों में आगे नहर और ट्यूबवेल की आबपाशी वसूल न की जाय, ऐसी कोई आज्ञा देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी हिदायत का देना बिलकुल गैर-जरूरी है क्योंकि वह अपने आप ही कर देते हैं।

अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल पूछा गया था कि कितनी मालगुजारी के स्थगन की सिफारिश की है। उस वक्त मैंने कलेक्टर का लेटर पाया नहीं था, अगर आप इजाजत दें तो बतला दूं ?

श्री अध्यक्ष—बतला दें।

श्री चरणसिंह—२,१३,३०३ रुपये के रेमिशन की उन्होंने सिफारिश की है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर में ओलेबारी से जो हानि हुई है, वहां की तीन तहसीलों में सबसे अधिक किस तहसील में हानि हुई है और जो हानि के कारण लगान मुल्तवी किया गया है वह सबसे अधिक किस तहसील में मुल्तवी किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—आप दो-दो सवाल साथ पूछ रहे हैं, एक के बारे में पूछें।

श्री शिवप्रसादनागर—तो सबसे अधिक किस तहसील में लगान मुल्तवी किया गया है ?

श्री चरणसिंह—मुहम्मदी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि जिन किसानों का आठ आने से कम नुकशान हुआ है उनका भी लगान माफ करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो कई दफ़ा जवाब दिया जा चुका है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह ठीक है कि जिन गांवों में ओले से हानि हुई है उनके अधिकतर किसानों ने दरख्वास्त दी थी कि रबी का बीज जो उन्होंने सीड स्टोर से लिया है उसको भी मुल्तवी कर दिया जाय। यदि यह ठीक है तो सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—इसका मुझको कोई इल्म नहीं है।

बदायूं जिले में रामगंगा की दो धाराओं व अरिल तथा रामगंगा नदियों के बीच स्थित बाढ़ग्रस्त गांवों को सहायता

*३३—श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना सलेमपुर जिला बदायूं में रामगंगा की दो धाराओं के बीच में तथा अरिल नदी और रामगंगा के बीच में जो ग्राम स्थित हैं वे कई साल की बाढ़ के कारण बरबाद हो चुके हैं ? उनकी संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी हां रामगंगा की दो धाराओं के बीच में २३ ग्राम तथा अरिल और रामगंगा नदियों के बीच में ६ ग्राम अथवा अर्थात् कुल २९ ग्राम ऐसे हैं जिन्हें बाढ़ के कारण हानि पहुंची है। इनमें से ६ ग्रामों की भूमि राम गंगा के बाढ़ के कारण बह गयी है।

*३४—श्री हरिश्चन्द्र सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन ग्रामों के सम्बन्ध में जिलाधीश बदायूं की कोई ऐसी रिपोर्ट आयी है जिसमें उन्होंने लगान तथा अन्य सरकारी करों तथा तकावी की माफी के सम्बन्ध में लिखा है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, मालगुजारी में छूट देने के सम्बन्ध में जिलाधीश बदायूं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य सरकारी करों तथा तकावी के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।

जिलाधीश के मालगुजारी में छूट के प्रस्तावों पर अभी तक माल बोर्ड से टीकायें नहीं प्राप्त हुई हैं।

*३५—श्री हरिश्चन्द्र सिंह—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? क्या सरकार इस इलाके के रहने वालों की मदद किसी अन्य रूप में भी करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—इस इलाके के रहने वालों को तकावी वितरण, मुफ्त कपड़े, कम्बल व बच्चों के कपड़ों के रूप में सहायता दी जा चुकी है। पीने के पानी की कमी को निवारण करने के लिये १३ हाथ के पम्प लगा दिये गये हैं और दस हाथ के पम्प और लगाये जाने का प्रस्ताव है। बीमारी फैलने की रोकथाम तथा अन्य सब सम्भव सहायता के कार्य किये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त इस समय अन्य रूप में मदद करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे ६ गांव कौन से हैं जिनकी जमीन रामगंगा के बाढ़ के कारण बिलकुल कट गयी है ?

श्री चरणसिंह—शेरपुर नवादा, बालान, नगरिया खान, ढाबर, हृदयपुर, माजमपुर।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि ये गांव कब कट गये और उन पर अब भी रबी और खरीफ़ दोनों का लगान बराबर वसूल किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, गांव पूर्णतया नहीं कटे हैं। जितनी जमीन कटी है उसकी मालगुजारी तो नियम २०५ (बी) के अनुसार बिलकुल रेमिट कर दी गयी और जो जमीन नहीं कटी है उसकी मालगुजारी ली जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी माननीय हरिश्चन्द्र सिंह के इस सवाल को नोटिस समझकर जांच कराने की कृपा करेंगे कि किसानों के जो खेत नदी में कट गये हैं उनकी मालगुजारी अब भी वसूल की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब तो दे दिया है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ६ गांवों की जो जमीन कटी है उसका अलग-अलग रकबा कितना है ?

श्री चरणसिंह—अलग-अलग रकबा तो मेरे पास नहीं है। लेकिन किस गांव में कितनी मालगुजारी उन्होंने कम कर दी है उसके आंकड़े मेरे पास जरूर मौजूद हैं, अगर आप कहें तो सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं प्रश्न पूछे बगैर उत्तर देना चाहते हैं तो कोई न कोई माननीय सदस्य सवाल कर ही देंगे ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कई सालों से वे गांव जो कटते जा रहे हैं उनकी स्थायी सुरक्षा के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*३६-३८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

सरकारी कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयत्न

*३९—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में फैले हुये भ्रष्टाचार को मिटाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भ्रष्टाचार दूर करने की समस्या को सरकार ने सदैव प्रमुख स्थान दिया है । इस सम्बन्ध में जो प्रयत्न होते रहे हैं उनकी सूचना समय-समय पर सदन को दी जाती रही है किन्तु फिलहाल कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर्स में खुलने वाले कारखाने

*४०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में अब कौन-कौन से बड़े कारखाने खुलने वाले हैं और उनकी लागत क्या होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २८५-२८६ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी चुर्क फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं कि दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स में जो आउटले है, उस से क्यों ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई प्राइवेट व्यापारी जो रोजगार करता है उसमें और सरकारी ढंग से जो व्यापार किया जाता है उसमें ओवरहैड और दूसरे और कारणों से कुछ न कुछ फर्क तो होता ही है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन-जिन प्राइवेट सेक्टर्स, जिन-जिन फर्मों को रुपया उधार दिया गया था उनमें से अब तक कितनों का काम शुरू हो गया है और दूसरों को जल्दी शुरू कराने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गैंदासिंह—क्या चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की अवस्था को देखते हुये किसी विशेष प्रकार की जानकारी करने की सरकार मेहरबानी करेगी ताकि उसके उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्पादन को तो दूना करने का प्रयत्न हो रहा है उसके लिये मशीन वगैरह मंगा का प्रयत्न हो रहा है। वृद्धि तो काफी हो जायगी।

श्री देवकीनन्दन विभट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में काम शुरू किये जाते हैं उनका बैलेंस शीट उसी प्रकार तैयार किया जाय जिस प्रकार कि दूसरी कम्पनियों का किया जाता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

जिला मैंजिस्टेट्रों तथा डिप्टी कलेक्टरों की नैनीताल यात्रा

*४१—श्री देवकीनन्दन विभट—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में कितने जिला मैंजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टरों ने नैनीताल की यात्रा की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—९ जिला मैंजिस्ट्रेटों तथा ५ डिप्टी कलेक्टरों ने।

*४२—श्री देवकीनन्दन विभट—क्या मुख्य मंत्री ऐसी कोई हिदायत देने पर विचार कर रहे हैं कि जहां रेल जाती हो वहां सरकारी अधिकारी मोटरों से सफर न करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी हिदायतें पहले से ही दी जा चुकी हैं।

श्री देवकीनन्दन विभट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ९ जिला मजिस्ट्रेट और ५ डिप्टी कलेक्टरों ने नैनीताल की यात्रा की, वह सरकार के व्यय पर की या अपने व्यय पर की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सब सरकारी व्यय पर।

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन परिच्छेद अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न

*४३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नागरिक जमींदारी का पूर्णतया उन्मूलन कब तक हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—कृषि क्षेत्र का परिच्छेदन हो जाने के बाद।

*४४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९५६ के अधीन परिच्छेद अधिकारी नियुक्त हुए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, नियम विचाराधीन हैं और आवश्यक धनराशि की स्वीकृति भी सदन से अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नागर क्षेत्र का परिच्छेदन होने की कब तक संभावना है ?

श्री चरणसिंह---क्योंकि परिच्छेदन की कार्यवाही के सिलसिले में जो हुक्म दिये जायेंगे उनकी अपील भी हो सकती है, इसलिये कोई ठीक समय नहीं बतलाया जा सकता । ६ महीने से कम तो ऐसे मामलों में भी नहीं लगेंगे जिनमें कोई अपील नहीं होगी ।

मैनपुरी जिले में अग्निकाण्ड से पीड़ित लोगों की सहायता

*४५---श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १९५६-५७ में जिला मैनपुरी में किस-किस गांव में अग्नि-कांड हुआ और उससे कितने लोगों को हानि पहुंची ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अग्निकांड से पीड़ित लोगों की क्या सहायता की गयी ?

श्री चरण सिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २८७-२८८ पर)

*४६---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४७-४९---श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)---[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०-५२---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[८ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १६-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्रदेश में हरिजन लेखपालों की संख्या में वृद्धि की मांग

*५३---श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने लेखपाल हैं और उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री चरणसिंह---१८,१२६ लेखपाल हैं और उनमें ४८३ हरिजन हैं ।

श्री बादामसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८,१२६ लेखपालों में केवल ४८३ हरिजन ही क्यों रक्खे गये ?

श्री चरणसिंह---१८,१२६ लेखपालों में ५ हजार लेखपाल तो पुराने हैं जिनमें एक भी हरिजन नहीं है । १३ हजार की नई भर्ती हुई जिनमें पौने चार फी सदी हरिजन लेखपाल रक्खे गये हैं । यह संख्या बेशक बहुत कम हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि ऐप्लीकेशंस इतनी आई नहीं जितनों की जरूरत है । आगे के लिये हुक्म दे दिया गया है कि लेखपालों के जो ट्रेनिंग स्कूल हैं उनमें ३६ परसेंट तक पहले हरिजन उम्मीदवार लिये जायं ताकि उनकी संख्या पूरी हो जाय ।

श्री बादामसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इस कमी को पूरा करने के लिये केवल हरिजनों को ही लेखपालों में भर्ती करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, जो ३६ परसेंट किया है उसके लिये भी ऐप्लीकेशंस नहीं आतीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १८,१२६ लेखपालों में पिछड़ी हुई जातियों के लोग कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह सवाल हरिजनों के बारे में ही पूछा गया था । अगर माननीय मंत्री के पास आंकड़े हों तो बतला दें ।

श्री चरणसिंह---जी नहीं, मेरे पास फीगर्स नहीं हैं ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब भर्ती किये गये थे उस समय कितने हरिजनों की दरख्वास्तें लेखपालों के लिये आयी थीं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, यह मुझे इस वक्त नहीं मालूम है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार परमानेंट जगहें जो खाली हैं उनमें केवल हरिजनों को ही भर्ती करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया है कि ३६ परसेंट ही भर्ती करेंगे ।

*५४---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---[१४ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फैजाबाद कलेक्टरी तथा कलेक्शन विभाग के हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

*५५---श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद कलेक्शन विभाग में १९५६ ई० में कुल कितने चपरासी व कुर्कअमीन काम कर रहे थे ? इनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के थे ?

श्री चरणसिंह---सन् १९५६ ई० में फैजाबाद जिले के कलेक्शन विभाग में अमीन के कुल १०० पदों पर ४ पिछड़ी जाति के लोग काम कर रहे थे, हरिजन कोई न था । चपरासियों के २०० पदों में से २९ पर हरिजन और २३ पदों पर पिछड़ी जाति के लोग काम कर रहे थे ।

*५६---श्री सुखरामदास---क्या चपरासी के काम के लिये भी हरिजन या पिछड़ी जाति के उम्मीदवार नहीं मिलते ?

श्री चरणसिंह---इस जिले के बाबत तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी-कभी चपरासगिरी के लिये भी हरिजन नहीं मिलते, यह वाक्या है ।

श्री सुखरामदास---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद कलेक्टरी में कितने चपरासी तथा चतुर्थ वर्ग के अन्य कर्मचारी हैं ? उनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चरणसिंह---फैजाबाद कलेक्टरी में १४६ चपरासी तथा अन्य चतुर्थवर्ग के कर्मचारी हैं जिनमें से ९ हरिजन तथा १९ पिछड़ी जाति के हैं ।

श्री सुखरामदास---क्या सरकार बतायेगी कि १४६ में माली कितने हैं ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*५७---श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८---श्री रामेश्वर प्रसाद---[२७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५९-६०---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

मनवापुर ब्लाक, जिला बस्ती में ट्यूबवेल लगाने पर विचार

*६१—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार मनवापुर ब्लाक जिला बस्ती में ७ ट्यूबवेल लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

*६२—श्री रामलखन मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार ३ ट्यूबवेलों को मनवापुर और इटवा ब्लाक छायाखंड के सरहद पर लगायेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री रामलखन मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इटवा ब्लाक छाया खंड जो है यह मनवापुर ब्लाक का ही एक अंश था और उसका नाम था मनवापुर भाग नम्बर २ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—संभव है, सही हो।

आजमगढ में रोडवेज कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह

*६३—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ रोडवेज स्टेशन पर कोई भवन रोडवेज कर्मचारियों के भोजन तथा विश्राम के लिये बनाया गया है ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

*६४—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त भवन का प्रयोग रोडवेज कर्मचारियों के हित में कब से किया जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—रोडवेज कर्मचारी इस भवन का प्रयोग उसके निर्माण के पश्चात् से ही कर रहे हैं।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह भवन जिस काम के लिए बना है उसके लिए वह इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसमें सरकारी दफ्तर रखा हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी बात नहीं है, जिस काम के लिए बना है उसी के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री कृपया इसकी जांच करायेंगे कि यह सही है कि उसमें दफ्तर है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना, जहां तक विश्राम का सम्बन्ध है, अगस्त, १९५६ से रनिंग रूम में वहां के अधिकारी विश्राम करते हैं और जहां तक कैन्टीन का सम्बन्ध है, उसके लिए दूकान आक्शन होने वाली है और आक्शन होने के पश्चात् भोजन की व्यवस्था भी की जा सकेगी। जहां तक यह कहा गया है कि वहां पर आफिस है, इसकी तो मुझे सूचना नहीं, लेकिन इस सम्बन्ध में अगर कैन्टीन में आफिस है तो उसको दूर करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यह नया भवन जो निर्माण हुआ है, यह रोडवेज के रनिंग स्टाफ, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए रेस्ट रूम के तौर पर बनाया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, उन्हीं के लिए बनाया गया है।

*६५-६६—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—[वापस लिये गये।]

ग्राम थान, जिला टेहरी गढ़वाल में पेय जल योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब

*६७—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी गढ़वाल के टेहरी तहसील पट्टी वयुन्ड मौजा थान में जो पेय जल योजना जिला प्लानिंग कमेटी से मंजूर की गई थी वह अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ग्रामथान तथा दुरालगांव के निवासियों के बीच जलस्रोत पर अधिकार सम्बन्धी विवाद होने के कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

श्री सूरतचन्द रमोला—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस योजना का प्रस्ताव हुआ तो दुराल गांव के लोगों ने अपनी सम्मति के हस्ताक्षर कर दिये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार के पास इस प्रकार की सूचना नहीं है, बल्कि यह है कि जिलाधीश जब टूर पर गये तो उनके सामने गांव वालों ने आपत्ति प्रकट की।

*६८-६९—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

सचिवालय के अस्थायी कर्मचारियों में परिगणित जाति वालों की संख्या

*७०—श्री रामप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में कितने-कितने अस्थायी क्लर्क तथा चपरासी, स्वीपर के अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं तथा उनमें कितने-कितने परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २८९ पर)

खसरे के कैफियत के खाने भरने से सम्बन्धित लेखपाल के अधिकार को सीमितकरने पर विचार

*७१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरे के कैफियत के खाने में लेखपाल को दूसरे व्यक्ति का कब्जा दर्ज करने का जो अधिकार हासिल है, उसके दुरुपयोग की कितनी शिकायतें इस वर्ष माल मंत्री के पास आयी हैं ?

श्री चरण सिंह—६०।

*७२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि लेखपालों के उक्त अधिकार को वापस ले लिया जाय या तत्सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके उसको सीमित कर दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—तत्सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके लेखपाल के उक्त अधिकार को सीमित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

*७३—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुमायूं सर्वांगीण विकास कार्यों के संकलन हेतु निर्मित समिति का प्रतिवेदन

*७४—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले मंत्रिमंडल के कार्यकाल में श्री जगमोहन सिंह नेगी की अध्यक्षता में कुमायूं के सर्वांगीण विकास कार्यों के संकलन करने के निमित्त सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*७५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है, या नहीं ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, लगभग एक वर्ष पूर्व।

*७६—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

†डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेज पर रख दी गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवों को मकान बनवाने हेतु दिये गये ऋण

*७७—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५-५६ तथा १९५७-५८ में कितने उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव तथा उपसचिवों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया गया है तथा वह धनराशि कितनी तक है जो एक-एक व्यक्ति को दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में किसी सचिव या उपसचिव को मकान बनाने के लिये ऋण नहीं दिया गया। वर्ष १९५७-५८ में केवल एक सचिव को ७२,००० रु० दिया गया है।

दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई जमीनों के लगान की वसूली

*७८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को सूचना मिली है कि दोहरीघाट पम्प नहर में जो जमीनें ले ली गई हैं, उनका लगान उन जमीनों के पुराने मालिकों को आज भी देना पड़ रहा है ?

*७९—यदि हां, तो इसकी रोकथाम तथा खेतिहरों को रिलीफ देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है, उपलब्ध होने पर प्रश्नों का उत्तर दिया जायगा।

तहसील खैरागढ़, जिला आगरा में जंगलात से बची बन्जर भूमि को भूमिहीन हरिजनों को देना

*८०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खैरागढ़ तहसील जिला आगरा में बंजर भूमि कितनी है और इस में से जंगलात में कितनी जमीन ली गई है ? क्या सरकार बाकी बंजर जमीन को बे-जमीन हरिजनों को देने की आवश्यकता और उपादेयता पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

†छापी नहीं गई।

ग्राम राजापुर, जिला जौनपुर के हरिजनों में चकबन्दी सम्बन्धी फार्मों का वितरण

*८१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम राजापुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के हरिजनों को चकबन्दी से सम्बन्धित फार्म नं० २० क्यों नहीं दिया गया और फार्म नं० २४ और २५ मियाद समाप्त होने पर क्यों दिया गया ?

श्री चरणसिंह—ग्राम राजापुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के हरिजनों को चकबन्दी फार्म नं० २० इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि दिनांक १३ मार्च, १९५६ को जब कि उपरोक्त गांवों में धारा ११ के अन्तर्गत बने हुये नक्शों को प्रकाशित होना था तो उस समय इस फार्म का बांटने का कोई नियम नहीं था।

फार्म नं० २४, मियाद के अन्दर दिनांक ४ जून, १९५७ को हरिजन तथा और काश्तकारों को बांटा गया। फार्म नं० २५ दिनांक १ नवम्बर, १९५६ को बांटा गया। चूंकि यह अन्तिम प्रदेशन आज्ञा-पत्र था इसलिये इसको मियाद के अन्दर बांटने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अनपढ़ लोगों को चकबन्दी सम्बन्धी इन्दराज आदि की कार्यवाही की जानकारी कराना

*८२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनपढ़ लोगों को चकबन्दी सम्बन्धी इन्दराज एवं ब्लाक निर्माण कार्यवाही की जानकारी किस प्रकार से दी जाती है ?

श्री चरणसिंह—अनपढ़ लोगों को चकबन्दी सम्बन्धित इन्दराज व ब्लाक निर्माण की कार्यवाही की जानकारी सरकार के बनाये हुये नियमों के अनुसार कराई जाती है।

कोपागंज विकास खंड की इमारत की भूमि के लिए किसानों द्वारा कथित रोकथाम

*८३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "कोपागं जिला आजमगढ़ के विकास खंड" की बनने वाली इमारत की भूमि के लिये किसान की ओर से रोकथाम हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में निग्रह प्रसर (Coercive Processes) से मालगुजारी की वसूली

*८४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में मालगुजारी की वसूली हेतु जून मास सन् १९५७ में में कितने व्यक्तियों को समन, कुर्की, वारन्ट जारी किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—घोसी तहसील में जून सन् १९५७ में मालगुजारी की वसूली के हेतु निम्नलिखित संख्या में निग्रह प्रसर (Coecive Processes) जारी किये गये :—

सम्मन	वारंट कुर्की	वारंट गिरफ्तारी
१११	३	२०

*८५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना छूट का पर्चा बांटे ही किसानों से उपर्युक्त मालगुजारी वसूल की गयी है ?

यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रबी १३६४ फसली में छूट के पर्चों का फार्म प्राप्त न हो सकने के कारण वे बांटे नहीं जा सके, परन्तु प्रत्येक ग्राम में प्रधान, लेखपाल तथा अमीनों द्वारा निर्धारित छूट की रकम की घोषणा कर दी गई थी और देय मालगुजारी में से छूट की रकम निकालने के बाद ही काश्तकारों से मालगुजारी वसूल की गई है।

गोरखपुर, देवरिया के रजिस्ट्रेशन विभाग में क्लर्कों की नियुक्ति

*८६—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, देवरिया जिलों के रजिस्ट्रेशन विभाग में उम्मीदवार क्लर्कों की जो गत पांच वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी अवहेलना करके अन्य जिलों से उम्मीदवार क्लर्कों को बुलाकर रखा गया है? यदि हां, तो इस उपेक्षा का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—गोरखपुर, देवरिया के संयुक्त रजिस्ट्री जिला के रजिस्ट्री क्लर्कों की जगह के लिये वहां के उम्मीदवारों की उपेक्षा नहीं की गयी है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का कोटा पूरा करने के लिये केवल एक उम्मीदवार दूसरे जिले का नियुक्त किया गया है।

हरदोई जिले में तकावी के बक़ाया रुपये की मुआफी

*८७—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५ से १९५७ तक हरदोई में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर तकावी का रुपया बाकी था और उसे सरकार ने माफ किया है?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

डिप्टी कमिश्नर, हरदोई के कार्यालय तथा तहसीलों में कार्य करने वाले अस्थायी चपरासी

*८८—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में तथा प्रत्येक तहसील शाहाबाद, हरदोई, सन्डीला व बिलग्राम में ऐसे कितने चपरासी हैं जो एक साल से अधिक से काम कर रहे हैं, परन्तु अभी स्थायी (Permanent) नहीं हुए हैं?

श्री चरणसिंह—जिलाधीश हरदोई के कार्यालय में तथा जिले की चारों तहसीलों में कुल ४३ चपरासी ऐसे हैं जो एक साल से अधिक से काम कर रहे हैं, परन्तु अभी स्थायी नहीं हुए हैं।

*८९—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिलग्राम तहसील (जिला हरदोई) में इस वर्ष कितने नये चपरासी सीजनल भर्ती किये गये हैं और कितने ऐसे सीजनल चपरासी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से काम कर रहे थे और पृथक् कर दिये गये? इसका क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष रबी १३६४ फसली में तहसील बिलग्राम में कुल ३५ सीजनल चपरासी रखे गये थे जिसमें से नये ११ चपरासी भर्ती किये गये। ६ ऐसे सीजनल चपरासी, जो तीन वर्ष से अधिक काम कर रहे थे, साइकिल न जानने के कारण तथा अवसर पाकर भी साइकिल न सीखने का प्रयत्न करने पर, पृथक् कर दिये गये। इनका काम भी संतोषजनक न था।

गोरखपुर कलेक्टरेट में कार्य करने वाले स्थायी अथवा अस्थायी क्लर्कों तथा चपरासियों में परिगणित जाति का अनुपात

*९०—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कलेक्टरेट में कुल कितने चपरासी व कुल कितने क्लर्क काम कर रहे हैं ? उनमें से कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं ?

श्री चरणसिंह—गोरखपुर कलेक्टरेट में कुल १६२ चपरासी हैं जिनमें १२८ स्थायी हैं और ३४ अस्थायी हैं तथा १६१ क्लर्क हैं जिनमें १३० स्थायी हैं और ३१ अस्थायी हैं ।

*९१—श्री रामसूरत प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चपरासियों व क्लर्कों में परिगणित जाति के लोगों की स्थायी, अस्थाई पदों पर क्या संख्या है और उनका प्रतिशत क्या है ?

श्री चरणसिंह—गोरखपुर कलेक्ट्रेट में परिगणित जाति के १४ चपरासी स्थाई पद पर और १ चपरासी अस्थाई पद पर हैं । इनका प्रतिशत क्रमशः १२ परसेंट और ३ परसेंट है । परिगणित जाति के १ क्लर्क स्थायी पद पर और २ क्लर्क अस्थायी पदों पर हैं । इनका प्रतिशत ७७ परसेंट और ६.५ परसेंट है ।

*९२-९३—श्री रामचन्द्र विकल—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ११२-११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

साप्ताहिक वर्षा के आंकड़ों की मांग

*९४—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले १० वर्षों में जून से अक्तूबर तक साप्ताहिक वर्षा कितनी हुई थी और इस वर्ष जून तथा जुलाई की क्या है ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना जो उपलब्ध है कार्यालय में देखी जा सकती है ।

रबी और खरीफ की फसलों की मालगुजारी से सम्बन्धित सरकारी आदेश

*९५—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा करके उन आदेशों को मेज पर रखेगी जो उसने पिछले अक्तूबर के बाद रबी और खरीफ की फसलों की मालगुजारी के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को भेजे हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, क्योंकि पिछली रबी तथा खरीफ की फसलों की मालगुजारी के सम्बन्ध में लगभग १०० आदेश जारी हुये हैं । इनकी प्रतियां तैयार करने में बड़ा श्रम करना पड़ेगा । किन्हीं विशेष आदेशों की प्रतियां चाहिये तो उनको उपस्थित करना सम्भव हो सकेगा ।

मुरादाबाद जिले में गांव समाजों की सम्पत्ति से सम्बन्धित शिकायतें

*९६—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की अलग-अलग तहसीलों में वर्ष १९५५-५६ और जून १९५७ ई० तक गांव समाज की सम्पत्ति को छिन्न-भिन्न करने तथा अवैधानिक रूप से प्रधानों द्वारा दूसरों के कब्जे कराने की कितनी-कितनी शिकायतें आई हैं और उनमें से कितनी-कितनी अलग-अलग तहसीलों में तय हो चुकी हैं ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बस्ती जिले में लेखपालों के स्थानान्तरण

*९७--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में जनवरी सन् १९५६ से जुलाई, १९५७ तक तहसीलवार कितने लेखपालों का तबादला हुआ है ?

श्री चरणसिंह---बस्ती जिले में सन् १९५६ से जुलाई, १९५७ तक कुल ११९ लेखपालों का तबादला हुआ है जिनका तहसीलवार ब्योरा इस प्रकार है :

बांसी	२०
हरैया	३२
खलीलाबाद	१९
बस्ती	१७
डुमरियागंज	२२
नौगढ़	९
योग ..	११९

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता

*९८--श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी के कटाव के कारण आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के लोहरइया, सेमरी, भैंसहां, पहाड़पुर आदि ग्रामों के सैकड़ों परिवारों के हजारों व्यक्ति घाघरा के उस पार गोरखपुर जिले में सड़कों के किनारे आश्रयहीन और रोजी विहीन पड़े हैं ?

श्री चरणसिंह---यह सही है कि सगड़ी तहसील के लोहरिया, सेमरी तथा चन्दहा गांव घाघरा नदी से कट गये थे। वहां के निवासी इस समय गोरखपुर जिले में घाघरा नदी के उस पार सड़क के किनारे छप्पर डालकर रहते हैं।

*९९---श्री मुक्तिनाथ राय---यदि हां, तो क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से उन व्यक्तियों की क्या सहायता की गई ?

श्री चरणसिंह---लोगों को आजमगढ़ जिले में बसने के लिये भूमि का प्रबन्ध किया गया था, परन्तु लोगों को उसी पार रहने में सुविधा मालूम होने के कारण वे प्रस्तावित भूमि पर बसने को तैयार नहीं हुए।

बाढ़ के समय इन गांवों के लोगों को आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता, तकावी आदि भी दी गई।

बड़रांव विकास ब्लाक, जिला आजमगढ़ में सम्पन्न कार्यों पर व्यय

*१००---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के बड़रांव विकास ब्लाक के अन्तर्गत अब तक किस किस प्रकार के कितने कार्य हुए हैं और प्रत्येक में कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २९० पर)

परिवहन विभाग से सरकार को लाभ

*१०१—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत ३ वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष सरकार को परिवहन विभाग से कितना लाभ हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—परिवहन विभाग में विगत ३ वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित लाभ हुआ है :—

	रु०
१९५४–५५	३८,०५,२६५
१९५५–५६	५७,८०,३८४
१९५६–५७	८५,७१,००० (उपसन्न)

इटावा जिले में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे

*१०२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे सन् १९५६ से जून सन् ५७ तक कितने चले ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी।

जिला गोंडा की बलरामपुर तहसील के नदी के कटाव वाले खेतों के लगान की मुआफी

*१०३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की बलरामपुर तहसील के अन्तर्गत नदी के कटाव वाले खेतों का लगान माफ कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

अलीगंज कम्यूनिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास कार्य तथा उन पर व्यय

*१०४—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगंज कम्यूनिटी प्रोजेक्ट को वित्तीय वर्ष १९५४–५५ व १९५५–५६ में क्षेत्र के विकास कार्य के लिये कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—क्रमशः ४,७७,२०० रु० तथा १०,६४,५५० रु०।

*१०५—श्री भूपकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास योजना के अन्तर्गत अलीगंज क्षेत्र में कौन-कौन कार्य विकास सम्बन्धी उक्त वर्षों में किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ.. २९१–२९३.. पर)

*१०६—श्री भूपकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगंज क्षेत्र में विकास योजना के अन्तर्गत वह कोई स्त्रियों का अस्पताल भी खोलने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अलीगंज में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना स्वास्थ्य-विभाग की है।

गोंडा कलेक्टरी में स्थायी, अस्थायी तथा हरिजन चपरासियों की संख्या

*१०७--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की कलेक्टरी में कितने चपरासी कार्य करते हैं? उनकी संख्या क्या है? उनमें कितने अस्थायी हैं, कितने स्थायी हैं और इनमें कितने हरिजन हैं?

श्री चरणसिंह--जिला गोंडा की कलेक्टरी में कुल १०९ चपरासी कार्य करते हैं जिनमें ९३ स्थायी हैं और १६ अस्थायी हैं। इनमें १ स्थायी और १ अस्थायी हरिजन चपरासी हैं?

जिला भूमि-सुधार अधिकारी, सीतापुर को मौजा हड़हरमऊ और सरैंयासेठ निवासियों का प्रार्थना-पत्र

*१०८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला भूमि सुधार अधिकारी, सीतापुर को नवम्बर, १९५६ में ग्राम समाज शंकरपुर, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के अन्तर्गत मौजा हड़हरमऊ और सरैंयासेठ के निवासियों का ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उक्त ग्रामों के निवासियों ने ग्राम सभा शंकरपुर से अलग उक्त दोनों मौजों को मिलाकर नियमानुसार ग्राम समाज बनाये जाने की प्रार्थना की थी?

श्री चरणसिंह--जिला भूमि सुधार अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र १२ जनवरी, १९५७ को आया था।

*१०९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री चरणसिंह--यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

नैनीताल में स्टेडियम निर्माण-हेतु भूमि की प्राप्ति

*११०--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नैनीताल में जो स्टेडियम सरकार बनवाने का विचार कर रही है उसके लिये कितनी भूमि की आवश्यकता होगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, लगभग २,६१,१७३ वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी।

*१११--श्री प्रतापसिंह--सरकार उपर्युक्त भूमि को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और इस दिशा में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह स्टेडियम सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि रीजनल कौन्सिल आफ स्पोर्ट्स, कुमायूं की तरफ से बनेगा। रीजनल कौंसिल आफ स्पोर्ट्स की ओर से नगरपालिका, नैनीताल से भूमि प्राप्त करने के हेतु लिखा-पढ़ी की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में खरीफ की फसल की मालगुजारी की बिना छूट का पर्चा दिये वसूली

*११२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में खरीफ एवं रबी के फसल की मालगुजारी की छूट का पर्चा सन् १९५६ एवं १९५७ में किसानों को बिना बांटे ही मालगुजारी वसूल की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—यह सही नहीं है कि खरीफ १३६४ फसलों की मालगुजारी किसानों को छूट का पर्चा दिये बिना ही वसूल की गई। हां, रबी १३६४ में छपे पर्चों के उपलब्ध न होने के कारण वसूली बिना पर्चों को बांटे ही शुरू कर दी गई थी, परन्तु स्थगन के रेट की सूचना सभी संबंधित ग्राम प्रधानों तथा सर्व साधारण को मनादी के द्वारा देने के पश्चात् ही वसूली शुरू की गई थी।

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में ३० एकड़ से ऊपर के खाते

१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में ३० एकड़ से ऊपर के कितने खाते हैं?

श्री चरणसिंह—इटावा जिले में ३० एकड़ से ऊपर के कुल ५२० खाते हैं।

इटावा जिले के कलेक्शन विभाग में नान मिडिल पास अमीन

२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कलेक्शन विभाग में कितने अमीन ऐसे हैं जो मिडिल पास नहीं हैं?

श्री चरणसिंह—कलेक्शन विभाग में सालभर रहने वाले ऐसे केवल १० अमीन हैं, जो मिडिल पास नहीं हैं।

खीरी जिले में कथित मेहमान-गृह निर्माण

३—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी जिले में पलिया कालोनी से लगाकर बेहजम ब्लाक तक याने पूरे जिले में कितने सरकारी मेहमान गृह बने और उनके बनाने में क्या-क्या खर्चा हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक भी नहीं।

बेहजम ब्लाक, जिला खीरी पर व्यय

४—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेहजम ब्लाक में कितना रुपया खर्च हुआ, उसमें कितना जनता पर और कितना सरकारी क्वार्टर बनवाने पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बेहजम ब्लाक में ३१ अगस्त, १९५७ तक ६,२९,७९३ रुपया खर्च हुआ है। इसमें से सरकारी क्वार्टरों पर अब तक ५५,४८४ रु० व्यय हुआ है। इस रुपये को और सरकारी नौकरों की तनख्वाह और भत्ते के १,०२,०८१ रुपया को छोड़कर बाकी रुपया जनता के कार्यों पर व्यय हुआ।

पलिया कालोनी में किसानों की हस्तगत की गई भूमि

५—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पलिया कालोनी में किन-किन काश्तकारों की जमीन acquire की गयी और सम्पूर्णानन्द नगर में जनता के कितने मकान बनवाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पलिया कालोनी में जिन काश्तकारों की जमीन acquire की गयी उनके नाम संलग्न सूची में हैं।

सम्पूर्णानन्द नगर में जनता के कोई मकान नहीं बने हैं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २९४–२९६ पर)

किरावली और खैरागढ़ तहसीलों में बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वेश्वरानन्द जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है कि किरावली और खैरागढ़ तहसीलों में बाढ़ के कारण सैकड़ों ग्रामों की स्थिति संकटापन्न हो गयी है और १४–१५–१७ को भीषण वर्षा हो जाने से वहां बीमारी भी बढ़ रही है।

इसके बारे में उन्होंने बहुत से प्रश्न कर लिये हैं और उनको उत्तर भी मिल गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण नुकसान का रोजाना का किस्सा इस समय है तो रोज के रोज इसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है और मैं इसको इतने महत्त्व का नहीं समझता हूं, क्योंकि इसके ऊपर बहस हो चुकी है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—मैं आपकी आज्ञा से इतना कह देना चाहता हूं कि आपने उस दिन कहा था माननीय माल मंत्री जी से कि रिपोर्ट आने के बाद वह अपना वक्तव्य दे दें, लेकिन कोई बात किरावली और खैरागढ़ के बारे में जो २०० गांवों में नुकसान हुआ है....।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में आखीर में कहूंगा, पहले सब निबट जायं।

मेरठ, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर व बदायूं जिलों में बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री भजनलाल जी का पश्चिमी जिलों में बाढ़ से नुकसान होने के संबंध में एक काम रोको प्रस्ताव है कि "पश्चिमी जिलों में मेरठ, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर और बदायूं में, बाढ़ के कारण भीषण क्षति हुई है और खरीफ की फसल तो अधिकांश चौपट हो गई है। इटावा में जमुना, चम्बल, क्वारी, सिन्द, पहूज, सेंगर, अरन्ड, कानडो नदियों में एकबारगी भीषण बाढ़ आ जाने से हजारों एकड़ भूमि पानी से भर गई है, सैकड़ों मकान धराशायी हो गये हैं, सड़कों पर यातायात बन्द हो गया है और उन पर पानी भरा हुआ है। सरकार की ओर से लोगों को बाढ़ से निकालने और तात्कालिक सहायता पहुंचाने में बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है जिससे अनेक व्यक्तियों एवं जानवरों का जीवन संकटापन्न स्थिति में हो गया है।

अतएव उपरोक्त बाढ़ से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में यह बात है कि यह बाढ़ के सम्बन्ध में है और इसके ऊपर काफी प्रकाश माननीय माल मंत्री जी डाल चुके हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)— श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये। जब तक मैं बोल रहा हूं आप बीच में न बोलें, इसके लिये मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री भजनलाल—मैं यह कहना चाहता हूं कि इतनी भीषण बाढ़ आई हुई है कि वहां पर ज्वार, बाजरा और धान की फसल करीब-करीब चौपट हो गई है और जसवन्तनगर में मकान ध्वस्त हो गये हैं और देहातों में हाहाकार मचा हुआ है। यह नेशनल हैराल्ड का ही समाचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मंत्री जी के पास यह सब पहुंचा दिया गया है कि क्या-क्या काम होने चाहिये और सदन ने क्या राय दी है।

श्री भजनलाल—मैं चाहता था कि इस पर विवाद के लिये....

श्री अध्यक्ष—विवाद से कुछ काम नहीं हो सकता है। हर एक बात पर विवाद हो तो कैसे काम चल सकता है।

जिला बोर्डों के चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव श्री जगन्नाथ प्रसाद जी का है कि "विधान सभा प्रदेश में जिला बोर्डों का चुनाव अनेक आश्वासनों के बावजूद अब तक न कराये जाने के कारण प्रदेश व्यापी असन्तोष से उत्पन्न सार्वजनिक महत्व के निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करती है।"

इसके बारे में परिस्थिति यह है कि यह कोई नया सवाल नहीं है और इसमें अर्जेन्सी बिल्कुल नहीं है कि इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव होकर सदन का कार्य स्थगित किया जाय। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

किरावली और खैरागढ़ तहसीलों की बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय माल मंत्री जी के पास अगर किरावली और खैरागढ़ की बाढ़ के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो तो वह दे दें।

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)—किरावली और खैरागढ़ की बाढ़ के सम्बन्ध में कोई अभी तक हमें जानकारी नहीं मिल सकी है। वहां पर टेलीफोन कनेक्शन कायम नहीं है। वायरलेस हमने भेजा है, लेकिन कलेक्टर की तरफ से अभी तक कोई इत्तिला नहीं आई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, वायरलेस भेजे हुये ५-६ दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष—इत्तिला नहीं आई, इसके लिये सूचना नहीं दे सकते हैं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि एक पत्र १० जून को भेजा गया, दूसरा ६ अगस्त को और तीसरा पत्र २८ अगस्त को मंत्री जी के पास भेजा गया, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिल सका। इससे मैं नहीं जान सकता कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है। इस बात का हमें बड़ा दुःख है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि आप जून की बात कहते हैं और आपका प्रस्ताव सितम्बर की बारिश से सम्बन्धित है, तो जून में कैसे इसका पता चल गया ?

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—श्रीमन् परिस्थिति पहले भी खराब थी और अब तो और भी परिस्थिति खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष—आप कमरे में जाकर मंत्री जी से यह सब बातें तय कर लीजिये।

पश्चिमी जिलों की बाढ़ के विषय पर विवादार्थ समय निर्धारण के लिये प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं यह निवेदन करूंगा कि पश्चिमी जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में काफी कामरोको प्रस्ताव आये हैं, इसलिये यदि माननीय मंत्री जी कल विवाद के लिये राजी हो जायं तो बहुत अच्छा है। समाचार-पत्रों में निकला है कि बुलन्दशहर के मुहल्लों को खाली करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि वहां की स्थिति गम्भीर है। इसलिये कल इस पर विवाद हो सके तो बहुत अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---अब तो यह विधेयक चल रहा है तो कल कैसे विवाद हो सकेगा ? इस विधेयक को समाप्त करनेके बाद कह रहे हैं या पहले ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---५ बजे के बाद समय निकाल सकते हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---मैं समझता हूं कि किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई नयी बात तो बतायी नहीं जाती है और अगर किसी मित्र को कोई सुझाव ऐसा देना हो कि जो अब तक किसी ने नहीं दिया है या जिस पर अमल किया जा सकता है तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, लेकिन मैं किसी विवाद की आवश्यकता नहीं समझता। समय की बात नहीं है चाहे जितना ले लें लेकिन बेकार है।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---यहां से कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक के बारे में संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करने के लिए विधान परिषद् को लिखा गया था। उसके जवाब में सभापति, विधान परिषद् की ओर से यह उत्तर आया है :

"विधान परिषद् की नियमावली के नियम १६९ (१) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तरप्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १२ सितम्बर, १९५७ की बैठक में श्री चरण सिंह, माल मंत्री का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है :

> "उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५७ ई० के कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ४ महीने के भीतर उपस्थित करे।"

विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया :---

१---श्री कृष्णचन्द्र जोशी
२---श्री बंशीधर शुक्ल,
३---श्री प्रतापचन्द्र आजाद
४---श्री वीरेन्द्र स्वरूप
५---श्री इन्द्रसिंह नयाल
६---श्री कन्हैयालाल गुप्त
७---श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार
८---श्री परमात्मानन्द सिंह।

अब जो नजाम विधान सभा की तरफ से माल मंत्री ने प्रस्तावित किये हैं उनके ऊपर राय ले लूं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, उस रोज जो मैंने नाम दिये थे मुझे उन पर फिर विचार करना है। उस रोज मुझसे यही बतलाया गया था कि अभी ये नाम देना कल-अज-वक्त है, जब कौंसिल से आ जायं तब नाम देने चाहिये।

श्री अध्यक्ष---तो आप कल देंगे ?

श्री चरणसिंह---जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये निर्वाचित सदस्य

श्री अध्यक्ष—दूसरी यह सूचना सभापति, विधान परिषद् की तरफ से आयी है :

"विधान परिषद् की नियमावली के नियम १६९ (१) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ सितम्बर, १९५७ की बैठक में श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा उपमंत्री, का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है :

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५७ ई० के राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।"

विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया :

१—श्री एम० जे० मुकर्जी
२—श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल
३—श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल
४—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा
५—श्री पन्नालाल गुप्त
६—श्री शिवकुमार लाल श्रीवास्तव
७—श्री कन्हैयालाल गुप्त
८—श्री वीरेन्द्र स्वरूप।

अब शिक्षा मंत्री जी यह बतायें कि वे विधान सभा की तरफ से १६ नाम किन सदस्यों के प्रस्तावित करना चाहते हैं। आप उनके नाम कल पेश करेंगे ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—मैं अभी पेश करता हूं। मैं आपके पास भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप पेश कर दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा से निम्नलिखित नाम रख दिये जायं :

श्री नवलकिशोर, श्री गोविन्द सहाय, श्री जगदीश प्रसाद, श्री भगवती प्रसाद दुबे, श्रीमती सज्जनदेवी महनोत, श्री सुल्तान आलम खां, श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री शिव प्रसाद, श्री इस्तफा हुसैन, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री रामायण राय, श्री अवधेश प्रतापसिंह, श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे और श्री कैलाश प्रकाश।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा की ओर से निम्न सदस्य निर्वाचित किये जायं :—

श्री कैलाश प्रकाश
श्री नवल किशोर
श्री गोविन्द सहाय
श्री जगदीश प्रसाद
श्री भगवती प्रसाद दुबे
श्रीमती सज्जन देवी महनोत
श्री सुल्तान आलम खां
श्री महावीर प्रसाद शुक्ल
श्री शिव प्रसाद
श्री इस्तफा हुसैन
श्री नारायणदत्त तिवारी
श्री रामायण राय
श्री अवधेश प्रताप सिंह
श्री मोतीलाल अवस्थी
श्री चन्द्रजीत यादव
श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—सभापति के लिये नियम के अनुसार मैं शिक्षा मंत्री को मनोनीत करता हूं जो इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

आगामी बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, कल मंत्री जी ने विधान सभा की आगामी बैठक के सम्बन्ध में कुछ बताने को कहा था...

श्री अध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) तो मैं समझता हूं कि आप निश्चित तो कुछ नहीं कहेंगे, महीना वगैरह आप बतला दें। आप को मुझ से भी तो बात करनी है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---तारीख तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि नवम्बर के पहले सप्ताह के पहले तो सदन की बैठक नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---नवम्बर में करने का इरादा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ऐसा विचार है।

प्रश्न ९४-९५ के उत्तरों के सम्बन्ध में श्री गेंदासिंह द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रश्न ९४-९५ के उत्तरों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह उत्तर जो हैं वह माननीय सदन की प्रतिष्ठा और नियम के विरुद्ध हैं...

श्री अध्यक्ष---इस वक्त आप इसको उठा नहीं सकते।

श्री गेंदासिंह---मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उसके लिये अलियेस्ट अपार्चुनिटी मैंने ली है। कल इसके सम्बन्ध में मैं अधिक कहूंगा।

कानपुर में पकड़े गये पदार्थों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आज के समाचार-पत्रों में कानपुर में जो कुछ पदार्थों के पकड़े जाने की खबर मिली है उसके कारण लोगों के बीच में एक उत्तेजना है और खास कर इसलिये कि उसका सम्बन्ध काश्मीर प्रश्न से लगाया जाता है। तो चूंकि सदन कल समाप्त हो रहा है इसलिये क्या माननीय मुख्य मंत्री उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---इसके सम्बन्ध में मैं मौका दे दूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री जी यदि इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं तो वे कल प्रकाश डाल सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ सूचना अखबारों में निकली है उससे कुछ अधिक सूचना देना हमारे लिये संभव नहीं है और उसका काश्मीर या किसी और प्रश्न के साथ सम्बन्ध है या नहीं, इसके सम्बन्ध में भी हमारे लिये कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि यह हाल की ही बात है और अभी तक पूरे तौर से जांच होकर पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है।

आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट में कार्य करने के लिये पिछली विधान सभा द्वारा निर्वाचित सर्वश्री विष्णुदयाल वर्मा, पुत्तूलाल, इस्तफा हुसैन, द्वारिका प्रसाद मित्तल और रमानाथ खैरा के उक्त विधान सभा के विघटन से

रिक्त स्थान पर आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, जैसा कि वह आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग (५) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट में कार्य करने के लिये पिछली विधान सभा द्वारा निर्वाचित सर्वश्री विष्णुदयाल वर्मा, पुत्तूलाल, इस्तफा हुसैन, द्वारिका प्रसाद मित्तल और रमानाथ खैरा के उक्त विधान सभा के विघटन से रिक्त स्थान पर आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, जैसा कि वह आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधियियम, १९५३, द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग (५) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---निर्वाचन की तिथि के सम्बन्ध में मुझे अधिकार दिया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आदरणीय सदन क्या यह चाहता है कि इसके सदस्य, कल सदन के पूर्व, निर्वाचित हो जायं या अगले अधिवेशन में ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बेहतर होगा कि कल ही इसका निर्वाचन हो जाय।

श्री अध्यक्ष---तो उस हिसाब से मैं समय निर्धारित कर देता हूं। मैं समझता हूं कि किसी को उसमें आपत्ति नहीं होगी। उसके लिये यह कार्यक्रम रहेगा कि नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने का समय आज ही, १९ सितम्बर को, दिन के २ बजे तक रहेगा। नामों की सूक्ष्म-परीक्षा आज दिन के ४ बजे तक सचिव, विधान सभा के कमरे में होगी। नाम वापसी का समय कल ११ बजे तक रहेगा। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो कल विधान वाचनालय में दिन के ३ बजे से साढ़े ५ के मध्य कल ही होगा।

*उत्तर प्रदेश बृहत् जोतकर विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष--- अब माननीय माल मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

इस बिल के सम्बन्ध में, जब यह पिछले सप्ताह यहां आया था तो यह बात तय हुई थी कि यदि इस विधेयक के ऊपर यहां विचार किया जायगा तो उसको २० तारीख तक समाप्त कर देंगे। अब इसके ऊपर विचार हो रहा है, तो यह कल समाप्त हो जायगा। तो उस पर भाषण देने के लिये समय का निर्धारण जो अध्यक्ष या सभापति यहां पर बैठेंगे, वह करेंगे। मैं समझता हूं माननीय नेता विरोधीदल इससे सहमत होंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---जी हां, इसमें सन्देह नहीं है कि कल तक यह पारित होना ही है तो उस पर भाषण देने के लिये समय निर्धारित कर दिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---जी हां, कल तक यह पास हो जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमन् मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मुझे तो यह मालूम होता है कि आप के दल के नेता की भी यही राय है।

---

*प्रवर समिति का प्रतिवेदन १७ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

श्री त्रिलोकीसिंह---जो स्पीचेज होंगी उन पर कोई समय नियत हो जायगा। मालूम होता है माननीय मित्र को कुछ भ्रम हो गया है।

श्री अध्यक्ष---जी हां। उसके लिये समय निर्धारित बाद में हो जायगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री अवधेश प्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर! श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है। मैं आपका ध्यान नियम १०५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा है कि "विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विधेयक-भार साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकता है :---(क) कि विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, विचारार्थ लिया जाय; परन्तु कोई भी सदस्य उसके इस प्रकार विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है, यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये तीन दिन तक उपलभ्य न रही हो, और यह आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रतिवेदन को विचारार्थ लेने की अनुज्ञा न दे दे।"

श्रीमन् मैं एजेण्डे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट १७-९-१९५७ को सदन की मेज पर रखी गयी और अभी तक केवल २ दिन मिले हैं। यह बिल बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैं यह आशा करता हूं कि आप गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार कर अपोजिशन को यह अवसर दें कि वह इस पर समझकर बोलें। यदि समय नहीं मिलेगा तो उसका यह लाजिमी नतीजा है कि विवाद का स्तर गिर जायगा।

श्री अध्यक्ष---जो वैधानिक आपत्ति आपने उठायी है उस से एक चीज तो स्पष्ट ही है जो नियम में दी है वह यह कि :---

"Such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

यानी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर कम समय हो तो तीन दिन के बजाय कम समय भी इसके लिये अध्यक्ष निर्धारित कर सकता है। यह प्रश्न पहले उठाया गया था और यह भी तय हो गया था कि कब यह विधेयक लिया जायगा। प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिये १६ तारीख पहले निश्चित थी बाद को यह तय हुआ कि १६ को नहीं आ सकता है तो १७ को सदन में आयेगा और फिर यह तय हुआ कि उस पर १९-२० को यानी केवल दो रोज विचार होगा। यह उस विधेयक के अन्दर इंगित था कि रिपोर्ट १७ को पेश होगी और १९-२० को इसके ऊपर बहस होगी और २ ही रोज होगी। जब सदन ने इस को स्वीकार कर लिया था तो मुझे दुःख के साथ आपको निराश करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सदन की यह इच्छा थी और उस इच्छा को मैं समझता हूं मुझे ज्यादा कद्र करनी चाहिये। उसमें कहा गया था कि १७ तारीख को उपस्थित होगा और १९-२० को विचार होगा। इसलिये इसकी मैं खासतौर पर इजाजत देता हूं और यह उपस्थित किया जा सकता है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं :---

"उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, पर जो रिपोर्ट प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी है, वह पुनः प्रवर समिति के पास भेजी जाय।"

मान्यवर, इस संशोधन को लाने का जो आशय है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं कम से कम इस के द्वारा एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करवाना चाहता हूं जिस से भविष्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में चल कर प्रवर समितियां केवल इस काम के लिये ही न बैठायी जायं कि एक तरह से पूर्णरूप से पहले से ही तय हो जाता है कि हम थोड़ी ही देर में इस चीज को खत्म कर देंगे।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं श्रीमन् का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह विधेयक इस सदन में आया था तो उस समय जब वह सेलेक्ट कमेटी में गया तो इतना कम समय सेलेक्ट कमेटी को मिला कि उसमें पूर्णरूपेण विचार करना असंभव था। केवल चन्द घंटों में ही उस पर विचार हो गया। नोट आफ डिसेंट भी बहुत जल्दी लोगों से लिया गया इसलिये वह भी उस तरह से नहीं आ पाया जिस तरह से नोट आफ डिसेंट को आना चाहिये था। इस विधेयक में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण खंड हैं कि सेलेक्ट कमेटी में अवश्य ही उन पर विधिवत् विचार नहीं हुआ होगा।

श्रीमन्, मैं यह संशोधन भी कर सकता था कि यह दूसरी कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय, लेकिन मैं समय बरबाद नहीं करना चाहता कि दूसरी कमेटी फिर से बनायी जाय। अगर खंड ४ को देखा जाय तो अब भी इस से कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जिस से आयन्दा लोगों को इस से लाभ पहुंच सकेगा। मैं यह भी कहूंगा कि सरकारी पक्ष से भी काफी संशोधन लाये गये हैं। शाब्दिक भी हैं और इतने संशोधन हैं कि आज सरकार को यह कठिनाई महसूस हो रही है कि वह संशोधनों द्वारा इस विधेयक में सुधार करे। श्रीमन्, मेरा अनुरोध आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय तथा इस सम्मानित सदन के सदस्यों से यह है कि इस विधेयक को पुनः सेलेक्ट कमेटी के पास वापस किया जाय और सेलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे कि बहुत से ऐसे खंड इस में हैं जिनको जल्दबाजी में छोड़ दिया गया है या जिन पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया है, उन पर पुनः विचार करे और विचार करके अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय मंत्री महोदय हठधर्मिता के आधार पर क्यों चाहते हैं कि यह विधेयक कल २० तक पारित हो जाय? वे क्यों इस टैक्सेशन को तुरन्त लागू करना चाहते हैं? जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी इस सदन को बतलाया कि वे नवम्बर में फिर सदन को बुला रहे हैं तो इस बीच में कौन सी आफत हो जायगी जिस की वजह से माननीय मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव को न मानें कि इस को सिर्फ एक महीने सवा महीने के लिये रोक दें? ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अपनी जगह पर है इसका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

गवर्नमेंट का बहुत-सा टैक्सेशन नवम्बर-दिसम्बर में हुआ करता है। फिर कौन ऐसी नेशनल इमर्जेंसी या आपत्ति है, या कौन ऐसी कलामिटी आ गयी है जो इस टैक्सेशन के बगैर काम न चलेगा। न कोई बार ही है जिस के कारण यह समझा जाय कि जब तक यह विधेयक पारित नहीं किया जायगा तब तक उसके लिये धन उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इस प्रदेश में अगर कोई भारी संकट पड़ जाय तो मैं समझता हूं कि ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स अपनी जगह पर है, उसको एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये सस्पेंड किया जा सकता है, उसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं है। एक महीने, सवा महीने बाद जब हाउस पुनः मिलेगा तो उस वक्त इसको पारित किया जा सकता है। उसमें बहुत से संशोधन लाये जायेंगे। यह सिर्फ ऐसा विधेयक नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स दूसरे रूप में है। मैं समझता हूं कि कदापि यह नहीं है। ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और इसमें महान् अन्तर है। यह ऐग्रीकल्चरल वेल्थ टैक्स है। यदि आप इसको एक दो दिन में ही पास करा लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक महान् अन्याय होगा।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

मान्यवर, यह आज्ञा हो चुकी है कि यह विधेयक इस सदन के सम्मुख विचारार्थ आ सकता है। मुझे आपकी वह आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु श्रीमन्, आप जिस स्थान पर बैठे हैं, वहां से अपोजिशन को सहूलियत नहीं देंगे तो यह अपने विशाल बहुमत के बल पर किसी भी नियम व कानून को पास करा सकते हैं। अगर सरकार का प्रयोजन नहीं है और माननीय मंत्री महोदय की इच्छा है कि यह पारित हो तो यह दूसरी हिटलरशाही की बात होगी।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवधेश प्रताप जी, यह तो आपकी तरफ से स्वीकार हो चुका है, आपके लीडर यह स्वीकार कर चुके हैं कि यह कल तक समाप्त हो जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं भी कहता हूं कि जो लीडर को स्वीकार है, वह मुझको भी स्वीकार है, लेकिन मैं कहता हूं कि लीडर महोदय को परिस्थिति क्या मालूम है, वे सेलेक्ट कमेटी के सम्बन्ध में क्या जानते हैं? वे सेलेक्ट कमेटी में नहीं थे और न उनको मालूम है कि वहां पर क्या कार्यवाही की गयी है। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं. लेकिन मैं अपील करता हूं कि....

श्री अधिष्ठाता—आपने जो माल मंत्री के लिये कहा कि यह हिटलरशाही होगी यदि दो दिन में यह पास कर दिया गया, तो यह तो आप के लीडर ने स्वीकार कर लिया है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—हमारे नेता पालीवाल जी उन परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—यह बड़े अफसोस की बात है कि आप इस तरह से अपने नेता के बारे में कह रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि सम्भव है उनको वास्तविकता का ज्ञान न हो, मैं समझता हूं इसमें थोड़ा सा भ्रम हो रहा है, यदि आप आज्ञा दें तो वह दूर कर दूं। आप के हुक्म की मैं तामील करूंगा ....

श्री अधिष्ठाता—जिस नियमावली के नियम का आपने अभी जिक्र किया था उसमें तो यह है कि आप एक ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे और माननीय माल मंत्री जी उस का जवाब देंगे और उसके बाद उस पर वोट ले लिया जायगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—रूलिंग तो श्रीमन् आप की शिरोधार्य है। मैं नियम का विरोध नहीं करता। मुझे नियम १०६ मालूम है, वह ठीक है। लेकिन मैं आप से अनुरोध करूंगा कि यह अपोजीशन के साथ अन्याय हो रहा है और मैं इसको इसलिये सेलेक्ट कमेटी में फिर भेजना चाहता हूं कि अन्याय होने से बच जाय। वैसे मैं उसका स्वागत करूंगा, वह उनके लिये कल्याणकारी हो सकता है और हमारे लिये भी लाभप्रद हो सकता है.....

श्री अधिष्ठाता—उस को आप कह सकते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मुझे माननीय माल मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, उनके सुन्दर तर्क भी होते हैं, यद्यपि कभी-कभी मैं उन से सहमत नहीं हो पाता हूं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी पर मैं लांछन नहीं लगाता।

अब आप इस विधेयक में देखें कि अपनी जगह पर इसमें एक चीज है जिस की वजह से हर जगह झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। वह प्रसंग में पढ़े देता हूं कि "Provided that....

श्री अधिष्ठाता—आप के पास हिन्दी में है आप हिन्दी में पढ़ें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—खण्ड ४ और उससे सम्बन्धित स्पस्टीकरण में पढ़ रहा हूं—

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "जोत" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्चय से है जो प्रत्येक कृषि वर्ष में जुलाई के प्रथम दिनांक पर किसी क्षेत्रपति द्वारा उपभुक्त या अध्यासित हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वयमेव क्षेत्रपति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उपभुक्त या अध्यासित भूमि, यदि भूमि का प्रबन्ध अथवा उस पर खेती पृथक् रूप से न होती हो, उस क्षेत्रपति की जोत का भाग समझी जायगी।"

यह जो खंड ४ है इस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस का फैसला कौन करेगा? इस का फैसला पुनः जाकर वही असेसिंग आथारिटी करेगी, वही इस बात का निर्णय देगी कि यह जो प्रबन्ध है वह संयुक्त है या अलग है या उसमें जोत या काश्त जो होती है वह कौन व्यक्ति कर रहा है। मैं फिर यह कहूंगा कि आज इस सूबे में यह सौभाग्य है कि वह दल और यह दल, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, कोई भी आपके सरकारी कर्मचारियों की बुद्धिमत्ता पर अब भरोसा नहीं रखते हैं। इस सदन की पिछले ३ दिन की बहस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके बारे में लेजिस्लेचर की या जनता की राय क्या है। यह हो सकता है कि माननीय माल मंत्री जी के लेखपाल ईमानदार हों, उनके विभाग के कर्मचारी ईमानदार हों, यह भी मैं स्वीकार कर लूं लेकिन जहां तक ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न है उस सम्बन्ध में तो यहां यह समझना कठिन हो जाता है कि यहां डेमोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी है। उधर के लोगों ने जो पिछले दो तीन दिन में इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर प्रकाश डाला है वह इस तरफ के लोगों के कहने से कहीं ज्यादा था, अपोजीशन के लिये तो कहा जा सकता है कि सरकार की बदनामी करने के लिये वह ऐसा करता है लेकिन उस पक्ष के.....

श्री चरणसिंह—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं कि जैसा स्वयं श्री अवधेशप्रताप सिंह जी ने कहा था कि मुझे रूल १०६ मालूम है, उसका मतलब यह है कि ब्रीफ स्टेटमेंट होगा, स्पीच नहीं। स्पीच और स्टेटमेंट में अन्तर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अधिकारियों को कुछ अधिकार दिये गये हैं, वह बड़े निकम्मे हैं और भ्रष्टाचारी हैं....

श्री अधिष्ठाता—भ्रष्टाचारी तो उन्होंने नहीं कहा।

श्री चरणसिंह—यह कहा कि निकम्मे हैं। तो वह बहुत डिटेल में जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—उन का इशारा इस तरफ है कि इस बात का निर्णय, दफा ४ का जो एक्सप्लेनेशन है, वह अधिकारी करेगा और वह कहते हैं कि अधिकारियों पर उनका भरोसा नहीं रह गया है।

श्री चरणसिंह—प्वाइंट यह है कि इतने डिटेल में जाना चाहिये या नहीं। यह बहस करने के लिये अधिकारियों पर आ गये।

श्री अधिष्ठाता—यह बात आप सही कहते हैं। माननीय अवधेश प्रताप जी, आप संक्षेप में कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, आपने मेरी सहायता की इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को केवल यह बता देना चाहता हूं कि वह उठते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं?

मैं सिर्फ यह कह दूं कि क्या कोई वेद का मंत्र है जो मैं पढ़ दूं कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर वे सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये तैयार हैं तो मैं अपने भाषण को अभी समाप्त करता हूं। उनसे पूछ लीजिये, श्रीमन्, यदि उनको यह स्वीकार नहीं है तो सिर्फ यह कहना कि मैं कुछ न कहूं यह कैसे

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

हो सकता है । बड़ी मजबूरी यह है कि हमारे मंत्री महोदय ने पूरी ठेकेदारी ब्यूरोक्रेसी की ले ली है । उनके विभाग तक तो मैं प्रसन्न रहता हूं जब वह उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जब वह चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले करने लगते हैं, वह किसी भी विभाग के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी शान्ति रखें और जो मैं कह रहा था वह सहर्ष सुनें । उनको समझना चाहिये कि मैं आखिर किस-लिये यह कहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । सिर्फ इसलिये नहीं कि कागज खराब हो, वक्त खराब हो और मेम्बर बैठें और बिल न पास हो ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय माल मंत्री के कहने का तात्पर्य यह था कि आप इतना कह सकते थे कि खंड ४ की जो परिभाषा है वह परिभाषा भी ठीक नहीं है । उसको थोड़े में कहते । और कोई बात नहीं है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं थोड़े में कहता हूं । यही एक सेक्शन नहीं है । मैं इस सेक्शन को भूल ही जाता हूं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का नाम न आने पाये । मैं उसको छोड़ देता हूं । और बहुत से खंड हैं ।

जहां आप पेनाल्टी लेना चाहते हैं, तो पेनाल्टी का प्रश्न कहां पैदा होता है ? एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यु की तरह से यह टैक्स वसूल होगा । म्युनिसिपिल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास भी हाउस टैक्स है, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं है । क्या उनका माल विभाग इतना निर्बल हो गया है कि वह मालगुजारी न वसूल कर पाये ? श्रीमन्, माल मंत्री तो वह शक्तिशाली पुरुष हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मालगुजारी वसूल कर लेते हैं । टैक्स वसूल करने में क्या कठिनाई की बात है ? जब वह पूर्वी उत्तर-प्रदेश में वसूल करते हैं तो ऐसे बलवान पुरुष के लिये यह कहना कि टैक्स न वसूल कर पायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता । श्रीमन्, इसमें जहां तक पेनाल्टी का सवाल है वह न होना चाहिये, यह भी सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिये ।

उसके बाद फिर एक बेसिक फंडामेंटल सिद्धान्त आता है । यह अब एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं रहा, आय पर कर नहीं है । अब यह प्रापर्टी टैक्स है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के भी कुछ सिद्धान्त हैं । उनकी भी पालिसी है । उनका भी कार्यक्रम है । प्लानिंग कमीशन है । आज सेंटर में एक कानून ऐसा पास हुआ है जिससे वेल्थ टैक्स लग रहा है, लेकिन उसमें भी एग्जेम्शन लाखों के ऊपर का है । उत्तर प्रदेश, जहां पर कम से कम ६७ प्रतिशत लोग खेती करते हैं उस जगह यह टैक्स ला रहे हैं । मैं कहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर कोई टैक्स ला कर क्या कर लेंगे । यह तो श्रीमन्, माननीय माल मंत्री के टैक्स से ही सूबा दबेगा और किसी दूसरे मंत्री के टैक्स लगाने से नतीजा हासिल नहीं होता । मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि माननीय माल मंत्री हर चीज से वाकिफ हैं । वह पढ़े-लिखे विद्वान हैं, वह इस विषय से भली-भांति परिचित हैं ।

लेकिन मुझे आश्चर्य यह होता है कि वे टैक्स लगाते वक्त यह भूल जाते हैं कि इसका असर उन्हीं किसानों पर पड़ेगा जिनके नुमाइन्दे वह हैं । अगर हम भी उनके नुमाइन्दे हैं तो वह उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं कि हम किसान हैं । आज वेस्टर्न यू० पी० में बहुत से किसान हैं और उनकी बिरादरी के हैं जिनके पास ३० एकड़ क्या बहुत कम एकड़ भूमि है । वे बेचारे कैसे इस टैक्स का भार सहन कर पायेंगे ? यह कहना कि नेशनल लास हो रहा है, तो अब माननीय मंत्री जी के क्राइटेरियन के मुताबिक कितने किसान खेती यू० पी० में कर पायेंगे ? न वे उनकी तरह मंत्री-पद का भार सहन कर सकते हैं और न किसानी ही उनकी तरह कर सकते हैं । बदकिस्मती तो यह है कि न मुझे उनकी जगह जाना है और न मैं किसानी कर सकता हूं लेकिन यह तो होना चाहिये कि वे खेती कर सकें ऐसा न हो कि लोग खेती छोड़ कर भागने लगें ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय अवधेशप्रताप जी, अब आप प्रिन्सिपिल पर जा रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब एक मिनट और लूंगा। मुझे सिर्फ यह कहना है कि हिस्टरी आफ़ पार्लियामेंट में यह निश्चित है कि बहुत से काम जो कमेटीज़ में हो जाते हैं वे हाउस में नहीं हो पाते हैं। हाउस में फिर अभी वही सिस्टम चलेगा कि हमारी तरफ से अगर कोई संशोधन है तो उधर से नहीं स्वीकार होगा। अगर उधर ही से वह मूव हो तो स्वीकार हो जायगा। सेलेक्ट कमेटी में वातावरण दूसरा होता है और उसमें बहुत सी बातें हम मंत्री महोदय से मनवा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब उस कुर्सी पर वे विराजमान होते हैं तो उनको सुनना भी नागवार लगता है। हाउस में किसी दूसरे से बात कर सकते हैं लेकिन अगर कोई मेम्बर बोल रहा है तो उसकी परवाह नहीं करते। अगर यही परम्परा हमारे हाउस में चलती रहेगी तो यह बात आपको रोकनी होगी और मंत्री महोदय के लिये आवश्यक होगा कि कम से कम इस बात पर ध्यान दें। यह कहकर मैं समाप्त करता हूं।

*श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव यह है कि यह फिर दोबारा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि ३० खंडों का एक बहुत छोटा सा, अगर मैं इसे मासूम कहूं तो कोई हर्ज नहीं है, यह विधेयक है। ऐग्रीकल्चरल इन्कम-टैक्स ऐक्ट जो आज नाफ़िज है करीब-करीब उसकी जो धारायें हैं वही इसमें हैं और वही शब्दावली है। सिर्फ तीन-चार अन्तर इस में किये गये जो मैंने उस रोज अपने प्रस्ताव को पेश करते हुये बताये थे। तो मेरा कहना यह है कि इसका असर तो बेशक बहुत होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और माननीय अवधेशप्रताप सिंह जिस तरह से चमकते हैं उससे मुझे खुशी होती है कि असर होने वाला है। असर तो होगा, लेकिन वैसे जहां तक इसकी शब्दावली या इसकी धाराओं का या इस के मुताल्लिक जो ला है, वह कोई नई चीज हो एकदम ऐसी बात नहीं है। तीन घंटे उस रोज हमने विचार किया ९ बजे से लेकर १२ बजे तक और कोई धारा हमने छोड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं की। बोलने का मौका भी हर मित्र को मिला और माननीय मित्र, श्री अवधेशप्रताप सिंह जी, जहां तक याद है शायद उसके सदस्य भी थे ...

श्री अवधेशप्रताप सिंह--नहीं था।

श्री चरणसिंह--खैर नहीं थे, तो मैं यह समझता हूं माननीय राजा बीरेन्द्रशाह और माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी ने माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी के दृष्टिकोण की पैरवी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--राजा बीरेन्द्रशाह भी नहीं थे।

श्री चरणसिंह--खैर और दूसरे एक मित्र सीतापुर के थे पूरी बहस हुई थी। इसलिये मेरी तुच्छ सम्मति में इस को दोबारा प्रवर समिति को भेजना लाभप्रद नहीं होगा। अगर लाभ होता तो मैं इस के लिये राजी हो जाता या जिस तरह से एक नया बिल है जैसे कुमायूं जमींदारी अबालीशन बिल, उसके लिये स्वयं मैंने प्रस्ताव पेश किया कि चार महीने मिलने चाहिये, इसी तरह से मैं स्वयं इसके लिये भी वक्त रखवाता, लेकिन ऐसी कोई बात इस में नहीं है। अगर माननीय मित्र इस बात के लिये तैयार हो जायं कि इस साल ए० आई० टी० भी वसूल किया जाय और यह भी वसूल किया जाय तो मैं मान सकता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--अब मैं माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी के संशोधन को आपके सामने रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अधिष्ठाता]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, पर जो रिपोर्ट प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है, वह पुनः प्रवर समिति के पास भेजी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर—

(१) "जोत" (land holding) का अर्थ वही है जो उसे धारा ४ में दिया गया है ;

(२) "वार्षिक मूल्य" (annual value) का वही अर्थ है जो उसे धारा ६ में दिया गया है ;

(३) "करदाता" (assessee) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रपति (landholder) से है जिस के द्वारा जोत-कर देय हो तथा उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में कर दाता के अन्तर्गत क्षेत्रपति का विधिक प्रतिनिधि (legal representative) भी है ;

(४) "कर-निर्धारक-प्राधिकारी" (assessing authority) का अर्थ वही है जो उस धारा ७ में दिया गया है ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१।

(५) "असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास" का अर्थ वही है जो उसे यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१ में दिया गया है ;

(६) "कलेक्टर" के अन्तर्गत ऐडीशनल कलेक्टर भी है ;

(७) "कमिश्नर" के अन्तर्गत ऐडीशनल कमिश्नर भी है ;

ऐक्ट संख्या १२, १९२२।

(८) "कम्पनी" का तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है जिसकी परिभाषा इंडियन इनकम टैक्स ऐक्ट, १९२२ में की गई है ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(९) "सहकारी फार्म" (co-operative farm) का तात्पर्य ऐसे सहकारी फार्म से है जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ११ के उपबन्ध लागू हों ;

ऐक्ट संख्या २, १९१२।

(१०) "सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड हो और इसके अन्तर्गत सहकारी फार्म (co-operative farm) भी हैं ;

ऐक्ट संख्या ९, १९३२।

(११) "फर्म" का वही अर्थ है जो उसे इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, १९३२ में दिया गया है ;

(१२) "हिस्सेदार" का वही अर्थ है जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों (land tenure) से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है तथा इसके

अन्तर्गत परगना असकोट के गुजारेदार तथा प्रतिबन्ध रहित दाय से मिली सम्पत्तियों के गृहीता (holder of fee simple estates) भी हैं ;

(१३) 'जोतकर' (holding tax) का वही अर्थ है जो उसे धारा ३ में दिया गया है ;

(१४) "मध्यवर्ती" (intermediary) का तात्पर्य किसी स्वामी (proprietor), मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार (thekedar), अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanet lessee in avadh), दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) अथवा हिस्सेदार (hissedar) से है ;

(१५) 'भूमि' (land) का तात्पर्य उस भूमि से है, चाहे उस पर मालगुजारी निर्धारित हो अथवा न हो, जो कृषि, उद्यान-करण, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन अथवा कुक्कुटपालन (agriculture, horticulture, animal husbandry, pisciculture or poultry farming) से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त न हो रही हो ;

(१६) 'क्षेत्रपति' (land holder) का तात्पर्य—

(१) किसी मध्यवर्ती से है यदि भूमि उसकी खुदकाश्त (personal cultivation) में हो अथवा उसके पास सीर, खुदकाश्त या बाग (grove) के रूप में हो, तथा

(२) अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से भिन्न हैसियत से भूमि पर अधिकार अथवा अध्यासन रखता हो :—

(क) असामी,

(ख) शिकमी-काश्तकार (sub-tenant),

(ग) सीर का काश्तकार, अथवा

(घ) सीरतान (sirtan),

और इसके अन्तर्गत यथास्थिति कर्त्ता अथवा प्रबन्धक अथवा मुख्य अधिकारी (karta or a manager or a principal officer) है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में असामी के अन्तर्गत गांव-समाज का असामी नहीं है ।

(१७) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो शब्द "legal representative" को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है ; ऐक्ट सं० ५, १९०८ ।

(१८) किसी कम्पनी या एसोसियेशन के सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्द "मुख्य अधिकारी" (principal officer) का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(१) कम्पनी या एसोसियेशन का सेक्रेटरी, खजांची, प्रबंधक अथवा अभिकर्त्ता (agent), अथवा

(२) कम्पनी या एसोसियेशन से सम्बद्ध कोई व्यक्ति जिस पर कर-निर्धारक-अधिकारी ने अपने इस इरादे का नोटिस तामील किया हो कि उसे उसका मुख्य अधिकारी माना जायगा ;

(१९) 'नियत' (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है ;

(२१) 'सीरतान' (sirtan) का वही अर्थ है जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि में उसे दिया गया है ;

(२२) 'राज्य सरकार' (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

(२३) "सब-डिवीजनल आफिसर" का तात्पर्य यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन नियुक्त से है तथा इसके अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त निर्दिष्ट कोई प्रथम श्रेणी का दूसरा असिस्टेंट कलेक्टर भी है ;

(२४) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग', 'खुदकाश्त', 'गैर दखीलकार-काश्तकार', 'दवामी काश्तकार', 'अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी', 'स्वामी', 'स्वीकृत मौरूसी दरें', 'शिकमी काश्तकार', 'अदना मालिक', 'ठेकेदार' तथा 'मातहतदार', के वही अर्थ हैं जो क्रमशः पद "Agricultural year", "grove", "khudkasht", "non-occupancy tenant", "permanent tenure-holder", "permanent lessee in Avadh", "proprietor", "sanctioned hereditary rates", "sub-tenant", "sub-proprietor", "thekedar" and "under-proprietor" को, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये हैं, तथा

यू० पी० ऐक्ट १७, १९३९।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

(२५) पद "असामी" और "गांव समाज" के वही अर्थ हैं जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में उन्हें दिये गये हैं।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उप-खंड (१५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१५) 'भूमि' (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, चाहे उस पर मालगुजारी निर्धारित हो या न हो, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture), पशुपालन, मत्स्य संवर्धन (pisciculture) अथवा कुक्कुट-पालन (poultry farming) से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये हो और उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी है जिसमें खेती न होती हो (uncultivated land) और जो किसी व्यक्ति के अधिकार में क्षेत्रपति (landholder) के नाते हो।"

श्रीमन्, इस संशोधन से मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत सी भूमि इस प्रकार की है जिस पर कोई लगान नहीं पड़ता या एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स असेस नहीं होता। ऐसी भूमि अधिकतर बंजर शामिल जोत होती है। यही नहीं, बल्कि यदि देखा जाय तो कुमायूं डिवीजन में भी कुछ ऐसी भूमि है जो खायकरों की या हिस्सेदारों की है और उनके ऊपर भी टैक्स असेस हो सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखते हैं कि यह प्रापर्टी टैक्स है तो वह भूमि जिसके ऊपर कि आमदनी हो या न हो, लेकिन फिर भी वह टैक्सेबिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--उपखंड (२०) प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

प्रापर्टी है और उस पर टैक्स होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, जिस एरिया में अभी जमींदारी एबालिशन नहीं हुई, जैसे अरबन एरिया में, वहां खुद काश्तकार की भूमि उपलब्ध है और वह भी एक प्रकार से प्रापर्टी का रूप रखती है और उस पर भी टैक्स असेस होना चाहिये। जमींदारी एबालीशन में, श्रीमन्, यूं तो भूमिधरी और सीरदारी में कितनी ही भूमि ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिये, यदि हम इस विधेयक को प्रापर्टी टैक्स के रूप में देखें।

ऐसी अवस्था में यह जरूरत है कि हम इस तरह का संशोधन प्रस्तुत करें जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो। इसके अन्त में यदि पढ़ा जाय तो इसमें जो यह जोड़ दिया गया है--"जो किसी व्यक्ति के अधिकार में क्षेत्रपति (land holder) के नाते हो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सी ऐसी भूमियां हैं जो बिल्डिंग साइट के लिये हों वे भी इस में आ सकती हैं, अगर इसको न जोड़ा जाय। लेकिन इसको जोड़ देने से वह भूमियां इस विधेयक के परव्यू में नहीं आ पायेंगी और वही भूमि जो लैंड होल्डर के नाते आती हैं उन्हीं पर टैक्स असेस किया जा सकता है। इस तरह से यह संशोधन बहुत आवश्यक है और माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है मुझे स्वीकार है। केवल इतना कहना चाहता था कि जैसे शब्द अभी विधेयक में मौजूद हैं उनके रहते हुये भी अनकल्टीवेटेड लैंड आता है। लेकिन दो निगेटिव उसमें इस्तेमाल किये गये हैं उनको निकालना मुनासिब था। जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है उसकी मंशा पहले वाले विधेयक की मंशा से कोई भिन्न नहीं है, किन्तु शाब्दिक दृष्टि से इसका रूप अच्छा हो जाता है इसलिये मुझे स्वीकार है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह--मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है अपनी जगह पर कि पहले वाले विधेयक से इसकी भाषा सुन्दर है। अतः माननीय मंत्री ने इसे स्वीकार किया है। परन्तु आपके द्वारा मुझे यह अर्ज करना है कि यह इस प्रकार है--"से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये हो और उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी है जिसमें खेती न होती हो और जो किसी व्यक्ति के अधिकार में क्षेत्रपति के नाते हो" श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह चीज ऐसी है जो माननीय माल मंत्री की बौद्धिक शक्ति पर एक प्रकार से लांछन है। मैं तो यह कहता हूं कि बुद्धि उनकी इतनी विकास कर चुकी है कि इसके लिये अवसर ही नहीं है कि यह चीज लाई जाय। इस समय जहां तक लैंड होल्डिंग टैक्स का सवाल है यह ठीक था लेकिन जैसा कई वर्ष पूर्व हमारे बुद्धिमान माल मंत्री महोदय ने जमींदारी एबालीशन में इस बात के लिये एक प्राविजन कर रखा है, जो दफा १८७-ए है, जिसमें यह है कि अगर कोई जमीन परती मुतवातिर तीन साल तक रहे और जिसका रकबा साढ़े १२ एकड़ हो तो वह भूमि उस से निकल जायगी और गांव समाज की सम्पत्ति समझी जायगी। तो उसी तरह, श्रीमन्, ऐसे लोग जो उस जोत पर खेती नहीं कर रहे हैं और परती है तो वह तो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के अनुसार उसको तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ले ही सकते हैं। तो जिस जमीन पर जोत न होती हो, उसको इसकी परिभाषा में लाना नितान्त अनावश्यक है। अतः मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वह माल मंत्री के बौद्धिक शक्ति पर आक्षेप न करें। यह चीज उस ऐक्ट में विद्यमान है, इसलिये अनावश्यक और रिडंडेंट है। उसके लिये हमें कानून बनाने की क्या जरूरत है, जब कि सरकार उसको गांव समाज में खुद ले सकती है। ३ साल बीत चुके हैं तो सरकार उसको ले सकती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपनी राय बदलेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि धारा १८७ में इस आशय का प्राविजन है कि ३ साल तक मुतवातिर साढ़े बारह एकड़ या उस से ज्यादा रकबे की भूमि कोई एक क्षेत्रपति खेती के लिये इस्तेमाल न करे तो कलेक्टर उसको नोटिस दे सकता है कि इस्तेमाल करे और फिर उसको अवसर दिया जायगा---६ महीने या साल भर का---उसके बाद भी वह इस्तेमाल न करे तो फिर कलेक्टर को अख्तियार है कि अजखुद, या गांव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा उस जमीन को उठा दे। लेकिन वह ३ साल तक मुतवातिर इस्तेमाल न करे, यह एक ऐसी शर्त लगी हुई है कि उसका पूरा होना बहुत मुश्किल होता है और खेती की परिभाषा में ऐनीमल हस्बैंडरी, हार्टिकल्चर, पोल्टरी फार्मिंग सब आ रहा है। मछली और मुर्गी पालने का तो नहीं आता लेकिन ऐनीमल हस्बैंडरी है। जमीन खाली पड़ी है तो कहा जा सकता है कि ऐनीमल हस्बैंडरी के काम आ रही है, हमारे मवेशी चरते हैं, और फिर तीन साल तक मुतवातिर इस्तेमाल न हो, यह शर्त पूरी होनी मुश्किल है। तो जिस तरह से हम चाहते थे उसका मंशा पूरा नहीं होता था। इससे तो एकदम पूरा हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय शिवशरण लाल के संशोधन को रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(१५) 'भूमि' (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, चाहे उस पर मालगुजारी निर्धारित हो या न हो, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture), पशुपालन, मत्स्य संवर्धन (pisciculture) अथवा कुक्कुट-पालन (poultry farming) से सम्बद्ध में किसी प्रयोजन के लिये हो और उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी है जिसमें खेती न होती हो (uncultivated land) और जो किसी व्यक्ति के अधिकार में क्षेत्रपति (landholder) के नाते हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करूंगा कि खंड २ के उप-खंड (१६) के भाग (१) की पंक्ति २ में शब्द 'पास' के स्थान पर शब्द 'अधिकार' और 'अध्यासन' में रख दिये जायं।

संशोधन की मंशा यह है कि इस से यह प्रत्यक्ष नहीं होता है कि जमीन उसके कब्जे में होगी या नहीं होगी इसलिये "अधिकार" और "अध्यासन" को क्लियर कर दिया जाय। अभी जो संशोधन पास हुआ है, उसमें "अधिकार और अध्यासन" शब्द आये हैं और खंड ४ में भी श्रीमन् देखें कि "उपभोक्ता" के लिये "अध्यासित" शब्द आया है। इसलिये "पास" के बजाय "अध्यासन और अधिकार में" रख दिये जायं।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, यह गैर-जरूरी संशोधन है, क्योंकि जो "भूमि" की हमने परिभाषा की है, उसमें ही ये लफ्ज आ चुके हैं, "अध्यासन और अधिकार" जिनके लिये आप कह रहे हैं। जब "भूमि" की परिभाषा में मौजूद हैं और यहां पर लफ्ज "भूमि" आया है तो उसके साथ अगर इनको रखा जाता है तो उससे 'रेपेटीशन' हो जायगा। वरना मुझे उसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती।

श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह--मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शिवशंकरसिंह (जिला रायबरेली)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (१६) के भाग (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'खुदकाश्त' तथा शब्द 'तथा' के बीच के शब्द 'या बाग के रूप में हो' निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यह गवर्नमेंट की निर्धारित नीति है कि बाग और बागीचों को अधिक से अधिक लगाया जाय जैसा कि हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से दरख्त चाहे चोरी से या गांव समाज की अनुमति से कट जायेंगे। ज्यादातर बाग जो लगाये जाते हैं वह दरिया के किनारे लगाये जाते हैं जिसमें इरोजन रुके। इसमें जो दरख्त लगाये जाते हैं वह आम, महुआ और कीकर वगैरह के होते हैं जिनमें आमदनी बहुत कम होती है। साथ ही साथ अगर इसी तरह से बागों पर भी टैक्स लगाया जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता जो पुराने बाग हैं वह खत्म हो जायेंगे और उनको लोग खुदकाश्त में ले आयेंगे और यह सोचेंगे कि दरख्त लगाना बेकार है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुग्रह करूंगा कि वह मेरा संशोधन मान लें।

*श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता। इसको मानने का अर्थ यह होगा कि जो आज बागात हैं उन पर भी टैक्स नहीं लग सकेगा जब कि गवर्नमेंट की मंशा ऐसी नहीं है। गवर्नमेंट की मंशा तो यह है कि आगे जो बाग लगाये जायेंगे उन पर हत्तुलइमकान, अभी विचार नहीं किया है, लेकिन नीति है कि आगे ज्यादा बाग लगाये जायेंगे इसलिये इनको टैक्स से बरी किया जाय। अब क्या शब्द होंगे और किस हद तक बरी होंगे, जैसा मैंने अर्ज किया है कि इसकी तफसील में हम नहीं गये हैं, लेकिन जो रिलीफ देने का विचार है वह आगे के लिये है। जो बाग आज मौजूद हैं उन पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगता है, वह बहुत कम है यानी टिम्बर ग्रोव्ज हैं, देशी आम हैं उन पर टैक्स बहुत कम है, मसलन यह नोटिफिकेशन २४ अगस्त, १९५५ को जारी हुआ है उसमें मैंगो सीडलिंग की बजाय साढ़े बारह गुने के मल्टीपिल के सारे सूबे में एक गुना है। लेकिन कलमी आम हैं, या अमरूद है या नींबू हैं, या लीची हैं या कहीं-कहीं कटहल हैं। ८-९ जिले ऐसे हैं जहां कटहल पर टैक्स है इस तरह से कीमती फलदार बागीचों से टैक्स न लिया जाय या उन पर टैक्स न रहे, यह बात मुनासिब नहीं मालूम देती है जो आज मौजूद हैं क्योंकि उनके अन्दर कभी-कभी ऐग्रीकल्चरल क्राप्स से भी ज्यादा आमदनी होती है। अगर यह स्वीकार कर लिया गया तो इसकी मंशा यह है कि वह लोग भी बच जायेंगे तो यह मुनासिब नहीं होगा और इरादा यह है कि आगे को उन पर टैक्स न लगे। वह तो गवर्नमेंट जो पावर अपने हाथ में ले रही है उसके अन्दर आ जायगा।

*श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मंत्री जी को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे की सरकार की ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार की अब तक यह पालसी रही है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाये जायं और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत यों पेश आयी कि समय पर वर्षा अच्छी हो। फिर इसके अलावा हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी विटामिन्स की है जिसको हम पेटेन्ट दवाओं की शक्ल में तलाश किया करते हैं। बहुत से विटामिन हमें इन फलों में मिलते हैं। तो हमें तो यह चेष्टा करनी चाहिये और ऐसा कदम उठाना चाहिये ताकि आम लोगों को फल मिल सके और उनको सस्ते से सस्ते विटामिन्स मिल सके। इसलिये यह एक बहुत बड़ी बात गौर की है। अगर बागात पर टैक्स लगाया जाता है या पुराने बागात पर टैक्स कायम रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि अपने सूबे में बागात की बहुत बड़ी कमी हो जायगी। सरकार से यह छिपी हुई बात नहीं है कि एक जमाने में जब इन टैक्सों का जिक्र आया था तो आम तरीके से लोगों ने बागात का काटना शुरू कर दिया और उसके बाद सरकार को यह कानून बनाना पड़ा कि इस किस्म के दरख्त बिला जिलाधिकारियों की स्वीकृति के न काटे जायं। तो कहीं ऐसी नौबत फिर न आ जाय। अगर आप समझते हैं कि कानून से दरख्तों का काटना रोक देंगे तो लोग भी ऐसे तरीके जानते हैं कि दरख्तों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुराज सिंह चौधरी]

सुखा देंगे और हमारे सूबे में फलों का अभाव हो जायगा। अव्वल तो हमारे इस देश में फल ही कौन मिलते हैं। और जो मिलते भी हैं उनमें से दो-चार किस्म के ही आम लोगों तक पहुंच पाते हैं। आम एक ऐसा फल है जो मकबूले आम है और हर गरीब और अमीर उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से करता है। तो ऐसी हालत में जब कि सरकार यह घोषणा कर रही है कि आइंदा हमारी यह पालसी होगी कि हम इस पर विचार करेंगे कि टैक्स में रियायत की जाय या उन्हें मुस्तसना कर दिया जाय, तो अच्छे काम के लिये जितनी जल्दी कदम बढ़ाया जाय उतना ही अच्छा है। मैं तो यह समझता हूं कि आज ही वह इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें।

इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है और मैं समझता हूं कि अवाम को भी यह कहने का एक बड़ा उम्दा मौका होगा कि अपोजीशन की भी बात मानी जाती है। बावजूद इसके कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में होकर आया है। अभी एक अमेंडमेंट मंजूर हो चुका है। तो सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद भी इस बात की जरूरत पेश आयी कि उधर से अमेंडमेंट पेश हो और उसे सरकार ने मंजूर किया। ऐसी हालत में अगर इधर से एक माकूल तरमीम आये तो मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट की दरियादिली होगी और जम्हूरियत को कबूल करने का एक बहुत बड़ा सबूत होगा कि वह अपोजीशन की ऐसी उम्दा और आला तरमीम को मन्जूर करें। इन इल्फ़ाज के साथ में इस अमेंडमेंट की ताईद करता हूं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय शिवशंकर जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं तो चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने बागों पर टैक्स लगाया तो शायद ही कोई बाग खड़ा रह जाय। मैं अपनी निजी बात बतलाऊं और आशा है कि वे उस पर विश्वास करेंगे। मेरे पास २०, २५ एकड़ का बाग है और वह मेरे बाप-दादों का लगाया हुआ है। उसमें करीब २०० या २५० पेड़ हैं और उस से मुझे एक पैसे की भी इनकम नहीं है। वह देशी आम के पेड़ हैं और गांव वाले उनसे फल तोड़ लेना या बीन कर खाना अपना हक समझते हैं। उससे मुझे कोई आमदनी नहीं होती। तो अगर उस पर मुझे टैक्स देना पड़ा तो सम्भव है कि मेरी शक्ति के बाहर यह बात हो जाय कि मैं उस बाग को रख सकूं। इस सदन में बार-बार कहा जाता है कि वन महोत्सव मनाया जाय, पेड़ अधिक लगाये जायं, इस से वर्षा न कम होती है और न ज्यादा, तो यह बात संभव है यह टैक्स लगाने से पूरी न हो पायें। लोग ठहर जायं। आपने यह भी एक बात बतलायी कि कटहल, नींबू, आम इसमें से बरी नहीं हैं, हां, देशी आम पर टैक्स नहीं लगेगा। महुआ और आम के पेड़ से शायद कुछ हो जाता हो। लेकिन आम के पेड़ को देहात में लोग बेचना पाप समझते हैं। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें। इससे देश का कुछ कल्याण होगा। यदि इसको नहीं माना गया तो न किसी को आम मिल सकेगा न लकड़ी। अनर्थ होने की संभावना है। इसलिये मैं फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन यहां उपस्थित हुआ है उसके पीछे कोई गंभीर विचार नहीं है, साधारण विचार भी नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब भूमि की परिभाषा ही बदल दी गयी है यदि यह शब्द निकाल भी दिये जायं तो व्यर्थ ही नियम बनाने पड़ेंगे और भूमि के मूल्यांकन में विशेष अन्तर नहीं आयेगा। किसी शब्द को आप निकाल भी दें तो जब तक वह

परिभाषा भूमि की है तब तक उसका मूल्यांकन उसी स्थान पर पहुंचेगा। यह जरूर हो जायगा कि नियमों को बनाते समय कुछ शब्द और बढ़ाये जायंगे। इसलिये इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, आज जो इस बृहत जोत-कर विधेयक के खण्ड २ में यह संशोधन चल रहा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रश्न यह है कि इस विधेयक में जो बागात पर टैक्स लगाया गया है यह टैक्स ठीक उसी तरह से हमारे इस विधेयक पर आ पड़ा जिस तरह से रावण की लंका में हनुमान कूदा था और उसने तो रावण की लंका के बाग को बरबाद किया था। हमारे इस विधेयक में जो इस वक्त यह टैक्स आया है वह सारे सूबे के बागात को उजाड़ने के लिये मालूम होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स अगर इन बागात पर लागू हुआ तो यक़ीन मानिये कि बागात किसी तरह से भी रह नहीं सकेंगे। वह जरूर नष्ट हो जायेंगे। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जमींदारी ऐबालीशन हुआ तो उस जमींदारी एबालिशन से पहले जो चीज आयी और जिसको हमने गांव-गांव में देखा वह यह कि आये दिन सैकड़ों और हजारों बागात कटते चले गये और बड़ी-बड़ी लारियां उनकी लकड़ियों को लेकर लखनऊ आयीं और सारे बागात काटकर खेत बना दिये गये।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन बागात के मातहत गांव में जितने भी लोग रहते हैं, किसी के पास बैलों की जोड़ी है, किसी की दो बैल की एक जोड़ी है उनके पास इन जानवरों का उतना ही परिवार है जितना कि उनके घरों में उनके बच्चों का परिवार है और वे गांव की एक झोपड़ी में ही सब रह जाते हैं। अगर चार महीने तक मुतवातिर पानी बरसता है तो ३००, ४०० एकड़ जमीन के उस गांव में ऐसी कोई जगह नहीं रह जाती है जहां पर बैल खड़े हो कर पनाह ले सकें। गांव के करीब जो बागात होते हैं वहीं जाकर यह जानवर पनाह लेते हैं। वही ऐसी जगह होती हैं जहां पर पानी नहीं होता है और फसल नहीं होती है। तो श्रीमन्, अगर यह टैक्स लागू किया गया तो आप यकीन मानिये कि यह बागात नष्ट हो जायेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर १० एकड़ का बाग जहां गांव के करीब होता है तो उस १० एकड़ के बागों के दरख्तों से जितने पानी की वर्षा होती है उतना पानी शायद हम एक ट्यूबवेल लगाकर भी निकाल नहीं सकते हैं। इन्हीं बागात के ऊपर गांव के लोगों का रहन-सहन मुनहसिर है। वे केवल खेत के बल पर गांव में रह नहीं सकते हैं। उनको इस बात की जरूरत होती है कि अपने घरों के छप्परों को छाने के लिये वह इन्हीं बागात से थूनी और बुनिया लेते हैं। हर शख्स तो खीरी, पीलीभीत और गोरखपुर के जैसे जंगलों के पास नहीं रहते हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जो जंगलों से बहुत दूर मीलों के फासलों पर रहते हैं। केवल इन्हीं बागात से उनको थम्भा और थूनी मिलती है और इसी से वह अपना छप्पर छापते हैं। अगर यह टैक्स लगाया गया तो उनके लिये बहुत कठिनाई पैदा हो जायगी। उन बागात की यह बात तय है कि देहातों में उन बागात का नीलाम नहीं होता। देहातों में बागात से कोई फसल नहीं ली जाती और देहात में बागात से कोई आमदनी नहीं होती। बागों में बड़े-बड़े दरख्त होते हैं, उनमें खेती नहीं हो सकती है। अगर गांव में कोई बाग होता है तो सभी लोग वहां के उसके फल खाते हैं, कोई मुअज्जिज आदमी उनको मना नहीं कर सकता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

न बेचता है । वहां के जानवर भी उनकी गुठली से अपना पेट भरते हैं । बाग़ात सार्वजनिक हित की चीज है । विधेयक में है कि सार्वजनिक हित की चीजों को छोड़ा जायगा, लेकिन फिर भी बागों को नहीं छोड़ा जा रहा है ।

एक बात और है । आम की लकड़ी बड़ी जरूरी चीज है । सत्यनारायण की कथा और भागवत में भी और विवाहों में भी वेदी के लिये इसकी बहुत जरूरत होती है । शादी भी आम की लकड़ी के बगैर नहीं हो पाती है । पंडित कह देते हैं कि यह अधूरी रह गयी । अगर बाग कट गये तो नई जनरेशन कुंवारी रह जावेगी ।

श्री चरणसिंह---अगर एक भी शादी २५ साल तक न हो तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---प्रो मोर फूड के लिहाज से आप सही फरमाते हैं । लेकिन पहले इसका अनुसरण मंत्री महोदय करें । उनको नया विधेयक लाना चाहिये कि लोग कम विवाह करें और कम खावें ।

आपकी आज्ञा से श्रीमन्, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जब भारतीय कपड़े की इंग्लैंड में बहुत क़द्र थी और ढाके की मलमल वहां जाती थी तो वहां के लोगों ने कानून बनाया और इतना अधिक टैक्स हमारे कपड़ों पर लगाया कि वह जाना बन्द हो गया और उलटा आने लगा । तो इसी तरह से हमारे बाग या वनमहोत्सव पर जो पेड़ लगाये जाते हैं वे नष्ट हो जायेंगे । इसलिये मैं तमाम राज्य की ओर से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बाग़ात से टैक्स हटाने की कृपा करें और इन्हें सार्वजनिक चीज मान लें ।

पंचवर्षीय योजना में लोगों का बाग लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है और शायद इन वृक्षों पर भी यह टैक्स नाफ़िज होगा । अभी इन पेड़ों की थोड़ी सी उम्र है क्योंकि ५ वर्ष के अन्दर ही लगाये गये हैं, उनसे अभी कोई फल या लकड़ी भी नहीं मिलती है । मैं तो कहूंगा कि बाग़ात लगाने के लिये सब्सिडी दी जाय और बिना मुआवजे के भूमि दी जाय । यह माना गया है कि १०,१५ एकड़ के बाग की एक ट्यूबवैल के बराबर पानी बरसाने की क्षमता होती है, इसलिये बाग लगाने के लिये जनता को पौधे भी देने चाहियें । यह ऐसी बात है कि इसमें सभी लोग एकमत हैं वैसे चाहे मंत्री जी के डर के मारे उधर के लोग इसे स्वीकार न करें । चाहते सभी यही हैं कि बागों पर टैक्स न लगे ।

हम समझते हैं कि मंत्री जी हमारा सुझाव स्वीकार करेंगे और सार्वजनिक हित में एक बहुत बड़ा कल्याण करेंगे ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज मुझे दुख है कि हम अपने माननीय माल मंत्री को रजामन्द नहीं कर पा रहे हैं । वह समझते हैं कि मैं कोई ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि जिस से वह पहले से ही परेशान मालूम होते हैं । कोई घबराने की बात नहीं है । जब वह पहले इस विधेयक को यहां लाये थे तो उन्होंने फरमाया था कि वह चाहते हैं कि बाग़ात को छोड़ दिया जाय या बहुत मामूली टैक्स लगाया जाय, यह उनको याद होगा । मैं भी कुछ मंत्री महोदय की बात को आधार मानकर कह रहा हूं । इस विधेयक को मूव करते हुये उन्होंने कहा था कि पेड़ काटना पाप है । और लगाना पुण्य है । उन्होंने यह भी माना कि बुजुर्गों ने जो कुछ कहा है उसके सामने वह नतमस्तक हुये और एक नई बात हुई जहां कि मंत्री जी कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं रखते हैं, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने बुजुर्गों के लिये माना कि वे हमसे ज्यादा होशियार और बुद्धिमान थे । मंत्री जी भी देहात से आते हैं और वहां सबसे उम्दा रूप किसी सार्वजनिक चीज का बाग है या कुआं है । बाग़ात से आमदनी में भी कोई इजाफ़ा नहीं होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ या मलिहाबाद के आस-पास के लिये मैं नहीं कह सकता कि जहां लोग कुछ नफ़ा ले लेते हों। मगर हार्टिकल्चर और देहात के लिये यह है कि जब देहात में बाग़ में आम आता है तो गांव के बच्चे उसे तोड़ें या दूसरे लोग उसमें से आम लें तो कोई उन्हें रोक नहीं पाता है। इसके अलावा तुख्मी नीलाम नहीं हो पाता है, इसलिये उसकी कोई आमदनी नहीं होती। आपने कहा कि आइन्दा से जो बागीचे लगेंगे उन पर आप टैक्स नहीं लगायेंगे तो इस का नतीजा यह होगा कि पुराने बागात कटवा दिये जायेंगे। यह कहां का इन्साफ है और कहां की दूरंदेशी है कि पुराने बागात कटवाये जांय और नये बागात लगवाये जायं। मान्यवर, आज तक मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि बागात पर क्या टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा और क्या मल्टीपिल होगा। मैं यह जरूर चाहूंगा कि वे अपने भाषण में इस बात को साफ कर दें कि इस बारे में उनकी फ्यूचर पालिसी क्या होगी।

यह तमाशा हमने देखा है कि हर साल एक सप्ताह तक पेड़ लगाये जाते हैं। हमारे राज्यपाल महोदय, मुंशी जी चले गये उन्हें यह चीज अधिक प्रिय थी। हर साल पंचायत के सेक्रेटरियों और लेखपालों के कागजात में यह लिख दिया जाता है कि एक हजार दरख्त लगाये गये लेकिन ६ महीने के बाद उन एक हजार की जगह ६ दरख्त भी नहीं मिलते। मैं खयाल करता हूं कि उधर के माननीय सदस्य भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे। मान्यवर, जो इस प्रकार से गांव सभा या गांव समाज की ओर से कम्यूनिटी प्लान्टेशन लगाये जाते हैं वे सब थोड़े दिनों में नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। थोड़ा बहुत तो बागात के लगाने में इनवेस्टमेन्ट होता ही है। न तो उनकी सिंचाई का ही कोई प्रबंध होता है और न कोई देखभाल ही होती है, नतीजा यह होता है कि वे सब सूख जाते हैं। यदि इनफारमेशन विभाग से पूछा जाय तो करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाये जा चुके हैं लेकिन वे आज नहीं हैं। बाग लगाना कोई आसान चीज नहीं है। इसलिये जब तक आप छूट न दीजियेगा तब तक दरख्त नहीं लगेंगे। यह कहना कि छूट आगे चलकर देंगे इस से कोई क्या समझे। जो बागात हैं उनके लिये आप छूट देना नहीं चाहते। जब उनके ऊपर आप टैक्स लगायेंगे और उनको उन बागात से कोई आमदनी है नहीं तो मजबूर होकर वे अपने बागात को कटवावेंगे, सुखवायेंगे या काश्त करेंगे। उन बागात के फल-फूल पर जो आप टैक्स लगा रहे हैं तो उन दोनों का रेशियों एक सा नहीं रहेगा इसलिये विवश होकर उनको सारे पेड़ों को कटवाना होगा, या सुखवाना होगा, नहीं तो वे टैक्स नहीं दे सकते हैं।

मैं कहता हूं कि अगर कलमी आम के बागात हैं और उनसे आमदनी होती है तो आप टैक्स लीजिये, कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतना वक्त दीजिये कि वे पेड़ तय्यार हो जायं और तय्यार होने के बाद उनसे आमदनी हो तो आप टैक्स लीजिये, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

लेकिन जहां तक तुख्मी आम का सवाल है, उनसे तो कोई आमदनी होती नहीं है, इसलिये उन पर टैक्स लगाना बिलकुल बेकार है। आप कह सकते हैं कि आयन्दा लोग तुख्मी आमों के बागात नहीं लगायेंगे। लेकिन जो आज मौजूदा बागात लगे हुये हैं जो सौ दो सौ और पचासों वर्ष पहले के बागात हैं उनके लिये भी छूट न देने की बात माननीय मंत्री महोदय की समझ में नहीं आयी। मैं कहता हूं कि टैक्स लगाने की कुछ सीमा होती है उस सीमा का उल्लंघन न कीजिये। आपने परती जमीन पर टैक्स लगाया है और अब आप बागात पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। माननीय माल मंत्री जी कह सकते हैं कि आप कौन नवीन बात कह रहे हैं, ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो पहले से ही लगा हुआ है, फिर बागात पर टैक्स लगाने की बात सोची जा रही है। भगवान जाने कि सरकार की नीति क्या है? हमारे मंत्री महोदय बागात लगाने में मदद भी करना चाहते हैं, छूट भी देना चाहते हैं लेकिन कम से कम बतलावें तो कि आखिर वे किस रूप में प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इस विधेयक में है कि टैक्स लगाया जायगा लेकिन उसका क्या रेट होगा, क्या मल्टिपिल होगा,

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाने के वक्त लगान के हिसाब से जितना मल्टीपिल रखा गया था वही रहेगा या उसका क्या रूप होगा, इसको बतलाने की माननीय मंत्री जी कृपा करें ? इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे। मैं मानता हूं कि इसको मानने में उनको मजबूरी है जैसे कि हर चीज को मानने में उनको मजबूरी हुआ करती है लेकिन खुदा के लिये यह जो मानने की बात है उसके लिये मैं उनसे कह रहा हूं और उनकी बात को ही आधारशिला मान कर कह रहा हूं कि आप बागात पर टैक्स न लगावें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन जिस रूप में यहां रखा गया है वह रूप उसका ठीक नहीं है। अगर वही रूप मान लिया जाय तो उस वाक्य का जिस वाक्य से निकालने की बात कही जाती है, अर्थ ही कुछ नहीं रह जाता है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक की मंशा यह है कि शब्द "या बाग" निकाल दिये जायं। मान लिया जाय कि शब्द "या बाग" निकाल दिये जायं तो भी यह संशोधन बेकार हो जाता है। उपखंड १५ में भूमि की डेफिनिशन की गई है। उस डेफिनिशन के बाद "या बाग" को निकाल देने से भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। मान लीजिये कि यहां से "या बाग" निकाल दिया जाय तो क्षेत्रपति के अर्थ में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। यानी जिसके पास सीर या खुदकाश्त है वह तो क्षेत्रपति माना जायगा लेकिन जिसके पास केवल बागात है वह क्षेत्रपति नहीं माना जायगा। लेकिन मान लीजिये कि किसी को क्षेत्रपति माना जाता है और उसकी जमीन आंकी जाती है कि उसके पास कितनी जमीन है तो बागात की जमीन को जोड़ लिया जाता। उपखंड १५ के डेफिनिशन के अनुसार सारी जमीन जो बाग के अन्दर है, खेत के रूप में नहीं है, और जो दूसरे रूप में खेती से सम्बन्धित बातें हैं, इस्तेमाल होती हैं वे सारी जमीनें टैक्स लगाने के लिये मान ली जायेंगी और सबकी मालगुजारी का साढ़े १२ गुना या उससे कम कर के मूल्यांकन किया जायगा। इसलिये 'या बाग' के यहां निकालने से कोई अर्थ नहीं निकलता। उनकी मंशा भी तभी पूरी होती है जबकि 'लैण्ड' की परिभाषा से यह शब्द निकाल दिया जाय, लेकिन वह परिभाषा मंजूर हो चुकी है इसलिये अब यहां पर कुछ भी करना बेकार है और उसका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है और वैधानिक दिक्कत भी है क्योंकि जब 'लैण्ड' की परिभाषा पास हो गई है तो क्षेत्रपति की परिभाषा बदलने से कोई अर्थ नहीं निकलता जबकि सारी जमीन जो बाग में होगी वह जोड़ी जायगी मूल्यांकन करने में, इसलिये यह संशोधन बिल्कुल बेकार है।

जहां तक बाग की बात कही गई है और उसकी कीमत की बात कही गई है, वह तो मन्त्री जी मानते ही हैं, बाग पर मूल्यांकन करने के लिये गुणक बहुत छोटा रखा गया है, वह आम के बागात के लिये केवल एक रखा गया है और दूसरी चीजों के लिये भी १२ से कम है। कीमत जरूर आंकी गई है। आगे जो बाग लगेंगे उन पर छोड़ने की बात सोची जा रही है, लेकिन मौजूदा बागात पर छोड़ने की बात नहीं है। इसलिये अगर मौजूदा बागों का मूल्यांकन करके जोत कर लगाया जाता है तो उसमें कोई ज्यादा हर्ज नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर इस हिसाब से भी मूल्यांकन किया जायगा तो उसमें कोई बागात के कटने की बात नहीं है, वह थोड़े कर लगने के कारण से तो कटेंगे नहीं, वैसे ही बहुत से बाग कट रहे हैं, बड़े-बड़े बागात मध्यवर्तियों ने कटवा डाले हैं जबकि कोई टैक्स नहीं था। कर की कोई बात नहीं है अगर वह कटेंगे तो वैसे भी कटेंगे। बाग के कटने के बाद अगर खेती में जमीन इस्तेमाल की जायगी तो उससे आय अधिक होगी। इस आय की दृष्टि से भी बाग वैसे ही कट जायंगे। लेकिन जो दूसरी दृष्टि से देखते हैं वह समझते हैं कि बाग लगाना अच्छा है वह देश के लिये और दूसरे कामों के लिये उपयोगी चीज है। इसलिये वह कटने वाले नहीं हैं। इस लिए प्रस्तावक महोदय इस संशोधन को पास करने पर जोर न दें क्योंकि उससे उनकी कोई मंशा पूरी नहीं होती जब तक कि 'लैण्ड' की परिभाषा न बदल दी जाय।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपके द्वारा इतना अर्ज करना है कि बागात की समस्या ऐसी है जिसका सम्बन्ध सारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य से, जल से और परमेश्वर की उन वर्षाओं से है जिसे हम आज इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपके द्वारा माननीय माल मन्त्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस पर थोड़े ठंडे दिल से विचार करें, मैं बहुत प्रेम के साथ कहता हूं। मैं उनका खैरख्वाह हूं लेकिन मेरी दिक्कत यह है जैसा गीता माता में बताया है कि —

"यत्तदग्रे विषमिव
परिणामेऽमृतोपमम्"

अर्थात् जो बात हित की होती है वह शुरू में जहर सी मालूम होती है लेकिन बाद में वही बात अमृत तुल्य मालूम होती है। अगर मेरी बात उनको इस समय कुछ बुरी लगे तो वह यह समझ लें कि मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं और उसका नतीजा माननीय माल मंत्री जी के लिये बहुत अच्छा होगा। यह मसला सारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और धनधान्य से ताल्लुक रखता है। जो लोग बाग लगाने में रुचि रखते हैं उनको दिक्कत होगी और वह उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा यह भी नुक्सान होगा जिसके बारे में हाउस में लोग कई दफा चुपचुप समझ लेते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। अब तक वहां हमारे पास वन सम्पत्ति थी, जब तक हम लोग बागात लगाते थे, तब तक ज्यादा से ज्यादा एनकरेजमेंट हमें पिछले जमाने में मिलता था, जिला सहारनपुर, बागात की भूमि, कहा जाता था। एक एक काश्तकार, एक-एक जमींदार, पांच पांच, सात सात और बारह बारह सौ बीघे के बागात लगाता था। उसका इतना अच्छा नतीजा होता था कि जो पानी पड़ता था वह इधर रिस रिस करके आता था। अब बाग कट गये हैं। पानी एक दम बलिया, बनारस, गोरखपुर पहुंच जाता है। रोजाना यहां फ्लड डिबेट रहती है और फिर माननीय माल मंत्री जी के सर में दर्द होता है। इसलिए अगर वहां ज्यादा से ज्यादा बाग लगाये जायं तो वह पानी जो आज बलिया में २४ घंटे में पहुंच जाता है, उसको पहुंचने में महीनों लगें।

बागों का मसला किसी स्वार्थ का मसला नहीं है। यह गरीब किसान के खाने के काम में आता है। बड़े आदमी तो आम खाते नहीं। आम तो गरीब आदमी खाता है। माननीय माल मंत्री जी को डाक्टर साहब ने बतला रक्खा है कि आम अच्छी चीज नहीं है। छाछ अच्छी चीज है, मट्ठा अच्छी चीज है। यहां बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, इन्हें भी किसी वैद्य ने बतला रखा होगा कि आम अच्छा नहीं। तो जो आम पैदा होता है उसे गरीब काश्तकार खाता और तन्दुरुस्त रहता। लेकिन, बागात काटने से हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सम्पत्ति नष्ट हो जायगी और हमारे यहां बाढ़ें ज्यादा से ज्यादा आयेंगी। इसलिए मेरी राय यह है कि कोई काम ऐसा जरूर कर दीजिये जो आपके कार्यकाल के बाद लोग याद किया करें कि हमारे माल मन्त्री जी ने यह सुन्दर काम किया था। आपका यश बढ़ेगा। आपने अब तक तो ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे लोगों को खुशी होती। इतना जरूर हमने देखा कि २६ हजार पटवारियों को हटाकर लेखपाल की फसल आपने बोयी थी। उसके बाद, एक एक कदम पर, एक एक मिनट पर सदन में आप कहते हैं कि ये लेखपाल के आंकड़े नहीं हैं। जो फसल आपने बोयी थी उस फसल से अविश्वास पैदा हुआ। उस फसल से इंसिंसियरिटी पैदा हुई। जब माननीय माल मंत्री जी कहते हैं कि यह लेखपालों के आंकड़े नहीं हैं तो वह भूल जाते हैं कि आंकड़ों का जिम्मेदार लेखपाल है और स्वतंत्र देश के अन्दर लेखपाल की वही इंटेग्रिटी है जो माननीय माल मंत्री जी की है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय यशपाल जी, लेखपालों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो संशोधन है उसी पर आप बोलें।

श्री चरणसिंह—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—(श्री यशपाल सिंह से) आप बैठ जाइये।

श्री चरणसिंह—आखिर में उन्होंने एक फिकरा कहा, जब कि आप उनसे कुछ कहने लगे, वह शायद आपने सुना नहीं। उनके लफ्ज यह हैं, "जो इंटेग्रिटी लेखपाल की है वही माननीय मंत्री की है"। तो अगर यह लफ्ज उन्होंने कहे, जैसा कि मैंने कान से सुना, तो मैं समझता हूं कि यह निहायत अनपार्लियामेंटरी है। इससे ज्यादा कोई अनपार्लियामेंटरी बात हो नहीं सकती।

श्री यशपालसिंह—मेरे कहने का मतलब यह है...

श्री अधिष्ठाता—मैं यह पूछता हूं कि यह शब्द आपने कहे?

श्री यशपालसिंह—मैंने जिन मानों में कहा है वह मैं स्पष्ट कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक गाड़ी हांकने वाले की ईमानदारी का वही स्तर है जो कि एक वजीर का है। हम किसी के स्तर को नीचा नहीं कह सकते, या किसी की नीयत पर हमला, एक स्वतंत्र भारत में, नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता—जो शब्द आपने कहे हैं...

श्री यशपालसिंह—मैं दोबारा उन्हीं शब्दों को कहे देता हूं। अगर उनसे वह अर्थ निलकता है.....

श्री अधिष्ठाता—अर्थ का सवाल नहीं है, जो शब्द आपने कहे हैं वह शब्द वापस ले लें।

श्री यशपालसिंह—मैंने जो शब्द कहे हैं वह यह हैं कि स्वतंत्र भारत में लेखपाल की इंटेग्रिटी का भी वही स्थान है जो माननीय माल मंत्री जी की। अगर यह शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह—यह लफ्ज आपने नहीं कहे। स्वतंत्र भारत का कोई जिक्र नहीं था। लेखपालों की इंटेग्रिटी पर आप हमला कर रहे थे। उसके बाद आपने यह कहा कि जो लेखपालों की इंटेग्रिटी है वही आपकी है। आपने यह क्यों नहीं कहा कि जो मेरी इंटेग्रिटी है वही लेखपालों की है? आपने पहले लेखपालों की इंटेग्रिटी पर हमला किया। फिर लेखपालों को मुझसे कम्पेयर किया।

श्री यशपालसिंह—मेरे कहने का अर्थ यह है कि गरीब आदमी की नीयत पर स्वतंत्र भारत में शक नहीं करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—जो रिपोर्ट हुई है उसको मैं देख लूंगा।

श्री यशपालसिंह—मेरे कहने का मंशा यह है कि गरीब से गरीब आदमी की इंटेग्रिटी का वही स्थान है जो बड़े से बड़े वजीर या गवर्नर की इंटेग्रिटी का स्थान है। जब हम यह कहते हैं कि यह आंकड़े लेखपाल के नहीं हैं तो लेखपाल की इंटेग्रिटी पर हम शक करते हैं और किसी की इंटेग्रिटी पर शक करने का हमको कोई अधिकार नहीं है।

श्री चरणसिंह—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं जिसकी वह इजाजत दें। माननीय पालीवाल जी ने यह कहा था लेखपाल के आंकड़ों पर आप अपने आर्गूमेण्ट्स को बेस कर रहे हैं। मैंने जिस वक्त तकरीर की तो मैंने कहा था कि १० मुख्तलिफ मुहकमों के आंकड़े हैं और अगर लेखपाल के आंकड़ों पर आपको विश्वास नहीं है तो यह लेखपाल के आंकड़े नहीं हैं। अब उसका मतलब दूसरी तरह लगाया जा रहा है।

श्री यशपालसिंह—माननीय पालीवाल जी कह सकते हैं वे मुखालिफ पार्टी के हैं। लेकिन जब उसने वह फसल बोयी है तो आपको उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखना चाहिये। और साथ ही यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह चौधरी साहब

की चौपाल नहीं है, असेम्बली हाल है। यहां हर एक को अपने विचारों को व्यक्त करने का हक है, और माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे इस हक पर ज्यादती नहीं होने देंगे। मंत्री जी को भी हक है, मुझको भी हक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है आपके हाथों कोई काम ऐसा हो जाय जिससे कि आइन्दा आपको लोग अच्छा कहें। चूंकि माननीय माल मंत्री जी सदा तो रहेंगे नहीं, माननीय माल मंत्री जी का यह ऐश्वर्य, वैभव और प्रभुत्व तो सदा रहेगा नहीं। लेकिन कार्य-काल की ख्याति रह जायगी।

श्री अधिष्ठाता—आप विषय के बाहर जा रहे हैं। संशोधन पर ही बोलिये।

श्री यशपालसिंह—अब बाहर नहीं जाऊंगा। मैं यह कह रहा था कि बागात के ऊपर अगर आप टैक्स लगाते हैं तो देश का स्वास्थ्य गिर जायगा और देश के अन्दर अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी।

श्री अधिष्ठाता—यह बात आप पहले कह चुके हैं। कृपया दोहरायें नहीं।

श्री यशपालसिंह—मेरा मतलब यह है कि आप कोई काम अच्छा जरूर कर दीजियेगा। कम से कम जो देश की वन सम्पत्ति है उसके लिये आप स्पष्ट रूपरेखा रखिये। आप जब यह कहते हैं कि हम आइन्दा देखेंगे तो लोग अंधेरे में रह जाते हैं। इसलिये अंधेरे में न रखने की वजह से यह कह रहा हूं कि आप आज अपनी स्पष्ट नीति की बागात के मुताल्लिक और वन सम्पत्ति के मुताल्लिक घोषणा कीजिये कि आपकी क्या राय है। उससे हम लोग भी तय कर सकेंगे कि इसके बाद हम लोग बाग लगा सकेंगे या नहीं।

जरूरत तो इस बात की है कि बृहत जोत-कर विधेयक में एक ऐसा सेक्शन रखा जाय कि जो १० एकड़ का किसान होगा उसको इतना बाग लगाना जरूरी होगा, जो २० एकड़ का होगा उसको इतने बागात लगाने होंगे। लेकिन यहां तो बागात कटवाने के साधन तैयार कर दिये गये हैं और अगर इस तरह से बागात के ऊपर टैक्स रहा तो देश की वन सम्पत्ति और स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा और इस प्रदेश में फिर भुखमरी फैलेगी। इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ आज तक हुआ है उससे शिक्षा प्राप्त कीजिये, हम विरोधी नहीं हैं, हितैषी हैं। जब आपने जमींदारी उन्मूलन किया.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय यशपाल जी "आप" शब्द बेयर के लिये इस्तेमाल होता है।

श्री यशपालसिंह—मेरा मतलब अधिष्ठाता महोदय के द्वारा माननीय माल मंत्री जी से है। और अगर "आप" शब्द का दूसरा अर्थ होता हो तो मैं "सरकार" शब्द का प्रयोग करता हूं। सरकार ने जब तक जमींदारी उन्मूलन नहीं किया था तो उस समय किसान की तीन साल तक कुर्की नहीं होती थी, और तीन साल बाद भी किसान के बैल नहीं पकड़े जाते थे, उसकी गाड़ी नहीं पकड़ी जाती थी, कड़ी, तख्ता नीलाम नहीं होता था। लेकिन जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तब आज हर छः महीने किसान को हथकड़ियां पड़ती हैं, जेल जाना होता है, कुर्की और नीलामी होता है.....

श्री अधिष्ठाता—इसका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री यशपालसिंह—मेरा आशय है कि बाग रखे जायं या नहीं। जो माननीय मंत्री जी दलील देते हैं उसी के मुताल्लिक कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई न कोई काम ऐसा जरूर हो जाय जिससे हमारे किसान सुखी हो सकें और देश की सम्पत्ति बढ़ सके। आज देहात के अन्दर यह हालत है जहां पहले फलों के ढेर मिलते थे वहां एक एक पेड़ के ऊपर जाकर रखवाले बैठते हैं और काटने के लिये तैयार हो रहे हैं। जो लोग आम खिलाना चाहते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा हल्का भोजन देना चाहते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फलों से भरपूर करना चाहते हैं, वे यज्ञ कर रहे हैं चूंकि "यज्ञाद् भवति पर्जन्यो,

[श्री यशपाल सिंह]

यज्ञः कर्म समुद्भवः।" उस यज्ञ में, मेरी मंत्री जी से दर्खास्त है कि आप रोड़ा न अटकाइये। यज्ञ को रोकना भले आदमियों का काम नहीं है। इसलिये मेरा कहना है बागात को मुस्तसना कीजिये और साथ-साथ बृहत जोत-कर विधेयक में इतना जरूर कर दीजिये कि एकरेज के साथ लाजिमी इतने पेड़ लगाने होंगे और उन पेड़ों को टैक्स से मुस्तसना किया जायगा। वरना टैक्स के नीचे यह लोग दब जायंगे और ये लोग टैक्सों के नीचे दबकर के फिर जल्द से जल्द आपके खिलाफ एक क्रान्ति करेंगे। हम यह नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के अन्दर कोई नई क्रान्ति हो, हम जनचेतना लाना चाहते हैं, जन-जागृति, और जन-जागरण करना चाहते हैं। यह भी हम नहीं चाहते हैं कि किसी खास तबके को नुकसान पहुंचाया जाय। यह जो बार-बार माल मन्त्री जी कहते हैं कि "आज राजे महाराजों में भी किसानों का दर्द पैदा हो गया है"। "आज राजे महाराजे भी गरीब की बात करते हैं," "आज राजे महाराजे भी सोशलिज्म की बात करते हैं," यह बातें कही जाती हैं। तो मैं आपसे साफ अर्ज करना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं ने तो सरदार पटेल की एक आवाज के ऊपर, कौम के एक तकाजे के ऊपर करोड़ों, लाखों, अरबों रुपये की सम्पत्ति अपनी न्योछावर कर दी, आप एक दिन का भत्ता भी नहीं छोड़ सकते।

श्री अधिष्ठाता—माननीय यशपाल जी, अब आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री यशपालसिंह—इन्हीं लफ्जों के साथ में खत्म करता हूं। केवल दो मिनट मुझे और अर्ज करना है। जिन लोगों ने कोटि कोटि रुपये की अपनी सम्पत्ति त्याग दी, वे देशभक्त हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय यशपाल जी, अब मुझे आपके भाषण को डिस्कण्टीन्यू कराना पड़ेगा।

श्री यशपालसिंह—बागात के ऊपर मेरी अर्ज यही है कि माननीय माल मन्त्री जी हमारा सजेशन मान कर के कम से कम देहात के इन लोगों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए, श्रमजीवियों के लिए, बागात को टैक्स से मुस्तसना करें और आज एक ऐसा ऐलान जरूर कर दें जिस ऐलान से कि देहात की काश्तकार जनता यह समझे कि माल मन्त्री जी हमारे खैरख्वाह हैं। मैं यह जानता हूं कि मेरी इस राय को शायद वह न मानें। एक शायर ने कहा है—

"मुझसे लाहासिल है मेरी हसरतों का पूछना,
तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है।"

लेकिन आज जनता की आवाज को आप दबा नहीं सकते। जनता आज यह चाहती है कि बागात को टैक्स से मुस्तसना किया जाय, ताकि वह इनमें ज्यादा फल पैदा कर सके। उसकी इस आवाज को आप दबा नहीं सकते। संविधान शास्त्रियों ने कहा है कि "Law is nothing but the will of people, expressed in terms of law" संविधान शास्त्रस्त्रियों ने हमें यह बताया है कि जो जनता कहती है, जो पब्लिक कहती है उसी का रूप इस ला के अन्दर होता है, कानून के अन्दर होता है, नियम के अन्दर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय माल मन्त्री जी से मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि कोई काम ऐसा भी जरूर कर जावें जिससे कि आपके कार्यकाल के बाद लोग आपका नाम प्रेम से याद करें और उससे किसानों का फायदा हो।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आज एक ऐसे विधेयक पर जो कि किसानों से सम्बन्ध रखता है उस पर बोलने का अवसर मुझे आपने दिया। अधिष्ठाता महोदय, मैं माल मन्त्री को इसलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बधाई का पात्र समझता हूं कि आज कई साल से जब से आजादी हुई रोज जमीन की व्यवस्था के लिए जमीन के कानून के लिए तरह तरह के सुझाव देश ने प्रदेश ने. . . .

राजा वीरेन्द्र शाह—प्वाइंट आफ आर्डर, मैं यह कहता हूं कि आप अमेंडमेंट पर नहीं बोल रहे हैं और उससे बाहर बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, वह उसी पर बोल रहे हैं। माननीय शर्मा जी, भाषण जारी रखें।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—इस वक्त यह चल रहा है कि जमीन की व्यवस्था किस तरह हो, लगान की व्यवस्था किस तरह हो, माल मन्त्री महोदय ने जिस तरह से इस देश के अन्दर क्रान्ति लाकर किसानों की व्यवस्था और जमीन की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई का पात्र समझता हूं। आज यह कहा जा रहा है कि बाग पर टैक्स न लगाया जाय, ३० एकड़ के ऊपर जो . . . . .

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—प्वाइंट आफ आर्डर, इस वक्त जमीन की व्यवस्था पर या लगान की व्यवस्था पर विचार हो रहा है या बाग पर टैक्स लगाया जाय या न लगाया जाय इस पर विचार हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय शर्मा जी, बाग पर यह टैक्स रखा जाय या न रखा जाय, इसी पर अपने को सीमित रखें।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—मैं तो बाग पर ही बोल रहा हूं। अधिष्ठाता महोदय, इसमें यह मांग की जाती है कि बाग पर किसी प्रकार का टैक्स न हो। अगर मान लिया जाय कि बाग पर किसी प्रकार का टैक्स न हो तो एक काश्तकार हजार एकड़ जमीन जिसके पास है, वह जाकर कुल जमीन पर बाग लगा ले। तो यह कौन-सी समाजवादी व्यवस्था है या कोई नये ढंग की व्यवस्था है ?

जहां तक यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाय कि बागों पर टैक्स न लगे तो गवर्नमेंट ने पहले से ही तय कर रक्खा है कि जिस भूमिधर के खेत में बाग लगे हों तो इतनी जगह पर जहां बाग लगे हैं कोई टैक्स नहीं लगाया जाय, लेकिन आज लगाया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि ३० एकड़ के ऊपर या इतने मुनाफे के ऊपर जिनके पास बाग की जमीन काश्त के अन्दर आती हो उनके ऊपर यह टैक्स जरूर बढ़ा दिया जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिक न कह कर केवल इतना कहूंगा कि बाहर खड़े होकर अभी चुनाव में कहा गया है कि छोटे काश्तकारों पर टैक्स न लगाया जाय और यह भी कहा गया है कि बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगाया जाय। तो इसी विधान सभा की बैठक में कभी इस पर भी विचार हो सकता है कि छोटे काश्तकारों पर भी टैक्स लगे या न लगे, उनको जमीन से फायदा होता है या नहीं होता है। अगर आज मान लीजिये ज्यादा जमीन वालों पर टैक्स लगाया जाता है तो जैसा मैंने कहा कल यह भी हो सकता है कि १० हजार एकड़ जमीन जिस के पास बाग की शक्ल में हो उस पर भी टैक्स लगाया जाय।

*राजा वीरेन्द्र शाह—सभापति जी, जो संशोधन मेरे मित्र ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यहां मेरे एक मित्र ने यह कहा कि इस संशोधन के मंजूर हो जाने से शायद वह उद्देश्य सफल नहीं होगा या इसके कोई मानी नहीं रहेंगे जिसके लिये यह विधेयक यहां उपस्थित किया गया है। श्रीमन्, मैं अर्ज करूं कि माननीय मंत्री जी या सरकार इसको मानें कि संशोधन किसी लैण्ड में या भूमि में जहां जरूरत होगी वहां इम्पलिमेंट कर दिया जाय तो इसे कोई कहने की जरूरत नहीं थी कि मौके पर कोई चीज रह गई है और फिर उसके लिये कोई संशोधन रखने की गुंजायश भी नहीं होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

जहां तक कर से मुक्त करने का सवाल है, मैं अपने मित्रों को अच्छी तरह से बतलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भवन के बाहर यह कह चुके हैं और प्रवर समिति में भी यह कहा कि बाग लगाने के लिये हम जनता को उत्साहित करना चाहते हैं और आगे हम टैक्स भी लगायेंगे तो बहुत कम लगायेंगे और रिआयत करेंगे। तो, श्रीमन्, अगर यह प्रश्न वे बाद को रखते हैं तो उनकी बात का कौन इतमीनान करेगा कि बाग लगाने के बाद वे उस पर टैक्स नहीं लगायेंगे। जब सरकार को अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े-बड़े कामों को शामिल करना है उस सबको देखते हुए इस बिल में अगर मंत्री महोदय ऐसी धारायें रखते हैं जिससे लोगों का उत्साह या विश्वास घटता है तो वैसी चीज नहीं रखनी चाहिये। बाग को कर से मुक्त कर देने में कितना घाटा हो जायगा यह किसी ने अन्दाज नहीं किया। आप यह देखें कि अगर कर से मुक्त कर देते हैं तो लोगों को कितना बाग लगाने के लिये आप उत्साहित करते हैं। छोटे बड़े किसान सभी बाग लगाने की ओर उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन सरकार तो टैक्स लगाना चाहती है और नाना प्रकार के बहाने और तरीके ढूंढ़ती है और कभी किसी क्लास पर और कभी किसी क्लास पर टैक्स लगाती है। आप देखें कि देश के उत्थान में यह विधेयक कितनी अहितकर चीज है। अगर आपको देश की तरक्की करनी है और आप यह चाहते हैं कि लोग देहातों में रहें, वहां कुछ तरक्की करके पेट का पालन कर सकें तो आपको टैक्स कम करना होगा। लेकिन आपने तो टैक्स इतना लगा दिया है कि उससे उनको कोई बचत नहीं होती। बाग लगाना जो किसानों के लिये एक उद्योग ही है उसको भी आप इस तरह से बन्द कर देना चाहते हैं। सरकार के कहने पर उत्साहित हो कर लाखों एकड़ जमीन पर तो किसान लोग बाग लगायें, छोटे और बड़े किसान दोनों मिल कर, लेकिन सरकार दूसरी तरफ उस पर भी टैक्स लगा दे तो इस तरह से दोनों पालिसीज नहीं चल सकतीं, या तो सरकार साफ कहे कि हमको सब पर टैक्स लगाना है, चाहे वह ग्रोव हो, जोत हो, हमको रुपये से मलतब है—फायदा हो या नुक्सान हो, लेकिन यह कोई चीज नहीं है कि उधर तो आप कहें कि हम रियायत करेंगे और इधर टैक्स लगावें। तो यह दोनों चीजें ठीक नहीं लगती हैं और मंत्री जी इसको समझेंगे और हमारे संशोधन को स्वीकार करके जनता और प्रान्त का हित करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—माननीय शिवशंकर जी अब अपना जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं?

श्री शिवशंकर सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से फिर नम्र निवेदन करूंगा कि जैसा कि सदन में अभी वाद-विवाद हुआ, ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया है कि बागों से कर-मुक्ति की जाय, मैं फिर आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जायगा।

*श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैंने जिस रोज इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव यहां पेश किया था, तब बागों का जिक्र इस बिल में न होते हुये भी भविष्य में बागों के सिलसिले में गवर्नमेंट का इरादा रिआयत करने का जाहिर किया था। बागों की कितनी अहमियत है और बाग से हमारी जमीन की रक्षा होती है और पानी भी हमारे नदी, नाले और स्रोतों में आता रहेगा, और जो बागों के दरख्त लगाने के फायदे हैं, उनका मैंने कुछ जिक्र किया था। तो कम से कम इससे यह तो जाहिर था कि मैं बागों की अहमियत को जानता हूं, इसलिए जो व्याख्यान यहां दिये गये हैं और धर्मशास्त्रों की, महाराजाओं की और गरीब किसानों की जो दुहाई दी जाती है उसके लिए अगर यह कहा जाय कि सिर्फ बोला गया है बोलने के लिए, कुछ न कुछ कहने के लिए, और कुछ मेरी समझ में नहीं आता। कोई दलील दी जाती कि आपकी मंशा इससे पूरी नहीं होती है जो अल्फाज रख दिये हैं, तो वह मेरी समझ में आता, लेकिन शास्त्र, जनहित और "दुनिया याद करेगी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ना अब तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है" और लेखपाल की, जो यह सब बातें, कही गयीं तो जिसकी जितनी समझ हो वह उतनी बात कहता है। डेमोक्रेसी में जहां और बहुत सी मजबूरियां आदमियों की हैं वहां यह भी है कि हर तरह की बात जो कि माकूलियत से कितनी ही दूर हो, वह भी सुननी पड़ती है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं, जैसा माननीय जयराम वर्मा ने कहा, उनसे बिलकुल सहमत हूं कि अगर हम इस संशोधन को यहां स्वीकार कर लेते हैं तो क्या फायदा होता है। मैं इसे मंजूर करे लेता हूं, लेकिन फिर भी कभी बाग का जिक्र न किया जाय और आगे के लिये तैयार हो जायं कि गवर्नमेन्ट फिर बागों को मुस्तसना नहीं करेगी। किसी ने यह पढ़ने की तकलीफ नहीं की है कि जहां बाग का जिक्र है तो वह केवल उन इलाकों के लिए है जहां जमींदारी खत्म नहीं हुई हैं। जहां खत्म हो गयी हैं वहां दूसरी क्लाज आती है कि "जहां कोई शख्स जमीन पर काबिज होगा, आसामी, शिकमी और सीर का काश्तकार और सीरतान के अलावा" यह जो क्लाज है यह सारे उस इलाके को कवर करती है जहां जमींदारी अबालीशन हो चुका है और पहली क्लाज, जहां मध्यवर्ती का जिक्र है, वह उस इलाके से सम्बन्ध रखती है जहां मध्यवर्ती विद्यमान है। आज कुमायूं और शहरी इलाके में मध्यवर्ती मौजूद हैं और कुमायूं और शहरी इलाके में दोनों जगह पर लोगों पर टैक्स लगेगा। उनकी तादाद नगण्य है, बहुत थोड़ी है और बहुत थोड़े आदमियों के पास बाग होंगे। तो इसमें अगर बाग निकाल दिया जाय तो कोई मंशा तो पूरा नहीं होता जो मेरे माननीय मित्रों का है। इसलिए जब यह संशोधन पेश किया गया था तो यह नहीं सोचा गया कि इससे हमारा मंशा पूरा होता है या नहीं और बिला वजह इतना जोश व खरोश, इतनी भावना और आवेश बखेरा गया है। वह तो बहुत थोड़े इलाके के लिए है। लेकिन जब कानून बनाया जाता है तो सारे इलाके को, सारे प्रदेश के समस्त क्षेत्रफल को कवर करने का इरादा होता है इसीलिये इसको रखा गया है। अगर मैं इस क्लाज को निकाल भी दूं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुमायूं में फिर दुहरा दूं कि शहरी इलाके में ५० एकड़ और ३० एकड़ से ज्यादा के क्षेत्रपति बहुत कम होंगे और जिनके पास बाग हैं उनके इलाकों को मिलाकर लिया जाय तो बहुत कम होंगे। इसलिये हमने यह रखा है कि सारा रकबा कवर हो जाय। अगर हम प्रोव्ज को निकाल भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इरादा है कि बागों को मुस्तसना न किया जाय तब भी मंशा पूरा नहीं होता है। आगे जितने बाग लगेंगे उनके मुताल्लिक मेरा यह विचार है कि अगर हो सके तो उन सबको मुस्तसना कर दिया जाय, गो मैंने अभी पूर्णतया निश्चय नहीं किया है। लेकिन इसी खयाल से, दूरंदेशी के खयाल से, आने वाली पीढ़ी की दृष्टि से कि जितने पेड़, बाग बगीचे लगाये जा सकें वह थोड़े हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि नये बाग लगने चाहिये। यह बात तो आगे की रही। अगर इसमें से प्रोव्ज निकाल दें तो जितने प्रोव्ज हैं वह पूर्णतया मुस्तसना हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कीमती फलदार बगीचे हैं, चाहे वह एक या दो ही हों, वह बच जाते हैं।

आज जो देशी आम की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मैंने एक नोटीफिकेशन पढ़कर सुनाया। उसके मुताबिक एक एकड़ के देशी आम के बाग की आमदनी ज्यादा से ज्यादा ९ रुपये पड़ती है जब कि एक एकड़ में देशी आम के ४० से लेकर ६० दरख्त हो सकते हैं। ५० दरख्त मान लीजिये, इनकी आमदनी ९ रुपये, १० रुपये या ६ रुपये है। अगर हम ६ रुपये ही लगायें क्योंकि जो सर्किल रेट है वही माना जायगा, वह ८ प्रतिशत है। इसलिये अगर ५० देशी आम के दरख्तों की आमदनी ६ रुपये मान कर टैक्स लगाया जाय तो अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी तकरीरों की क्या जरूरत थी जो यहां हुई हैं। क्या ५० आम के पेड़ों पर ६ रुपये के भी फल नहीं आयंगे ?

दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि आगे के लिये हमारा इरादा है कि जो बाग लगें उनको टैक्स से मुस्तसना कर दिया जाय। एक दलील माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने दी

[श्री चरणसिंह]

थी, मैं माफी चाहता हूं और मैं उसको छोड़े देता हूं और मैं समझता हूं कि इसके निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर्चे ऐसे बागों की तादाद बहुत कम होगी। दो ही बगीचे हों लेकिन उनको क्यों मुस्तसना किया जाय जबकि उनमें हजारों की आमदनी होती है।

एक बात गरीब किसान के सम्बन्ध में कही गई। औसतन् ५० एकड़ से कम के लोगों पर यह टैक्स लगता नहीं है। तो गरीब किसान यहां कहां से आ जाता है। हम दिल से बड़े फार्म ओनर को बचाना चाहते हैं लेकिन अगर हम यह कहेंगे कि बड़े फार्म-ओनर को बचाना चाहिये तो दलील में बल नहीं आयेगा इसलिये गरीब किसान की बात कही जाती है। फिर कभी गरीब किसान के हामी बन जाते हैं और कभी-कभी करोड़पतियों और अरबपतियों को अपना साथी मान लिया जाता है तो किधर हैं हम? जबान पर कुछ है और दिल में कुछ है। यह कहां तक मुनासिब है। इसमें किसी गरीब आदमी को नुक्सान नहीं पहुंचता क्योंकि ९० लाख किसान हैं जिनमें से ९ हजार पर यह टैक्स लगेगा, १ हजार में १ पर अगर गरीब किसान पर यह टैक्स लगने वाला है तो ८९,९०,००० किसान तो शायद मालदार होंगे और ९ हजार गरीब होंगे। इसलिये मैं यही समझता हूं कि इस संशोधन को पेश करने से कोई फायदा नहीं है और गवर्नमेन्ट का भी कोई बहुत ज्यादा नुक्सान नहीं है अगर मैं इसको मान लूं, लेकिन केवल मन्शा यह थी कि शहरी इलाके में अगर कोई कीमती फल वाला बगीचा है तो वह क्यों बचे, वह नहीं बचना चाहिये, बस।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (१६) के भाग (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'खुदकाश्त' तथा शब्द "तथा" के बीच के शब्द 'या बाग के रूप में हों' निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (१६) के भाग (२) के उपभाग (घ) के शब्द "कर्त्ता अथवा" तथा कोष्ठकों में आये हुये अंग्रेजी के शब्द "karta or" निकाल दिये जायं और शब्द 'office' के स्थान पर शब्द 'officer' रख दिया जाय।

इसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसा कि अब इस सम्बन्ध में प्राविधान हुआ है उसको देखते हुये शब्द "कर्त्ता" अनावश्यक है और जो दूसरा है कि "आफिस" के स्थान पर "आफिसर" रख दिया जाय, यह तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरा खयाल है कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—मुझे यह संशोधन स्वीकार है जैसा यह विधेयक ड्राफ्ट हुआ था उसमें ज्वाइंट हिन्दू फैमिली का जिक्र था लिहाजा शब्द "कर्त्ता" आ गया था। लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने अमेंडमेंट करके ज्वाइंट हिन्दू फैमिली निकाल दिया। लिहाजा यह "कर्त्ता" भी निकाल दिया जाय, यह मुनासिब ही बात है और दूसरा तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ही।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (१६) के भाग (२) के उपभाग (घ) के शब्द "कर्त्ता अथवा" तथा कोष्ठकों में आये हुये अंग्रेजी के शब्द "Karta or" निकाल दिये जायं और शब्द 'office' के स्थान पर शब्द 'officer' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (१८) के भाग (२) में शब्द 'कर निर्धारक अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर निर्धारक प्राधिकारी' रख दिये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यह केवल शाब्दिक है, मेरा खयाल है कि मन्त्री महोदय इसको भी स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (१८) के भाग (२) में शब्द 'कर निर्धारक अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर निर्धारक प्राधिकारी' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (२३) में शब्द "नियुक्त" तथा शब्द "से है" के बीच में शब्द "सब-डिवीजन के इन्चार्ज प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector first class in-charge of a Sub-Division)" रख दिये जायं।

श्रीमन्, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर हो गई है इस कारण से यह संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा। आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री चरणसिंह—यह सेलेक्ट कमेटी का निश्चय नहीं था, जैसा कि रिपोर्ट से जाहिर है, लेकिन प्रेस से ऐसा हो गया कि यह शब्द कोष्टक के अंदर रख दिये गये, जिसका मंशा यह हो जाता है कि इनको निकाला जा रहा है। यह मंशा था नहीं। सिर्फ प्रिंटिंग एरर के कारण ही यह संशोधन लाना पड़ा है। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (२३) में शब्द 'नियुक्त' तथा शब्द "से है" के बीच में शब्द "सब-डिवीजन के इन्चार्ज प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector first class in-charge of a Sub-Division)", रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (२४) की पंक्ति १ में शब्द 'कृषि वर्ष' के स्थान पर शब्द 'वित्तीय वर्ष' रख दिये जायं।

श्रीमन्, इससे मेरा मतलब यह है कि चूंकि यह कर प्रापर्टी टैक्स के रूप में है अतः इसको पहली जुलाई के बजाय पहली अप्रैल से लागू किया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कोई हानि न होगी। इससे माननीय मंत्री जी का अभिप्राय भी पूरा हो जायगा और जो करदाता हैं उनको सरलता भी हो जायगी।

*श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होती लेकिन दो कठिनाइयां हैं। एक तो यह कि ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स हमने ३० जून, १९५७ तक लिया है इसलिये पहली जुलाई से इसको लागू करने जा रहे हैं। अब अगर यह वित्तीय वर्ष से लिया जायगा तो इसके माने यह होंगे कि या तो १ अप्रैल, १९५७ से लिया जाय, जिसके माने यह होते हैं कि तीन महीने का डबल टैक्स उनसे लिया जाय वरना अगर हम इस साल लेते हैं पहली जुलाई से तो ९ महीने का टैक्स रह जाता है। एक तो यह दिक्कत है।

दूसरे, यह उनकी दलील सही है कि यह प्रापर्टी टैक्स है, इन्कम टैक्स नहीं, लेकिन इसके कागजात माल विभाग में तैयार होंगे। जमीन का रकबा वहीं तय होगा। इसलिये अगर जमीन को हानि पहुंची है तो उतने रकबे को हमको छोड़ना पड़ेगा। यह ठीक है कि हम फसल का विचार इसमें नहीं करेंगे कि उसमें आमदनी कैसी है, कितनी है, लेकिन फसल का लिहाज रखेंगे। इसके भी आंकड़े हमें माल विभाग के ही कागजों में मिलेंगे और महकमा माल में जो कागजात तैयार होते हैं वह पहली जुलाई से तैयार होते हैं। यह एक दूसरी कठिनाई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

अगर हम अपने माननीय मित्र का संशोधन स्वीकार कर लें तो कागजात में कंफ्यूजन होगा। वैसे उसूलन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह दो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (२४) में शब्द 'स्वीकृत मौरूसी दरें' तथा शब्द (canctioned hereditery rates) निकाल दिये जायं।

यह जो मेरा संशोधन है यह औचित्यपूर्ण है क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक गांव में सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स फिक्स कर दिये गये थे। फिर से उन सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स का लाना यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अनुसार नामुनासिब मालूम होता है और फिर अगर यह इसी प्रकार से हो जाता है तो यह सैंक्शन्ड हेरिडटिरी रेट्स का रखना रिडन्डेन्ट है और मुनासिब नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, इस हाउस की कार्यवाही हिन्दी में होती है। मेम्बर साहब खुद हिन्दी जानते हैं। इसके क्या माने हैं कि हाउस के कायदे और रिवाज सब हिन्दी में होते हैं तो हमारे सदस्य महोदय अंग्रेजी में अपना संशोधन पेश करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप संशोधन पर बोलिये। इस तरह से आप बीच में नहीं बोल सकते।

*श्री चरणसिंह—मुझे ताज्जुब होता है कि माननीय अमरेशचन्द्र जी पांडेय का यह खयाल हो रहा है कि जब जमींदारी उन्मूलन किया गया तो तब गांव-गांव में सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स तय किये गये। कोई नहीं तय किये गये। हैरिडिटरी रेट्स जब सैटिलमेंट हुआ तब तय हुये थे। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के नाफिज किये जाने से सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स का कोई वास्ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे सैटिलमेंट से तय हुये हैं। सैटिलमेंट कई वक्तों पर हुये हैं। इसलिये वह सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स का रखना जरूरी है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—श्रीमन्, मैं इस पर फिर जोर देता हूं कि जिन गांवों में बिना तसफिया की जो आराजी है उसके लिये हेरिडिटरी रेट्स मुकर्रर किये गये, वहां पर वही हेरिडिटरी रेट्स मान लिये जायं यह मैं चाहता हूं। अगर उनको मान लिया जाता है तो इसको यहां से निकाल देना चाहिये।

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं शायद मेरे अर्ज करने में कुछ नुक्स रह गया है जिससे अमरेशचन्द्र जी पांडेय समझ नहीं पाये। सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स जो हैं वे सैटिलमेंट के उसूल के मुताबिक मुकर्रर होते हैं। अगर किसी गांव में सेटिलमेंट नहीं हुआ है बहुत दिनों से तो आस-पास के जो रेट्स होते हैं सैटिलमेंट के उसूल के मुताबिक वह रेट्स वहां लागू कर दिये जाते हैं। ऐसे कुछ गांव हैं तो वहां पर इसी तरह से रेट्स लागू किये गये और वे सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स कहलाते हैं। इसलिये इस संशोधन से बिलकुल भ्रम हो जायगा। सैंक्शन्ड हेरिडिटरी रेट्स का जमींदारी एबालिशन से कोई वास्ता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

जोत-कर का भारित किया जाना ।

३—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी एतत्पश्चात् व्यवस्था की गई है, प्रत्येक जोत (land holding) के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कृषि वर्ष के निमित्त अनुसूची में निर्दिष्ट दर से कर, जिसे एतत्पश्चात्, "जोत-कर" कहा गया है, भारित किया जायगा, लगाया जायगा तथा अदा किया जायगा (shall be levied and paid) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जिसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक न हो ।

(२) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, उपधारा (१) के अधीन लगाया जाने वाला जोत-कर, किन्हीं जोतों के वर्ग अथवा वर्गों के सम्बन्ध में, जैसा नियत किया जाय, पूर्णतः अथवा अंशतः ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, तथा उतने बार जिन्हें वह आवश्यक समझे, [कम (reduce) कर सकती है उसमें] छूट दे सकती है (remit) अथवा उसे माफ (exempt) कर सकती है ।

(३) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक के अधीन भूमि का क्षेत्रफल आकलित करने के लिये ऐसी भूमि की, जिस पर इमारत हो उससे संलग्न भूमि सहित, किन्तु २।। एकड़ से अनधिक, गणना नहीं की जायगी ।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) में कोष्ठकों के बीच में आये हुए शब्द "shall be levied and paid" के स्थान पर शब्द "shall be charged, levied and paid" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, इसमें शब्द चार्ज्ड गलती से छूट गया था । मेरे संशोधन की मंशा यही है कि वह शब्द रख दिया जाय । इससे उसका अर्थ पूरा हो जाता है । मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री चरणसिंह—मुझे यह स्वीकार है ।

अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, मुझे विरोध है जिस मासूमियत के साथ माननीय जयराम वर्मा जी ने इस संशोधन को पेश किया है वैसी बात नहीं । अगर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो मालूम होगा कि उसमें "चार्ज्ड" शब्द है नहीं । विधेयक की धारा ३ को अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है "शैल बी चार्ज्ड, लेवीड एण्ड पेड" परन्तु सेकेक्ट कमेटी में उस चार्ज्ड शब्द को निकाल दिया गया है । इसकी एक बुनियाद भी है कि कोई चार्ज्ड होता भी नहीं है । यह तो एक टेक्निकल टर्म है । चूंकि यह तो एक टैक्स है लिहाजा वह लैवी किया जाता है और इसीलिये उसमें "शैल बी लेवीड" रख दिया गया है ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, सेलेक्ट कमेटी ने "चार्ज्ड" शब्द को रखा था लेकिन यहां छपने में गलती हो गयी है । हिन्दी में अगर आप देखें तो उसमें उसका पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है । इसलिये इस गलती को ही दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय जयराम वर्मा जी ने जो बात कही है वह सही है। फिर "चार्ज्ड" सेलेक्ट कमेटी ने रक्खा था या न रक्खा था, होना चाहिये या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। सेलेक्ट कमेटी ने जो निश्चय किया है उसके खिलाफ भी तो हाउस कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) में कोष्ठकों के बीच में आये हुए शब्द "shall be levied and paid" के स्थान पर शब्द "shall be charged, levied and paid" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि:---

"खण्ड ३ के उपखण्ड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द 'तीस' के स्थान पर शब्द 'पचास' रख दिया जाय।"

अब मैं उस प्रतिबन्ध को भी पढ़ दूं जिससे माननीय सदस्यों को साफ हो जायगा कि मेरे संशोधन का अभिप्राय क्या है। वह इस प्रकार है---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जिसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक न हो।"

मैं इस 'तीस' की जगह 'पचास' रखना चाहता हूं। मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को मैं आंकड़ों से प्रसन्न कर सकूंगा, तर्क से उनको समझा सकूंगा अथवा कोई और कसौटी है जिसको मैं जानता नहीं हूं। जहां तक न जानने वाली बात है, मेरी मजबूरी है।

उन्होंने ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का नारा लगाया कि एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स से यह कानून मिलता जुलता है पर थोड़ा सा मौलिक फर्क सिद्धान्तों का है कि वह इन्कम के ऊपर टैक्स है और यह प्रापर्टी टैक्स है लेकिन दोनों बहुत कुछ मिलते जुलते हैं तो आप यह देखें कि जब ऐग्रीकल्चर-इनकम टैक्स ऐक्ट शुरू में बना तो उस समय भी ५० एकड़ की एक्जेम्प्शन लिमिट था, लेकिन बाद में वह घटाया गया और घटाने के बाद ३० एकड़ रहा, यह मुझे स्वीकार है। हमारे मंत्री महोदय एक तर्क और भी देंगे और बहस करेंगे कि ५० एकड़ तक तो यों भी माफ हो जायेगा। यानी ३,६०० रु० आमदनी का जो ऐनुअल मूल्यांकन आप करेंगे वह सिवा जौनपुर, या मेरठ ऐसी जगह जहां सर्किल रेट बहुत ऊंचा है, उन जगहों को छोड़ कर और जगह तो करीब करीब ५० एकड़ यों ही हो जायगा। मैं उस बहस का मुकाबला इसी वक्त कर लेना चाहता हूं और बतला देना चाहता हूं कि हम ५० एकड़ इस वजह से चाहते हैं कि इस वक्त यह ५० एकड़ रखा जाय और आइन्दा चल कर हम उसमें भी संशोधन लावेंगे। तो उसका अभिप्राय यह है कि हम चाहते हैं एक्जेम्प्शन लिमिट जो हो वह महज ५० एकड़ न रहे बल्कि और भी अधिक होना चाहिये।

फिर सिद्धान्त की बात यह है कि यह ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा ९-१० हजार लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर यह कर निर्धारित होगा। अगर उनका मतलब पूंजीपतियों के हिमायती होने से है, उनका यह आक्षेप मेरे ऊपर या, तो मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जब हम चले गये तो उनके रहने की कोई गुंजायश बाकी नहीं है और न हम कोई अनुचित लाभ उठा सकते हैं जैसे कि और पोलिटिकल पार्टीज उनसे लाभ उठाती हैं।

श्री अधिष्ठाता---इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इसका इससे जो सम्बन्ध है उसे मैं आपको दृष्टिगोचर करा देता हूं। आप सुन तो लें फिर मुझे दृष्टिगोचर कराने में कोई कठिनाई नहीं है।

मैं सबसे पहले थोड़ा सा उन किसानों के बारे में ही कह देना चाहता हूं। वे किसान ही हैं, कोई मध्यवर्ती नहीं है जिससे आपको घृणा हो जाय। पहले उन किसानों के बारे में मुझे यह कहना है कि यह वेल्थ टैक्स है। अब आप इसके लिये भी कह देंगे कि इससे इसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन मेरे लिये मजबूरी है कि मैं इस सम्बन्ध में ऐसे उदाहरण और उपमा देकर न बतलाऊं तो और क्या करूं? लिहाजा इस सूरत में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वेल्थ टैक्स में एक्जेम्प्शन लिमिट बहुत ऊंची है। एक लाख से ऊपर है, इस वक्त कोई और अमेंडमेंट हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं तलाश रहा था लेकिन मुझे उसकी कोई कापी नहीं मिल पायी कि लेटेस्ट क्या लिमिटेशन है। मैं ठीक से नहीं जानता लेकिन इतना जरूर है कि एक्जेम्प्शन लिमिट लाखों में है।

अब ऐग्रीकल्चर टैक्स इन्कम टैक्स भले ही न हो लेकिन एग्रीकल्चर प्रापर्टी टैक्स तो है ही लिहाजा मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हिन्दुस्तान की एकोनामी केवल कृषि के ऊपर आधारित है और जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई न्यूनता आयी, या दुर्बलता आयी तो कितना भी औद्योगीकरण इस हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में हो लेकिन वह टिक नहीं पायेगी, हमारी कृषि की जो रीढ़ है जो बैकबोन है वह एग्रीकल्चरल एकोनामी है और अगर हमने उस को कुछ रुपये के लालच में भुलाया तो यह खतरनाक होगा। फिर यह बात नहीं है कि मंत्री महोदय, समझते न हों, समझ बूझ तो उनकी बड़ी तेज है लेकिन यदि वह लालच और प्रलोभन में आ गये और एक्सचेकर की पूर्ति के लिये उन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाया तो वह एक मौलिक गलती होगी और जिसके लिये माननीय माल मंत्री जी हमेशा दोषी ठहराये जायंगे। हम तो यह सब वजादारी से बरदाश्त करते हैं लेकिन हमारी सन्तति और बालबच्चे यह न कहें कि कोई ऐसा माल मंत्री एक जमाने में यहां था कि जिसने इस तरह से एग्रीकल्चरल एकोनामी पर कुठाराघात किया था, मैं नहीं कहता कि उनको ज्ञान नहीं है, वह तमाम कानूनी परिस्थितियों से वाकिफ हैं, काबिल हैं लेकिन यह तो वह समझ नहीं पाते या मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनको समझा नहीं पाता? वह अगर चाहते हैं कि मैं दलील दूं तो मैं दलील देता हूं कि इस स्टेट की एकानामी जो है वह कोआपरेटिव और कलेक्टिव कल्टीवेशन से नहीं सुधरेगी, वह तो तभी सुधरेगी जब कि प्रीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप के लिये इन्सेन्टिव मिले और इसके लिये वह मुझसे सहमत हैं। जबानी कहने से कुछ नहीं होता, यह कहना कि हम किसानों के लिये सहानुभूति रखते हैं, मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वह पुस्तक भी निकाल कर मैं आपके समक्ष रख सकता हूं जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहां की एकानामी को बढ़ाने के लिये प्रीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप ही एक रास्ता है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह टैक्स जो वह लगा रहे हैं क्या यही उसके लिये इन्सेन्टिव है? कदापि नहीं। थोड़े से रुपये के लिये आप यह कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिये माननीय वित्त मंत्री जी को वह पुराने हो गये, बहुत से रास्ते उनके पास हैं, खुदा के लिये, लिल्लाह उनको छोड़ दीजिये और आप उस पचड़े में न जाइये। इन छोटी गलतियों का अंजाम स्टेट के लिये बुरा हो सकता है, दूसरे मंत्री भी अगर बाद में आयें तो वह भी गलती कर सकते हैं लेकिन इस प्रदेश में आप की यह गलती नहीं भुलाई जा सकती। आप वेल्थ टैक्स की सिमिली लीजिये, आप किसी तरह से एग्रीकलचरल प्रापर्टी को इन करों से मुक्त रखिये। इसलिये इस एग्जेम्पशन लिमिट को आप ठीक कीजिये। फैक्ट्स एण्ड फिगर्स भी ऐसे हैं कि ३० एकड़ वालों की तादाद भी अधिक नहीं है, वह दस हजार हैं। वह अगर दस हजार हैं तो ३० से ५० एकड़ वालों की तादाद भी अधिक न होगी। अगर यह लिमिट ३० से ५० कर दी जाय तो बहुत बड़ी रकम का सवाल न होगा। यदि सम्भवतः थोड़ी, सी कमी हो जाय ९ हजार रह जायं, क्वायनेज के फैक्ट्स फिगर्स के लिये मैं तैयार नहीं था वर्ना वह दे देता।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

माननीय मंत्री महोदय ही बतला दें तो बड़ा अच्छा होगा अगर उनके पास आंकड़े हों कि अगर एग्जेम्शन लिमिट आप ५० एकड़ कर देते हैं तो कितने लोग इस से बच जायेंगे और क्या आमदनी का घाटा आपको हो सकता है। मैं अपनी समझ में इसको बहुत कम समझता हूं। चीज यह करनी है जिससे किसान अपनी जगह पर सिक्योरिटी समझे। लेकिन हमको सिक्योरिटी नहीं है।

एक दूसरी चीज है। सरकार अपना विश्वास खो बैठी है। महज वादा करने में सरकार आगे रहती है। इस सरकार ने जो वायदे किये हैं, उनकी कहां तक पूर्ति हुई है आप के यह कह देने से कि बाग पर टैक्स न लेंगे, वह कौन सा मूर्ख है, जो मान लेगा। यह दूसरी चीज है कि अपने घर का रुपया आपके लिये ही सर्फ कर दे, लेकिन आदमी को बेवकूफ थोड़े दिन तक बनाया जा सकता है। कुछ को आप बहुत दिन तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सबको बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। यह कांग्रेस सरकार में ही खूबी है। मैं एक नहीं, दस पांच उदाहरण दे सकता हूं, जहां पर सरकार एक चीज कहती है, और वह नहीं होता है। मैं तो मामूली सी बात आपकी निगाह में लाना चाहता हूं कि बजट में कहा गया कि फीस माफ कर दिया है, लेकिन अभी भी आप जाकर देखिये वह फीस ली जा रही है। मैं आपकी इजाजत से उदाहरण दे रहा हूं इस वजह से टोकने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। इस तरह के वायदे का कोई नतीजा नहीं। माननीय मंत्री महोदय यह न कहें कि मैं मजबूर हूं, मैं मंजूर नहीं कर सकता या नाखुश हों माननीय यशपालसिंह से और नाराजगी निकालें मेरे ऊपर और जो बात मैं कहूं उसका जवाब लापता हो जाय। तो उसके लिये क्या कहा जाय, मेरी मजबूरी तो यह है कि वह सुनना नहीं चाहते।

श्री अधिष्ठाता---माननीय माल मंत्री सुन रहे हैं। आप कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---इन चीजों पर वह प्रकाश डाल दें, इन चीजों का वह जबाव दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं उनसे सहमत हूंगा तो वापस ले लूंगा और अगर वह कहीं मुझ से सहमत हो जायं तो जो उनकी जिन्दगी भर की "न" है वह "हां" में परिणित हो जाय।

*राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय सभापति जी, अभी जो संशोधन माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी, ने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जैसा कि, अभी माननीय माल मंत्री ने बतलाया कि तीस एकड़ से ज्यादा की जो आमदनी है जो ३५ एकड़, ३६ एकड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर वगैरह जहां पर सर्किल रेट अधिक हैं इन डिवीजनों में वहां पर यह ३६ एकड़ तक पड़ेगा। बाकी और जगह पचास एकड़ और ६० एकड़ पड़ेगा। बुन्देलखंड में श्रीमन्, शायद ६० एकड़ के करीब पड़ेगा। इसलिये जो यह साफ साफ बात कही जाती है कि पचास एकड़ रख दिया जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। दो डिवीजनों के लोग जिन पर सर्किल रेट ज्यादा है उन्हीं से कुछ आमदनी हो सकती है। आज श्रीमन्, गल्ले की गरानी की वजह से जो उनमें कुछ आमदनी ज्यादा दिखायी पड़ती है उस आमदनी को देख कर सरकार उन डिवीजनों से कुछ थोड़ा सा वसूल भी कर ले। तो क्या हर्ज है इसमें कि जो ५० एकड़ हमने रखा है उसको सरकार न माने।

श्रीमन्, मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि जहां प्लानिंग कमीशन और सेन्टर ने जो हमारे देहात और शहर दोनों जगहों की आमदनी को करीब-करीब मुकर्रर करने के लिये इरादा किया है, कितनी जनता की फ़िस्क्रड इनकम होनी चाहिये, कितने पर हम लोगों को छोड़ना चाहिये, तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस देश का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह प्रान्त है, जो कृषि प्रधान है और जहां ९० फ़ीसदी लोग कृषि करते हैं। हम अपने देहात की उठती हुई आमदनी को इतना नीचे न गिरने दें और ऐसा न दबायें कि वह उन्नति न कर सकें।

श्रीमन्, मैं बतलाना चाहता हूं जो सेन्टर ने वेल्थ टैक्स लगाया है, उसमें भी डेढ़ लाख तक ऐग्जेम्प्ट कर दिया है, इसी वजह से जिस से कि प्राइवेट सेन्टर में जो लोग उद्योगधंन्धे चलाते हैं, उनकी आमदनी इतनी कम न होजाय, जो करीब डेढ़ परसेंट उन पर पड़ती है। अब इस टैक्स से ५० फ़ीसदी हमारी आमदनी वसूल कर लेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें छोटे-बड़े किसान का सवाल नहीं है। आज देश का या प्रान्त का फ़ायदा होता हो तो हम सब कुर्बान होने के लिये तैयार हैं। कुछ लोग जो यह समझते हों, चूंकि पहले हम लोग इस तरह रहते थे और उसी भावना को लेकर आज हम अपनी बात कह रहे हैं, तो यह गलत धारणा है। हम में से बहुत से लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं, बहुत से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं और बहुत से कांग्रेस में हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं देहात मे खुशहाली चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि देहात के आदमी भी वैसे ही खुशहाल रहें जैसे शहर वाले रहते हैं। इसकी कोई वजह नहीं है कि आज शहर वाले नाना प्रकार की दिक्कतें पेश करके कामयाब हो जाते हैं और बड़ी-बड़ी रकमें छुड़वा लेते हैं और हम पर ५० परसेंट तक टैक्स लगाया जा रहा है। सरकार की इस टैक्स से इतनी आमदनी भी नहीं हो जायगी कि जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़ी भारी सफलता हो जाय। सिर्फ एक करोड़ रुपया इससे मिलेगा। अगर मंत्री जी चाहें तो किसी और भी जगह से कमी हो जायगी और यह रकम निकल सकती है।

यहां तो उसूल का सवाल है कि हम देहात की तरक्की और वहां की बुनियाद को कायम रखने के लिये कोई मापदंड बनाना चाहते हैं जहां पर हम जा करके कुछ दिनों के लिये रुक जायं। अगर आज गल्ले का भाव गिर जाय तो मैं क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि यह टैक्स आपको हटाना पड़ेगा वरना देहात के लोग भूखों मर जायेंगे। तो जो चीज वास्तविकता में ठीक है, ५० एकड़ की हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और हमें लोगों को उत्साह दिलाना चाहिये कि देहात की आमदनी इतनी रहे जिससे हम लोग अपना सिर ऊंचा करके चल सकें।

*श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, संशोधन यह है कि ५० एकड़ से कम जमीन पर, छोटे खातों पर, टैक्स न लगे, जब कि विधेयक में ३० एकड़ है जहां रकबे का जिक्र है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे मित्र एक गल्ती कर रहे हैं। वह यह कि रकबे के लिहाज से टैक्स नहीं लग रहा है। यह तो आमदनी के हिसाब से टैक्स लग रहा है। आमदनी जिसकी ३,६०० रु० सालाना हम समझते हैं, ऐनुवल वैल्यूएशन कहना चाहिये, उसकी जायदाद पर यह टैक्स लग रहा है। अब ३० एकड़ तो हमने सिर्फ इसलिये लिखा है कि क्योंकि आगे के लिये भी हमने सीलिंग ३० एकड़ की है, तो इसलिये कर दिया है कि ३० एकड़ से नीचे के रकबे की ऐनुअल वैल्यू भी ३,६०० रु० आती है, तो वह मुस्तशना है। टैक्स ३० एकड़ से बड़ी होल्डिंग पर नहीं लग रहा है। टैक्स लग रहा है ३,६०० रु० सालाना आमदनी जिस जायदाद पर है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ३,६०० ऐनुअल वैल्यू अगर ३० एकड़ से कम जमीन की होगी तो टैक्स नहीं लगेगा और ३,६०० ऐनुअल वैल्यु पर ३० एकड़ से बड़ी जितनी भी जायदाद हो उस पर टैक्स लगेगा।

अब दूसरा यह सवाल हो सकता है कि आपने ३,६०० रु० ही क्यों रखा? ४,२०० से क्यों घटाया, ३,००० क्यों नहीं किया या ५,००० क्यों नहीं कर दिया? इसके मुताबिक जवाब मैंने पहले भी दिया था और अब फिर बतलाता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने सीलिंग रखने की, जो सीमा करार दी है जो वह रकबे के लिहाज से नहीं, आमदनी के लिहाज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

से की है। १,२०० नेट इनकम एक फेमली होल्डिंग की उन्होंने मान ली है। जितनी जमीन पर १,२०० रुपये की नेट इनकम हो जाय वह एक फेमिली होल्डिंग मान ली जायगी और तीन फेमली होल्डिंग्ज एक फेमली के पास हो तो उससे ज्यादा जमीन अगर उस फेमली के पास है तो, उन्होंने कहा है कि वह रकबा उससे ले लिया जाय और उसे तकसीम कर देना चाहिये। मैंने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन के उसूल से सहमत हैं। छोटी होल्डिंग्ज में हमारे देश का फायदा है। लेकिन हमारे सूबे की जो परिस्थिति है उसको देखते हुये हम एक, एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर सीलिंग लगाना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि बहुत थोड़ी जमीन मिलती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे यहां किसानों का है। इन सब बातों को देखते हुये कि जमीन उसमें बहुत थोड़ी मिलती है, हम एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर कोई सीलिंग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम यह मुनासिब समझते हैं कि जिसकी आमदनी ३,६०० रु० हो उसे एक सीलिंग करार दिया जाय और वह टैक्सेशन के लिये एक मुनासिब स्टैंडर्ड हो। इसलिये ३,६०० रु० रक्खे गये हैं। इससे ज्यादा जिसकी ऐनुअल वैल्यू होगी उस पर टैक्स होगा। यह बात दूसरी है कि मेरठ डिवीजन में ५० एकड़ से कम की होल्डिंग्ज बहुत ज्यादा हैं जिन पर टैक्स है। ऐसी कोई ७,७०० होल्डिंग्ज हैं। जिन पर टैक्स है और जो ५० एकड़ से कम हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऐसी होल्डिंगज़ केवल मेरठ डिवीजन में ही हैं और किसी डिवीजन में नहीं हैं। ५० एकड़ से कम की होल्डिंग्ज ४,९०० के करीब हमारे दूसरे डिवीजन्स में हैं। लिहाजा मेरठ और मुजफ्फरनगर कहीं का जिक्र करना कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है। । हम तो ऐनुअल वैल्यू पर टैक्स लगाते हैं। रकबे पर नहीं लगा रहे हैं। जमीन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। किसान के पास अच्छी जमीन है, किसी भी भाग में वह रहता हो उसे टैक्स देना होगा।

अगर फी खानदान के हिसाब से लगायें तो ५ एकड़ फी खानदान हिस्से में आती है। उसमें आमदनी बहुत थोड़ी बैठती है। वह बैठेगी साढ़े ३०० या ४०० रु०। तो जिन लोगों की जायदाद की हैसियत ३,६०० रुपये ऐनुअल वैल्यु के हिसाब से है तो क्यों न वे टैक्स दें या जमीन दें। अल्टीमेट एनेलेसिस में जमीन सारे सूबे के निवासियों की है। लेकिन सब मिल कर खेती नहीं कर सकते। इसलिये इंडिविजुअल पजेशन रिकग्नाइज करना है और जिन लोगों के पास अपने हिस्से से ज्यादा जमीन है उनको ज्यादा पैदावार करना चाहिये। ज्यादा पैदावार करेंगे तो पब्लिक एक्सचेकर को ज्यादा कांट्रीब्यूशन दे सकेंगे। नहीं दे सकेंगे तो बिक जाय। हम उनके लिये आंसू नहीं बहायेंगे। तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं। माननीय राजा जगम्मनपुर या उनके हमखयाल और हम जायदाद वालों के साथ किसी से किसी तरह का कोई द्वेष हो और उसे मिटाने के लिये ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हरगिज हरगिज नहीं है। बल्कि उसूल यह है कि जिन लोगों के पास अपने हिस्से से ज्यादा जमीन है वे ज्यादा रकम दें। क्योंकि रकबा ज्यादा है, ज्यादा पैदावार करनी चाहिये, लिहाजा ज्यादा वह टैक्स दे सकते हैं। अगर टैक्स नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जमीन को घेरे बैठे हैं, प्रापर एक्सप्लायटेशन उस जमीन का नहीं कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इसके अलावा मैंने उस रोज संकेत भी किया था कि एक खानदान अगर मेहनत करे खेत पर तो ५० एकड़ से ज्यादा को काबू में कर ही नहीं सकता। सही माने में उससे ज्यादा का एक्सप्लायटेशन कर ही नहीं सकता, उससे पैदावार कर ही नहीं सकता। मेरा अपना खयाल यह है कि अगर एक खानदान के लोग मेहनत करना चाहें, दो एडल्ट एक खानदान में होते हैं वह मेहनत करें तो ६० एकड़ में उतनी पैदावार नहीं होगी जितनी ५० एकड़ में होती है। लिहाजा ५० एकड़ से ज्यादा जमीन होना देश के लिये तो हानिकार है ही, क्योंकि पैदावार आगे कम हो जाती है, उस किसान के लिये भी ज्यादा हितकर नहीं है। अब हमारी इत्तला यह है कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है न तो उनके पास इतना रुपया है, न आदमी हैं कि वह उसको सुपरवाइज कर सकें क्योंकि

सुपरवाइजिंग कैपेसिटी, प्रबन्ध करने की क्षमता, जो है वह लिमिटेड होती है। वह उतना समय नहीं दे पाते हैं। खेती ऐसी चीज नहीं है जैसे कि बड़े-बड़े कारखाने हों, उनको तो एक आदमी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि कारखाने का रकबा सीमित होता है, वह मंजिल दर मंजिल, कई मंजिल भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े फार्म जो हैं, खेती जो है, उसका वास्ता तो रकबे से है, सरफेस से है। जो जितना बड़ा फार्म होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, उसमें उसका समय ज्यादा लगेगा, उसको आना जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो उतना सुपरविजन जितना कि खेती चाहती है बड़ा किसान कर ही नहीं सकता। इसलिये हमेशा बड़े किसान की पैदावार फी एकड़ छोटे किसान के मुकाबिले में अगर रिसोर्सेज और फैसेलिटीज बराबर दी जायं तो कम होती है। खैर, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मुल्क भी सफर करता है क्योंकि बड़े खाते रहने से वह उतनी पैदावार दे नहीं सकते हैं और बड़े खाते वाले को भी उतनी पैदावार नहीं मिलती है। तीन तीन सौ, चार-चार सौ, पांच पांच सौ एकड़ लोग घेरे बैठे हैं। न खुद अच्छी तरह काश्त करते हैं और न करने देते हैं। डाग इन दी मेंन्जर वाला हिसाब है। खाल के अन्दर एक कुत्ता बैठा हुआ है। उसमें भुस रखी हुई है, एक बैल उसको खाना चाहता है तो भूंकता है, खुद भुस खा नहीं सकता है। तो यह सूरत माननीय जगम्मनपुर जिस वर्ग की हिमायत कर रहे हैं, उस वर्ग की हो रही है। जमीन एक नेशनल असेट है, न उसको खुद एक्सप्लायट कर सकते हैं और न करने देते हैं।

तो इसका नतीजा यह जरूर होगा कि बड़े बड़े फार्म्स टूट जायेंगे। अब वह जमीन किन लोगों को जायगी इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। ३० एकड़ से ज्यादा वालों को जा नहीं सकती। मैंने उस वक्त कुछ थोड़ा सा किया था कि गवर्नमेंट छः छः एकड़ बांटे, फिर सारी जिम्मेदारी ले कि तकावी दे, बसाये, जहां जमीन लेने के लिये कोई न आये वहां दूसरी जगह से लोगों को ला कर बसायें, इस सब झंझटों में गवर्नमेंट नहीं पड़ना चाहती। इसलिये सीधा लैंड डिस्ट्रिब्यूशन हम नहीं कर रहे हैं। बड़े-बड़े फार्म वालों पर हम टैक्स लगा रहे हैं। अगर वह दिये जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता, अगर नहीं दे पाते हैं तो वह खुद अच्छी से अच्छी कीमत पर उठा सकते हैं, दूसरे लोगों को ३० एकड़ से कम जिनके पास उनकी जमीन है।

अधिष्ठाता महोदय, यह टैक्स जो लग रहा है, अगर अच्छा किसान होगा तो १५० एकड़ तक तो बड़ी आसानी से टैक्स दे सकता है। १४० एकड़ जमीन जिस किसान के पास होगी उस पर टैक्स लगता है ६०७ रुपये। वह कोई ज्यादा टैक्स नहीं है। अगर हम लैंड रेवेन्यू ही बढ़ाना चाहते, जैसे पंजाब में सरचार्ज लगाया गया, तो १५० एकड़ वालों पर ६०० रुपये का तो सरचार्ज ही रखा जाता। हां, उससे ऊपर जो हैं, बेशक उनको टैक्स देना मुश्किल होगा। १ हजार से ज्यादा वालों को १५ हजार रुपया, २ हजार से ऊपर ४० हजार रुपया इस तरह से पड़ेगा। ९४ होल्डिंग्ज हैं हमारे सूबे के अन्दर जो १ हजार एकड़ से बड़ी हैं। १,८८७ एकड़ उनका पड़ता है। उनके ऊपर ३७ हजार रुपया टैक्स पड़ेगा। मैं जानता हूं कि उनको बड़ी कठिनाई इसमें होगी और कठिनाई हो यह हमारा इरादा है। उनको कठिनाई होनी चाहिये। वरना अगर खेती करें तो टैक्स आसानी से देदें। लेकिन वह मनुष्य की सीमा से बाहर है कि एक खानदान ५० एकड़ से ज्यादा भूमि को संभाल सके। इसलिये उनको कठिनाई होगी।

अधिष्ठाता महोदय, राजा जगम्मनपुर ने एक बात कही कि किसानों को क्यों बरबाद करना चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान का इस सिलसिले में नाम लेना बिलकुल गलत है, बरअक्स है। किसान का सवाल ही नहीं है। मेरा मतलब उस किसान से है जो घुटने तक धोती बांधता है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है और हल कंधे पर रखा हुआ है।

[श्री चरणसिंह]

मैं तो चाहता हूं कि हमारे किसान बहुत सरसब्ज हों, उनकी आंखों में रोशनी आये, लेकिन छोटे किसान की जब दुहाई दी जाती है तो मतलब उसी से होना चाहिये, लेकिन उस पर कोई छाया नहीं पड़ रही है।

अब यह कि साहब नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स पर ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है, यह खयाल गलत है। नान-ऐग्रीकल्चरल इन्कम पर जो टैक्स के आंकड़े गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं उसमें २०,००० से ४०,००० रुपये तक की आमदनी वालों को ३० नये पैसे, ४० से ४५ हजार तक की इन्कम वालों को ४० नये पैसे टैक्स देना पड़ता है। ४५ से ५० हजार वालों को ५० नये पैसे, ५० से ६० हजार तक को ५५ नये पैसे, ६० से ७० हजार वालों को ६० नये पैसे इस तरह से आगे ७५,००० पर ६५ नये पैसे, ८०,००० पर ७० नये पैसे। ८५ से जहां ऊपर है उनको ८० नये पैसे। तो यह बात नहीं है कि उन पर टैक्स कम है। दुनिया भर में प्रेजुएटेड टैक्स लिया जाता है, चाहे ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हों या नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हों और जितने ज्यादा बड़े हैं उनको ज्यादा देना पड़ता है। तो गैर-जराअती इन्कम पर बड़ा हैवी टैक्सेशन है। जो उसूल दुनिया भर में नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये माना जाता है वही हमारे देश में भी माना जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स से हम क्यों न टैक्स लें?

एक बात और है। हो सकता है कि मेरे कुछ मित्र सहमत न हों, लेकिन एक बड़ा लैंड-होल्डर, जो ज्यादा जमीन घेरे बैठा है, और एक बड़ा फ़ैक्टरी वाला है, उनमें अन्तर यह है कि फ़ैक्टरी वाले ने फ़ैक्टरी बनायी है, कुदरत ने नहीं बनायी थी, वह किसी जमाने में नहीं थी, उसको मैनुफ़ैक्चरर या कैपिटलिस्ट ने उसको कायम करके देश की दौलत में इजाफा किया। लेकिन लार्ज होल्डर ने क्या किया, जिसके पास ज्यादा जमीन है? जमीन तो पहले से मौजूद थी, अब किसी वजह से, कुछ हिस्टारिकल सर-कमस्टैंसेज से किसी के कब्जे में ज्यादा आ गयी, किसी ने मुगल बादशाह की खुशामद की, किसी ने अंग्रेज की की। अधिकतर हिस्टरी यही है। उसने यह जमीन बनायी नहीं थी, कुदरत ने बनायी थी। उसने उसे कैप्चर कर लिया। बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े मैनुफ़ैक्चरर, बड़े फ़ैक्टरी ओनर और बड़े लैंड-ओनर में अगर सिम्पैथी और देश हित का सवाल है तो फ़ैक्टरी ओनर मेरी नजर में ज्यादा सर्विस करता है।

इस शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, मैं माननीय माल मंत्री का भाषण सुनता रहा। वह तो उस किसान को मानते हैं जिसके कंधे पर हल हो, धोती हो और एक कुर्त्ता फटा पहने हो। शायद यह परिभाषा उनकी है। मैं यह समझता हूं कि मेरे किसान के माने यह हैं कि जैसे यह किसान का बेटा अपने को कहते हैं जैसे कि किसान माल मंत्री हैं। तो मैं किसान के माने माल मंत्री के समझता हूं।

क्योंकि उनके घर भी किसानी का काम होता है, हम वह किसान देखते हैं जो हर चीज पर हावी हो, हर चीज को जानता हो, हर साधन उसको उपलब्ध हों, मिनिस्ट्री भी हो और सरकार भी उसके साथ हो तो मैंने यह किसान देखा है। वह किसान वह नहीं जानते हैं जो बरबाद हो गये। उनको आज वह किसान नहीं मानते हैं। जिन्होंने तुगलकों की खातिर की, मुगलों की सेवा की या जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की। यह भी ठीक है कि कुछ लोगों ने इससे अनुचित लाभ भी उठाया है। मैंने व्यक्तियों को सरकार की खुशामद करते देखा है, लेकिन सरकारों को इस सरकार की तरह, व्यक्तियों की खुशामद करते हुये, बिड़ला और टाटा की खुशामद करते हुये, नहीं देखा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय माल मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं यह समझता था और जो मुझे शंकायें थीं वह अपनी जगह पर ठीक निकलीं। यह जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अमेंडमेंट हम चाहते थे शिड्यूल में आ सकता था। लेकिन इस जगह पर मैं ५० एकड़ का संशोधन न रखता तो उनके सहायक जयराम जी कहते कि उस समय आप क्या सो रहे थे, मैं जागता था और मैंने देखा कि ऐसी गल्ती न हो जाय। लिहाजा मैंने ५० एकड़ का संशोधन रखा और जब जरूरत आयगी और शिड्यूल पर कंसीडरेशन होगा तो उस समय भी मैं आवश्यक संशोधन उपस्थित करूंगा।

जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उनके सुनने का प्रयास कर रहा था और उनकी किताब भी पढ़ रहा था। दो कार्य एक साथ कर रहा था तो कोई भूल हो वह क्षम्य हो सकती है। उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रांति नामक किताब में पढ़ रहा था। ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के जो आंकड़े इसमें दिये गये हैं वह इस प्रकार हैं कि ३० से ३५ एकड़ तक की जोत ३,७३८ हैं, ३५ से ४० एकड़ तक की जोत २,७११ हैं, ४० से ४५ एकड़ तक की जोत २,२४६ हैं और ४५ से ५० एकड़ तक की जोत १९९५ हैं। मैंने इनको जोड़ने का प्रयास किया है और अगर गल्ती न हुई हो तो १०,६९० जोतें हैं। विवाद के लिये मैं कह रहा हूं और अगर इसे मान लिया जाय तो टोटल नम्बर आफ होल्डिंग्ज इतनी हैं।

मान्यवर, प्लानिंग कमीशन का लैण्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में एक पैनल था और सीलिंग के सम्बन्ध में उसकी यह रिपोर्ट थी कि १,६०० ग्रास इन्कम या १,२०० नेट इन्कम यानी मजदूरी वगैरा निकालकर इतनी आमदनी हो तो उतने पर सीलिंग नहीं होनी चाहिये। उनका मतलब यह था कि यह भी देखा जाय कि उत्तर प्रदेश में १,६०० रुपये ग्रास इन्कम या १,२०० रुपये नेट इन्कम ४८ या ५० एकड़ पर होती है उनकी समझ में मेरी विचारधारा गलत हो सकती है, लेकिन आंकड़ों और भाषा के बारे में मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि आपने ऐनुअल वैलुएशन लिया है जिसके माने हैं संकशन्ड हेरिडेटरी रेट का साढ़े १२ गुना। जिस आधार पर आप फर्मा रहे हैं वही आधारशिला मेरे भी तर्कों की है। मैं यह कहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के ही मुताबिक ८० एकड़ होनी चाहिये जबकि परिवार ५ व्यक्तियों का हो और उसके बाद अगर एक मेम्बर भी बढ़ जाय तो एक यूनिट और दी जा सकती है, यानी १६ एकड़ और, यानी कुल मिलाकर ६ यूनिट्स पर ९६ एकड़। आप सीलिंग नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं साफ यह कह देते कि उत्तर प्रदेश में सीलिंग की जरूरत नहीं है? सेंटर एक चीज कहता है, ठीक है। सलाह उम्दा है, आप हमारे बहुत लाभ के लिये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में यह परिस्थिति नहीं है। क्यों नहीं सरकार बहुतस्पष्ट शब्दों में ऐसा कहती है? मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, माल मंत्री के नाते नहीं, आखिर यह क्या तमाशा है?

श्री चरणसिंह—फैक्ट्स पर कहिये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं फैक्ट्स पर ही कह रहा हूं। इसीलिये मैं चाहता था कि यह सरकार साफ साफ कह दे कि हम सीलिंग नहीं चाहते हैं, मैं स्वागत करूंगा। वह कह दे कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं चाहते हैं, हम स्वागत करेंगे। यह खुदा का फजल है कि हम और आप एक दो मौकों पर एक हैं।

अब मुझे यह कहना है कि उसी प्लानिंग कमीशन का कहना है कि ५० एकड़ तक कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। जहां तक इन्कम का सवाल है, उसमें और ऐनुअल वैलुएशन में अन्तर है। आप यह समझते हैं कि सर्किल रेट और उसका साढ़े १२ गुना ऐनुअल वैलुएशन है। प्लानिंग कमीशन ग्रास इन्कम और नेट इन्कम की बात कर रहा है। वह चीज लागू तब होती थी जब इन्कम टैक्स होता। उसी फिजा और पृष्ठभूमि को लेते हुये सेंटर ने भी कहा है कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स होना चाहिये और यही टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी कहा। आज १२ प्रदेशों में यह लागू है। अब एक्जेम्प्शन लिमिट क्या होनी चाहिये यह दूसरी बात है। लिहाजा जिन तर्कों पर वह अपना केस रखते हैं उन्हीं के आधार पर मैं भी अपना केस सदन के सामने रखता हूं और सदन के ऊपर फैसले के लिये इसको छोड़ देता हूं।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

एक बात और माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रदेश की बड़ी सेवा की है। आपकी दी हुई पुस्तकों से कोई सहमत हो अथवा असहमत, लेकिन जितने आंकड़े और चीजें आपने उनमें दे दीं हैं, उनसे हमारी बहुत सी मेहनत बच गई है। हम उन बहुत सी चीजों को न आपकी लाइब्रेरी में पा सकते थे और न कहीं लेकिन आप की दी हुई इस सुविधा का हम आज फायदा उठा रहे हैं। इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काफी लिखा, पढ़ा और समझा है, उसके लिये भी मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन भगवान जाने इस कुर्सी पर आ जाने के बाद कौन सी मुसीबत आ जाती है कि जब वह हाउस में आते हैं तो न जाने हमारी बदकिस्मती है अथवा हाउस की, कि उस जगह बैठकर चौधरी साहब बिलकुल अड़ियल हो जाते हैं। न दाहिने हटते हैं, न बायें, न आगे, न पीछे, और बुद्धि से परे होकर पर्वत की तरह विराजमान हो, रहते हैं। उनके पास बुद्धि को अपील करने की कोई चीज हो, इसके कोई माने नहीं होते। मैं फैक्ट्स पर बोल रहा हूं। १,६०० ग्रास इन्कम पर १,२०० की नेट इन्कम को आधार मान कर मैं चाहता हूं कि यह ५० एकड़ वाला मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं मुख्तसरन केवल दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो यह कि ५० एकड़ अगर रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ४५ एकड़ जमीन अगर बहुत अच्छे किस्म की भी हो तो वह मुस्तस्ना हो जाती है और बहुत रद्दी किस्म की जमीन अगर ५१ एकड़ है तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो न्याय क्या होना चाहिये रकबा या हैसियत? मेरे संशोधन का जो फंडामेंटल उसूल है, वह हैसियत है, जमीन की, जितनी जिसके पास हो और मैं समझता हूं कि जितने जीशऊर हैं वे सब रकबे के बजाय जमीन की हैसियत को रखना ज्यादा पसंद करेंगे।

दूसरी बात मैं आपके जरिये से अवधेशप्रतपसिंह जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह मेरी जात की बाबत अगर ज्यादा न कहें तो अच्छा होगा। मेरे ऊपर यह अहसान न किया करें क्योंकि मैंने उनकी बाबत कभी जाती बात नहीं कही। लेकिन वह जो इतना ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, वह मुनासिब नहीं है। बाकी उनका हक है कि वह चाहे जो कहें और हंसें, लेकिन मैं उनको मशविरा यह दूंगा कि यह ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "पचास" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खण्ड ३ के उप-खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जो पूर्णतया किसी सार्वजनिक संस्था (religious or charitable trust or society) की हो।"

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि सदन की ज्यादा समा खराशी न करूं और कोई ऐसी बात अर्ज न करूं कि जो किसी के लिये बारेसमाअत हो। दूसरी दफा यह विधेयक हमारे सामने आया है। पहली दफा जब यह बिल आया था तो एक दिन में ही खत्म हो गया था। उस दिन कुछ ऐसे मुकर्रिर बोले जिन्होंने डेढ़ घंटे तक अपनी तकरीर की। चन्द घंटे इस बिल के लिये थे उसमें २,३ तकरीर मुफस्सिल तौर पर हो सकीं। इस वजह से जो लोग इस पर अपने खयालात जाहिर करना चाहते थे उनको मौका नहीं मिल सका। कहा गया कि यह जनमत की बात है। तो जो सदस्य अपने विचार प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहते थे वे कासिर रहे। यह चीज बेहतर तो नहीं रही लेकिन आज मुझको आपके सम्मुख जो अपना संशोधन पेश करने का मौका मिला है, मैं चाहता हूं कि इसी तक सीमित रहूं और इसके बाहर न जाऊं।

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है यह कोई नई चीज नहीं है और न कोई ऐसी चीज है जिसको मंजूर करने से हमारी शान में कोई बल आ जाय। यह हमारा संशोधन रीजिनेबिल है जिसको शायद अक्ल तसलीम करे। हम इस बात का दावा करते हैं कि हम अपने देश में मंगलकारी राज्य कायम करेंगे और हमारी वैलफेयर स्टेट हो। वैलफेयर स्टेट के लिये यह जरूरी है कि वहां मसानात में बराबरी हो और कोई दुखी न हो। ऐसा मंगलकारी राज्य जब हम बनाना चाहते हैं तो उसमें अगर कोई टैक्स लगे तो उसको बगैर सोचे समझे, उजलत में नहीं लगाना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस पर बहुत गौर किया होगा और सोच विचार के बाद इस बिल को यहां पर पेश किया होगा। पिछली मर्तबा जब यह बिल यहां पर आया था तो जैसा हम विचार करना चाहते थे उस शक्ल में उस पर विचार नहीं कर सके। इसमें ३० सेक्शन्स हैं और ६२ संशोधन हैं।

जहां तक चेरिटेबिल परपजेज का ताल्लुक है इस वेलफेयर स्टेट में हम हर वह टैक्स लगाना चाहते ह, जिससे आवाम का फायदा हो और जिसमें सार्वजनिक हित का नजरिया हो। जब हम अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हैं तो फिर इस बात की जरूरत है कि हम देखें कि हम इससे कितना काम कर सकेंगे जिससे आम जनता का फायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ हिस्से तक गवर्नमेन्ट की इससे आमदनी बढ़े, लेकिन गरीबों का इससे किस हद तक फायदा होगा इसको मैं समझ नहीं पाया। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास २,३ एकड़ जमीन भी नहीं है। तो ३० एकड़ की सीलिंग हो इससे कोई खास फायदा नहीं पहुंचता। पहले जो राजा नवाब मुखय्यर थे वह खैरात करते थे। काश ! ये चैरिटेबिल परपेजेज के लिये अपनी भूमि दे दें तो उसके लिये इसमें कहीं तजकिरा नहीं हैं। मुमकिन है मैं भूल गया हूं, तो मंत्री जी उसे साफ कर दें। मुफादेआम्मां के लिये जो चीज है, स्कूल, अस्पताल या आरफनेज या दूसरी संस्थायें, उनके लिये यह संशोधन मैंने रखा है। जैसा मंत्री जी ने फरमाया कि यह विधेयक बिल्कुल इन्नोसेंट है, मासूम है, इसी तरह मेरा संशोधन भी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे फहम से दूर हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्कम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन १५ (बी) पढ़ दूं:—

"The tax shall not be payable by an assessee in respect of any sums paid by him on or after the first day of April, 1948 as donations to any institution or fund which is established in British India for a charitable purpose and is approved by the Central Government for the purposes of this section."

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पुनः पीठासीन हुये।)

इसका तर्जुमा यह है कि हर वह चीज जो कि उसने किसी डोनेशन में दे दी है या अतिया के तौर पर दे दी है अप्रैल सन् १९४८ के पहले, उस डोनेशन या फंड पर जो ब्रिटिश इंडिया में है और सार्वजनिक हित के लिये है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स ऐक्ट की धारा ८ में है कि:—

"Any income derived from property held under trust or other legal obligation wholly for religious or charitable purposes and, in the case of property so held in part only for such purposes, the income applied or finally set apart for application thereto, shall be exempt from liability to tax under this Act."

[श्री शिवराज बहादुर]

इसका मकसद यह है कि वह तमाम जायदाद जो किसी ट्रस्ट की हो, चाहे कुल हो या जुज हो, जो उस मकसद के लिये सर्फ की जाय, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नये विधेयक में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि टैक्स मुफादेआम्मा के लिये रखी गई चीज पर हो।

सेक्शन ३ की प्रोवाइजो (२) में मंत्री जी ने लिखा है कि गजट होगा और उसके बाद जिस जमीन को या जिस किस्म की जमीन को सरकार मुनासिब समझेगी उसमें कमी कर देगी और उसे मुस्तस्ना भी कर देगी। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह कैसा डिस्क्रीशन है। हालांकि एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स साफ हैं। पता नहीं किस चीज को सरकार मुस्तस्ना करेगी। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी यह चीज जाहिर नहीं हुई। यह चीज उनकी जमीर को मालूम हो सकती है या उनके दिल में हो सकती है और इसमें वर्ड 'may' इस्तेमाल हुआ है, 'shall' नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं।

श्री शिवराज बहादुर—मैं ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करता हूं। मुझे अभी ५,७ मिनट ही हुये हैं। मेरा निवेदन, अधिष्ठाता जी, यह है कि इन्कम टैक्स और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में भी यह रखा है। बात तो एक ही है लेकिन उसे मुखतलिफ तरीकों से साबित करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके रास्ते में हारिज हूं या ज्यादा वक्त लूं। अगर मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लें तो अच्छी बात है।

*श्री चरणसिंह—मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मित्र ने जो यह बार-बार कहा कि इन्कम टैक्स और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में भी यह नहीं है, यह अनावश्यक है। उस दिन त्रिलोकी सिंह जी की तकरीर के जवाब में मैंने अपनी इब्तिदाई स्पीच में अर्ज कर दिया था कि एग्जेम्प्शन का अधिकार लेते समय सरकार की निगाह में दो ही किस्म की लैण्ड होल्डिंग्ज हैं, एक तो चैरिटेबिल और रिलीजस और दूसरी प्रोब्ज वगैरह। सेक्शन ८ का मुझे मालूम था। सिर्फ इस बात को ज्यों का त्यों हमने यहां नहीं रक्खा। हमारा इरादा यह है कि जहां कुछ प्रामिनेन्ट किस्म के ट्रांजैक्शंस हो गये हैं और जहां इस चीज को ऐब्यूज किया जा रहा है उस पर हम चाहते हैं कि टैक्स लगे और जो जैनुइन हों वे इससे बरी हों, जैसे स्कूल मकतब या गुरुकुल वगैरह। यह कहना कि आपको जमीर में या दिल में होगा। इस ऐक्ट में नहीं है, तो सरकार की ओर से बात हमेशा जिम्मेदारी के साथ कही जाती है। मैंने कहा था कि मेरा विचार है आमतौर से इस तरह की जायदाद को बरी करने का। ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम है कि एक एक शब्द को कानून में लिख दें अगर्चे हमने सुना है कि बहुत सी जगह कानून में सरकार को डैलीगेशन की पावर्स होती हैं और कान्टीनेन्ट में छोटा कानून बनाकर सारी तफसील गवर्नमेन्ट के लिये छोड़ दी जाती है। सरकार के ऊपर ऐतबार करना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि हमारा इरादा है कि जैनुइन ट्रांजैक्शंस को इससे बिलकुल मुस्तस्ना कर दें। इसलिए मैं समझता हूं कि अब उस पर बाकायदा धारा लाने की जरूरत नहीं है उसको हम बाद में करेंगे और वह हाउस के सामने आ जायगी।

*श्री रघुराज सिंह चौधरी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस तरमीम की ताईद में खड़ा हुआ हूं कि इस प्राविजो का इजाफा इसमें कर दिया जाय। मिनिस्टर साहब ने अभी अपनी तकरीर के जरिये से तसल्ली दिलायी मगर उस जायदाद को जो रिलीजस या चैरीटेबिल परपजेज के लिये है एक्जेम्ट किया जाना चाहिये। जब वे भी यही चाहते हैं तो इस बिल के जरिये से उसको रख देने में क्या हर्ज है। मंत्री जी ने जो इसमें रक्खा है उसके अल्फाज से ही इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात की जुरअत हुई है कि मैं अपने खयाल का इजहार करूं और इस प्राविजन की हिमायत करूं। उसके वर्ड्स इस तरह से हैं—

".....exempt or remit in whole or in part, for such period as it may think fit and as often as it may consider necessary....."

इसके माने यह हैं कि जब तक वह जरूरत समझें या जिसको जरूरत समझें। मेरी समझ में नहीं आया कि जिस ऐक्ट की जगह इस बिल को लाया गया है उसमें दफा ८ और ९ बिल्कुल साफ हैं, लेकिन इसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वह कमजोर और लचर हैं। ऐक्ट में ट्रस्ट और वक्फ के बारे में साफ लिख दिया गया है। अगर उन दफात का और इसका मुकाबला किया जाय तो उन दफात के मुकाबले में यह मोहमिल भी है और कमजोर भी। इसलिए जब एक चीज को गवर्नमेंट मानती है तो कोई वजह नहीं कि महज एक लफ्ज की वजह से उसको वापिस किया जाय। मैं इस बात को मान लेता अगर किसी कानूनी मुशीर ने ऐसा न करने का मशविरा दिया होता। या अगर यह प्राविजो हल वर्डेड होता तो भी मैं इसको मान लेता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर इस प्राविजो को मंजूर कर लिया जाता तो उससे सबको इत्मीनान हो जाता। इसलिए कोई वजह नहीं है कि गवर्नमेंट इसको तस्लीम न करे। रिलीजस और चेरीटेबिल परपजेज की कुछ किस्में होती हैं। मसलन गरीबों की इम्दाद करना या तालीम के लिये होना वगैरह, इनको कानून में भी माना गया है। वक्फुअलल औलाद के लिये भी यह लिखा गया है कि अगर आपकी कुछ आमदनी किसी पब्लिक के काम के लिये लगायी जाती है तो वह भी एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से बरी होगी।

इसके अलावा जहां-जहां लोकल बाडीज ने टैक्स लगाये हैं, वहां भी ऐसा किया गया है। कानपुर में जो हाउस टैक्स लिया जाता है वहां भी इस किस्म की जायदादों को बरी किया गया है, मसलन् हास्पिटल्स और एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार को इस बात में क्या पशोपेश है, वह क्यों इस बात से हिचकती है। अगर यह कहें कि चूंकि यह अमेंडमेंट अपोजीशन की तरफ से आया है लिहाजा कोई नुक्ता इस जानिब से कानून में न लग जाय, इधर के नुक्ते में छूत का मर्ज है, तो बात दूसरी है। इस कानून में दो चीजों पर हमला किया गया है। एक तो मजहबी इंस्टीट्यूशंस पर, मैं समझता हूं कि यह साफ नहीं है। दूसरे वे जो भगवान और खुदा में विश्वास रखते हैं और उसके वजूद को मानते हैं, मैं तो नहीं समझता कि कोई मिसाल कहीं भी ऐसी मौजूद हो जहां इस तरह से कानून के जरिये इन इंस्टीट्यूशंस की आमदनी को भी टैक्स किया गया हो। इसमें क्या नयी बात कही जा रही है यदि इस प्राविजो को और वाजे कर दिया जाता तो मेरे खयाल से ज्यादा मुनासिब और ठीक चीज थी।

हमारा विधान भी यह कहता है कि हर रिलिजस इंस्टीटयुशन को अपने रिलिजस फेथ के लिये फ्रीडम है, तो ऐसी तरमीम को तो गवर्नमेंट को कबूल कर लेना चाहिये। हो सकता है कि ऐसी सरकार किसी जमाने में रही हो या अब हो जिसने यह मुनासिब समझा हो या समझती हो कि इस किस्म की जायदादों की आमदनी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाय। और उनको भी इस टैक्स के बोझ से बरी न किया जाय। लेकिन मैं अपनी ओर से उनका मुकाबला नहीं करना चाहता और न उनका मुकाबला हो सकता है। हमारे वजीर साहब ने इस कानून को मासूम अल्फाज से मौसूम किया है। मैंने भी जहां तक इसको देखा, किसी हद तक इससे इत्तफाक है, लेकिन अपोजीशन की तरफ से एक तरमीम आयी है कि इसमें तरमीम होनी चाहिये। ठीक है, उन्होंने मासूम लफ्ज का इस्तेमाल कानून के लिये किया है, लेकिन किसी ने कहा है कि "भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी" तो यह हो सकता है कि यह मासूम इसी किस्म का हो। अगर इस भवन में अपोजीशन को भी इत्मीनान हो जाय और उनके कानून में कोई नुक्स न आवे तो इस कानून का जो मकसद है वह भी पूरा हो जाता है। ऐसी कोई बात न की जाय कि मुखालिफ दल के जितने भी अमेंडमेंट आवें उनकी लाजिमी तौर पर मुखालिफत ही की जाय।

[श्री रघुराज सिंह चौधरी]

यह भी कहा गया कि यह तो बड़े लोगों के लिये है। ठीक है बड़े लोगों के लिये ही है। लेकिन, अगर आप दरहकीकत छोटे काश्तकारों को फायदा पहुंचाना चाहते तो सब से पहले आप यह टैक्स का बोझ न लाकर, सीलिंग की बात लाते। सीलिंग के लिये आप कह सकते हैं कि शायद इतनी जमीन नहीं बचती जिसका बटवारा कर दिया जाय। अगर इसी उसूल को बिनोवा जी मानते तो शायद भूमिदान से अपना हाथ खींच लेते, लेकिन अब भी वे भूमिदान इस गरज से मांग रहे हैं कि जमीन लेकर बांटेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इस अमेंडमेंट को मान लेने में क्या एतराज है? मैं समझता हूं कि इस किस्म का टैक्सेशन जिससे आम लोगों को कोई फायदा न हो, न उन गरीब किसानों का फायदा हो जिनकी तस्वीर इस हाउस में खींच कर वजीर साहब ने बतलायी कि किसान वह है जिसका आधा बदन बरहना हो, जिसको आंखों से कम नजर आता हो, दरहकीकत उन्हीं किसानों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए यह तरीका क्यों नहीं अख्तियार किया जाता जिससे उनको रोटी और कपड़ा मिल सके।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया कि जब टैक्स लगेगा और उसको लोग न दे पायेंगे तो अपनी जमीन को बेंच देंगे। टैक्स के जरिये किसी की जायदाद को, किसी के हुकूक को और आजादी को दस्तयाब किया जाय, इसे मैं ठीक नहीं समझता हूं। सही रास्ता तो यही था जैसा कि बतलाया गया कि जमीन का बटवारा किया जाय। रिफार्म्स के नाम पर आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह की कोई चीज की गयी हो। मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे लैंड रिफार्म्स की कोई बात नहीं मिली और न ऐसी कोई बात मेरे तजुर्बे में आयी। न हमारी इन आंखों ने देखा कि हम देहात में जाते और सुनते कि दरहकीकत बड़ा रिफार्म हुआ है, पैदावार बढ़ गई है, पानी कम दामों पर गरीब किसानों को मिलने लगा है, उनके घर में गल्ला भरा है या वह अपने बाल-बच्चों को बड़े इत्मिनान से पढ़ा रहे हैं, मैंने तो यह हालत वहां आज तक नहीं देखी। सिर्फ लैंड रिफार्म्स के नाम का ढिंढोरा पीटा जाता है और प्रोपेगेन्डा किया जाता है। हालत दरहकीकत यह है कि दस साल अपने हाथ में ताकत लिये हुये इस सरकार को हो गये लेकिन किसानों की हालत नहीं सुधरी, इस भवन में रोज सवाल होते हैं और रोज बहस के लिये वक्त मांगा जाता है...

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य संशोधन से जरा दूर चले जा रहे हैं।

श्री रघुराजसिंह चौधरी--अगर यही लैंड रिफार्म है और उनके न्याय का यही तकाजा है कि जो रिलीजस या चैरिटेबिल ट्रस्ट्स हैं उनको भी न बख्शा जाय तो मैं इस तरमीम का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अधिष्ठाता महोदय, यह जायदाद के ऊपर, जो टैक्स लगाया जा रहा है उसकी मंशा का समर्थन करता हूं और साथ ही हमारे साथी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो टैक्स लगाने का आधार है उसको चाहे हम लोग भले ही न समझें, लेकिन मंत्री महोदय खूब समझते हैं कि उनको समाज को कहां ले जाना है। अभी माननीय अवधेशप्रताप जी ने यह कहते हुये अपनी बात कही थी कि एक निश्चित संख्या इसके लिये मुकर्रर कर दी जाय, लेकिन वहां तो दोनों बातें हैं, एक तरफ तो ३६ सौ की बात है और दूसरी तरफ ३० एकड़ की भी है। मंत्री जी के पास भी खेती है, वह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, मैं आज से नहीं बल्कि सन् १९४७ से आज तक के कांग्रेस सरकार के कानूनों को जानता हूं कि उनमें कहीं पर भी कोई स्थिरता नहीं है। कहने के लिये तो जो आज सरकारी बेंचेज पर बैठे हैं वह गरीबों के हामी बनते हैं और कहते हैं कि हमारे सिवा किसी को उनके साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन कोई भी काश्तकार जिसके पास एक गट्ठा जमीन भी है वह यह नहीं समझता कि इस कांग्रेस सरकार के जमाने में यह जमीन कब तक उसके अधिकार में रहेगी और उसका भविष्य किस तरह रहेगा, कोई स्थिरता या निश्चितता उसके हृदय में नहीं है। एक तरफ तो ३,६०० की बात है और दूसरी तरफ ३०

एकड़, वेल्यूएशन का आधार है, मालगुजारी। सीरदार पूरा लगान देते हैं और भूमिधर आधा लगान देते हैं। इस तरह से वह सीरदार के लिये जहां ३० की सीमा है वहां वह भूमिधर के लिये ३० की जगह ६० हो जायगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।

जहां तक इस टैक्स का सवाल है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उसमें बाजार का स्थान आता है, उस पर टैक्स लगना चाहिये जो सार्वजनिक उपयोग की चीज नहीं है। हम देखते हैं कि देहात में जमीदारी ऐबालिशन के बाद में एक दूसरा नकशा नजर आता है। जब जमींदारों ने समझा कि जमींदारी जा रही है, बंजर, बाजार, गांवसमाज में जा रहे हैं तो वह अपने तमाम बाजारों को उठा कर बागों में ले गये। ऐसी हालत में हम लोग घबराते हैं और जानना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार देहातों की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करके शुद्ध पूंजीवाद की तरफ क्यों बढ़ रही है? आपको विश्वास कर लेना चाहिये कि ऐसी बात है और इसके मुकाबले के लिये तैयार रहना चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी आय ३,६०० से अधिक है उनको आप इस राष्ट्र में दूसरे आय के साधन देना चाहते हैं या नहीं। अगर वह आपको नहीं देने हैं तो एक निश्चित रकम से अधिक आय हो तो देश की बहबूदी के लिये ले लीजिये, या जिनके पास से जो खेती छुड़ाना चाहते हैं, यह जो उद्देश्य आपने बताया कि मैं चाहता हूं कि खेती न कर सकने वाले लोग मजबूरन खुद बेंच दें। यह आपने कबूल ही कर लिया है कि इसके बारे में कोई निश्चित राय नहीं है कि जो तीस एकड़ से अधिक बेंचने जायंगे तो किसके हाथ बेचेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक परिवार की जो परिभाषा दी गयी है वह बड़ी अस्पष्ट है। उस अस्पष्टता के आधार पर भी उनको अपनी भूमि बचाने का मौका मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर आप कोई निश्चित योजना चाहते हैं जिससे सरकार की आमदनी बढ़े और उससे इस देश की तरक्की हो तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि साफ तरीके से कहिए कि जो खेती से जिन्दा रहने वाले लोग हैं, उनको खेती से जिन्दा रहने के लिए एक निश्चित तरीके पर संख्या निर्धारित करके उससे अधिक जो आमदनी हो आप कानून के द्वारा ले लीजिये। सरकार सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान रहते हुए पूंजीवाद की तरफ ज्यादा तवज्जह दे और देहात की अर्थ-व्यवस्था की तरफ खयाल न रहे तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वह धीरे-धीरे देहात की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की तरफ हो जायगा। जो एक नया टैक्स जायदाद पर लगा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि जैसे आपने १९४८ में कानून बनाया उसको फिर संशोधित किया, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में फिर संशोधन किया, उसी प्रकार आप को इसमें भी फिर संशोधन करने का मौका आये। उसमें कुछ स्थिरता हो। इसके लिए मैं आपको आगाह करता हूं। आप जल्दबाजी न करते तो अच्छा होता। इसको कुछ दिनों के लिए टाल देते तो बार-बार इसको बदलने की नौबत न आती।

उद्देश्य और कारण में लिखा है कि एग्रीकल्चर की आमदनी पर से टैक्स हटा कर जायदाद के ऊपर यह टैक्स लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---अब आप इस पर कल बोलेंगे। अब दूसरी कार्यवाही होगी।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए नामांकन पत्रों की सूक्ष्मपरीक्षा के फल की घोषणा

श्री अधिष्ठाता---मुझे यह घोषणा करनी है।

आगरा यूनीवर्सिटी सीनेट के लिए कुछ माननीय सदस्यों के नामांकन-पत्र आये थे। जो ठीक पाये गये हैं, उनको मैं बताये देता हूं---

१---श्री देवी प्रसाद मिश्र।
२---श्री गौरीशंकर राय।
३---श्री डूंगर सिंह।
४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल।
५---श्री विशम्बर सिंह।
६---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ।
७---श्री अमरेश चन्द्र पांडेय।
८---श्री दीनदयालु शास्त्री।
९---श्री झारखंडे राय।
१०---श्री रामशरण यादव।

श्रमजीवी पत्रकार तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत वेतन मंडल की शिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में विवाद

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशन्स आफ सर्विस ऐंड मिस्लेनियस प्राविजन्स ऐक्ट, १९५५ की धारा ६ के अन्तर्गत जो वेतन मंडल (Wage board) की सिफारिशों को लागू करने में जो कठिनाई इस प्रदेश में उत्पन्न हो गयी है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सबको मालूम है कि इस वेज बोर्ड की सिफारिशों को ११ मई को प्रकाशित किया गया था और उसमें यह भी लिखा गया था कि यह सिफारिशें जिस दिन वेतन मंडल का निर्माण किया गया था, २ मई, १९५६ को उस दिन से लागू होंगी।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में आज तक एक भी ऐसा अखबार नहीं है जिससे वेज बोर्ड के फैसले लागू किये जा सके हों, हालांकि इस प्रदेश में ऐसे अखबारों की संख्या मुझे यह मालूम हुआ है कि १०० से अधिक है। मान्यवर, यह भी सभी को मालूम है कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चलाया गया था उस वजह से इनके लागू होने में थोड़ी सी रुकावट थी। लेकिन आज इस सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के कारण यह बात नहीं है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उन मामलात में भी जो अदालत के सुपुर्द हैं, जहां तक आगे तनख्वाह और वेतन देने का सवाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रुकावट नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वेतन मंडल के पैराग्राफ ३९ के फैसले के अनुसार जो अखबार के प्रबन्धक हैं, उन्हें लेबर कमिश्नर के पास अपनी आमदनी का ब्यौरा पिछले गुजिस्ता तीन साल का दे देना चाहिये था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। कानून को देखने से यह मालूम होता है कि इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने जो नियम बनाये थे, उनमें यह अधिकार प्रादेशिक सरकार को दिया है और प्रादेशिक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह कानून ठीक तौर पर लागू होता है, इसके लिये इंसपेक्टर्स की नियुक्ति करे। मुझे यह मालूम हुआ कि इस प्रदेश में इंसपेक्टर्स मुकर्रर कर दिये गये हैं। लेकिन इंसपेक्टर्स के फरायज में से यह भी हैं, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :

"It shall be the duty of every such Inspector to ensure that the provisions of the Act and Rules thereunder and the decisions, if any, of a Wage Board constituted under the Act, are implemented in full by all newspaper establishments within his jurisdiction."

मान्यवर, इन्सपेक्टर्स का यह कर्तव्य है कि वह इस बात को देखें कि उसके हल्के में जितने भी अखबार वाले हैं वहां पर इस कानून के अन्तर्गत कोई भी फैसला, वेज बोर्ड का हो, या कोई और हो, ठीक तौर पर लागू किया गया है, या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के इन्सपेक्टर साहबान ने इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की। किन्तु आज तक यह मुमकिन नहीं हो सका कि जिस प्रदेश में १०० के ऊपर ऐसे अखबार हैं, उसमें एक अखबार में भी वेतन मंडल के फैसले लागू किये जा सकें।

मैंने जो वेतन मंडल का फ़ैसला है उसे मान्यवर, गौर से पढ़ने का प्रयत्न किया। मुझे उसमें एक खामी मालूम होती है। वेतन की अदायगी न्यूज़ पेपर के क्लासीफिकेशन पर है, उसके वर्गीकरण पर है और ५ वर्गों में वेतन मंडल ने इस देश के न्यूज़ पेपर्स का विभाजन किया है, ए, बी, सी, डी और ई। मेआर यह रखा गया है, आधार यह होगा कि उनकी सालाना आमदनी और खर्च क्या है, ग्रास रेवेन्यू इसके आंकड़े और इसका ब्यौरा वेज बोर्ड के फैसले के अनुसार अखबार वालों को उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर के यहां पेश करने चाहिए।

१५ दिन के अन्दर करने चाहिये। लेकिन अगर वे न पेश करें तो लेबर कमिश्नर का क्या अधिकार है, यह नहीं साफ होता है। यह सही है जैसा मैंने अभी पढ़ा कि नियम ऐसा बनाया गया कि इन्स्पेक्टर्स घूमें, जांच करें। लेकिन अगर इन्सपेक्टर की भी वे अखबार वाले मालिक न मानें तो वह क्या करेगा, इसके लिये कोई पैनल प्राविजन न तो वेज बोर्ड के फ़ैसले में है और न जिस कानून का मैंने शुरू में हवाला दिया उसी में कहीं इसका जिक्र है।

मान्यवर, मैं एक और कमी पाता हूं। क्लासीफ़िकेशन और रिटर्न अपने यहां के खर्च और आमदनी का अखबार वाला दाखिल करेगा। उसी में यह भी लिखा जायगा कि वह किस वर्ग का अखबार है। उसने तो लिख दिया, लेकिन किसी अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इस बात की जांच करे कि आया सचमुच वह "ए" कैटेगरी का अखबार है, या "बी" का है, या "सी" का है, या "डी" कैटेगरी का अखबार है। प्रत्यक्ष तौर पर, क्लासीफाइंग अथारिटी कौन हो, यह महज न्यूज पेपर मैनेजमेंट पर नहीं डिपेंड करना चाहिये और यह अलग से होनी चाहिये।

मान्यवर, मैं यह भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा जहां क्लासीफाइंग अथारिटी हो वहां इसका भी प्राविजन होना चाहिए कि अगर न्यूजपेपर एक नियत समय के अन्दर अपने हिसाब-किताब का ब्यौरा नहीं दाखिल करता है तो क्लासिफाइंग अथारिटी को यह अख्तियार हो कि वह खुद उसको क्लासिफाई कर दें। जैसे इन्कम टैक्स के मामले में है कि असेसी रिटर्न दाखिल करे, लेकिन अगर असेसी एक नियत समय के अन्दर दाखिल नहीं करता तो इन्कम टैक्स आफिसर को यह अधिकार होता है कि वह उस पर, जो उसका अपना अन्दाज हो, असेस कर दे। जिस समय तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जायगी, मुझे बड़ा भय है, कि इन नियमों को चाहे जितने अच्छे तौर पर बरता जाय जो असली मंशा था वर्किंग जर्नलिस्ट ऐंड मिस्लेनियस प्राविजन्स ऐक्ट का और उसके अन्दर वेज बोर्ड कायम करने का, वेज बोर्ड के फैसले का, वह खब्त हो जायगा। उनको हम अमली जामा नहीं पहना सकेंगे।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री महोदय से और इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सिलसिले में कोई ऐसा सुझाव निकालने का प्रयत्न करें जिससे कि यह संकट दूर हो। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार अगर कोई ऐसा अखबार है कि जिससे चार अखबार निकलते हैं या छः अखबार निकलते हैं, तो उनका सारा खर्चा एक समझा जायगा, एक चेन समझी जायगी। मुझे बहुत ही मातबर जराये से मालूम हुआ है कि वह अखबार जो कि कल तक चार-चार एक में काम करते थे अब वह महीने-डेढ़ महीने से अपना-अपना हिसाब अलग-अलग करने लगे हैं। एक आध ने तो यहां तक किया है कि न्यूज एजेंसी एक, छापा-खाना एक, सारी चीजें एक, आज से २ महीने पहले तक, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जो उन्होंने अपना हिसाब दिखलाया है तो उसमें अलग-अलग अखबार का अलग-अलग दिखाया है।

वेज बोर्ड के फैसले में यह भी था कि जहां एक कर्मचारी की तनख्वाह होगी, वहां महंगाई का भत्ता भी देना लाजिमी होगा। बहुत से ऐसे अखबार हैं जो कि तनख्वाह देते थे लेकिन महंगाई नहीं देते थे। अब उनको जब यह मालूम हुआ कि तनख्वाह और महंगाई दोनों देनी है तो आज वह अपनी तनख्वाह को २ हिस्सों में कर रहे हैं कि इतनी तनख्वाह और इतनी महंगाई। यह तमाम बातें और रुकावटें, अड़चनें इस देरी के कारण भी पड़ रही हैं। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा इन थोड़े से शब्दों में कि यह आदरणीय सदन, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और इस अड़चन को दूर करने के लिए कोई उपाय ढूंढ़ निकाले।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, आज इस सदन में उन हमारे श्रमजीवी पत्रकारों का मामला पेश है जिनकी आवश्यकता को देखते हुये केन्द्रीय सरकार ने एक ऐक्ट पास किया। श्रीमन्, इस ऐक्ट को पास करने के कई कारण थे। उनमें से कई कारणों पर प्रकाश डालते हुये माननीय डाक्टर केसकर ने इस बिल का जो संचालन किया और उस समय केन्द्रीय पार्लियामेंट में उन्होंने इसकी महत्ता में जो शब्द कहे, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उन्हें यहां पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा :—

"This is one of the most important recommendations of the Press commission. In point of fact, I consider this to be the most important recommendation, if we take human values into consideration.

There are a number of things affecting the structure of the industry like the profit and loss and many other things, which can be taken into consideration. But the welfare of the persons who run the industry, who work in it, and their future and their prosperity should have the first place."

श्रीमन्, उन्होंने आगे कहा कि इस प्रोफेशन में जो व्यक्ति लगे हुये हैं उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। हमको यह ऐक्ट बहुत समय पूर्व पास कर देना चाहिये था। उन्होंने आगे कहा :—

"That has resulted in delaying this measure by many months and the delay is all the more regrettable as the uncertainty that has prevailed during this interim period has not decided to better conditions for working journalists. From that point of view also, it is necessary that Parliament passes some measure without the least delay."

श्रीमन्, इस आधार पर वहां के माननीय सदस्यों ने ऐक्ट पास किया और जो संशोधन पेश किये वे सब वापस ले लिये गये ताकि इस ऐक्ट के बनने में कहीं देर न हो जाय। और यह बिल पार्लियामेंट में करीब एक या डेढ़ महीने में पास हो गया। लेकिन, श्रीमन्, वे अड़चनें आज भी मौजूद हैं और पत्रकार श्रमजीवी उसी दशा में गुजर रहे हैं। जो हमारा वेज बोर्ड बैठा उसके निर्णय के विरुद्ध Press Lords ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और इन्होंने एक महीने तक रिटर्न पेश करने की जो तारीख थी उसमें वे रिटर्न पेश नहीं किये गये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। केन्द्रीय सरकार से जो सर्कुलर आता है कि पिटीशंस जिन लोगों ने किये हैं उनके अलावा और किसी मैनेजमेंट पर फैसला लागू नहीं होगा। उनको यह डिसीजन मान लेना चाहिये और करेंट ड्यूज देना चाहिये। लेकिन इतने दिनों के पश्चात् भी कोई अमल उस पर नहीं हुआ और आपने देखा कि इन प्रेस लार्ड्स की जो ज्यादतियां हैं वे जारी हैं और जो पत्रकार हैं उन पर अत्याचार जारी हैं। फ्लू होने पर छुट्टी नहीं दी जाती, कोरेनटाइन लीव के बजाय सिक लीव दी गई और ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया गया, हालांकि सुबह से शाम तक वे काम करते हैं। श्रीमन्, इन ज्यादतियों व अत्याचारों को रोकने के लिये यह ऐक्ट पास किया गया, लेकिन वे सुविधायें उनको आज तक प्राप्त नहीं हो सकीं। यह श्रमजीवी पत्रकार बहुत गम्भीर, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और सच्चाई एवम् ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य निडर होकर पालन करते हैं किसी तरह के एक्सप्लायटेशन, हड़ताल, प्रचार, आंदोलन आदि के कार्यों में नहीं पड़ते। शांति एवम् माननीय सदस्यों के सहयोग से अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं।

श्रीमन्, अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं। यह स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट ऐक्ट को इम्पलिमेंट कराये। सरकार ने इन्स्पेक्टर्स मुकर्रर किये लेकिन प्रेस एस्टेब्लिशमेंट्स ने अभी तक रिटर्न्स सरकार के पास नहीं भेजे। अभी सरकार की ओर से कौंसिल में

जवाब दिया गया है कि १०९ एस्टेब्लिशमेन्ट्स में से १५ के रिटर्न्स आये। जिन्होंने रिटर्न्स भेजे हैं सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है और जिन्होंने नहीं भेजे हैं उन पर क्या कार्यवाही की? यह मैं जानना चाहता हूं अपनी सरकार से। कहा गया इस ऐक्ट में कोई शक्ति सरकार के पास नहीं है ताकि जो एस्टेब्लिशमेन्ट्स रिटर्न्स नहीं भेजते हैं उनके खिलाफ सरकार ऐक्शन ले सके। लेकिन इस ऐक्ट के रूल्स में अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेन्ट की ड्यूटी कर दी गई है, जैसा माननीय त्रिलोकीसिंह ने कहा, कि वह इस ऐक्ट को इम्प्लिमेन्ट कराये। फिर केन्द्रीय सरकार से यह सरकार या माननीय मुख्य मंत्री प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर इसमें कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जाय जिससे इन श्रमजीवी पत्रकारों को राहत मिले, जिससे कि वे इस सुन्दर प्रोफेशन में अपना दायित्व निभा सकें और स्थायी रूप से रह सकें और उनके स्टैन्डर्ड व रहन-सहन में विकास हो सके और उनको वे साधन उपलब्ध हो सकें। लेकिन, श्रीमन्, होता यह है कि पार्लियामेन्ट में मिस्टर गुप्ता एम० पी० ने बताया कि यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार प्रेस लार्ड्स के विरुद्ध अखबार में लिखता है तो उसको डिस्मिसल का नोटिस मिलता है। अमृतबाजार पत्रिका के एक पत्रकार ने लिखा था कि प्रेस लार्ड्स की क्या ऐक्टिविटीज हैं उसको पृथक् किया गया। हमारे पत्रकारों की जब यह दशा है और किसी प्रकार के स्ट्राइक का या अन्य किसी प्रकार का कोई साधन उनके अधिकारों की रक्षा के लिये नहीं रह जाता तो यह सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि इस क्लास के वास्ते, इन श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में कोई ऐसा कदम उठाये, और उसमें विलम्ब न हो, जिससे उनकी तकलीफें दूर हो सकें।

श्रीमन्, अफसोस की बात है कि कितना समय हो गया, अभी तक रिटर्न्स नहीं आये। इंस्पेक्टर्स मुकर्रर हो गये और उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे जो मैनेजमेन्ट है, वह अपने रिटर्न्स दाखिल कर सके। इंस्पेक्टर्स को अधिकार है कि वह किसी भी मैनेजमेन्ट में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं और हर प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर्स अगस्त में अप्वाइन्ट किये। यह सरकार की एक तरह से उदासीनता कहूं या क्या कहूं कि १०९ में से १५ रिटर्न्स आ पाये हैं। मैं चाहूंगा सरकार से कि सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाये और इस ऐक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिये जितनी भी जल्दी हो सके रिटर्न्स मिलने के बाद जो पत्रकारों को रिआयतें मिलने वाली हैं उन्हें दिलाये। पत्रकारों का एक डेप्युटेशन माननीय मंत्री से मिला और माननीय मंत्री से जब यह कहा गया कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का एक डायरेक्टिव आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे हो गया है वह एरियर्स के लिये लागू होगा, लेकिन करेंट ड्यूज तो मिल सकती हैं और आर्डर तो केवल पिटीशनर्स को ही लागू होगा, तो माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई डायरेक्टिव आया हुआ है। ५ मिनट के बाद फिर कहते हैं कि हां, ऐसा आया है। मैं पूछता हूं कि इसमें क्या परेशानी है कि उन पत्रकारों को करेंट ड्यूज ही दिला दिये जायं, एरियर्स के बारे में फिर बात होती रहेगी? लेकिन करेंट ड्यूज के बारे में भी कोई निर्णय नहीं दिया। हालत गिरती जाती है, पत्रकार परेशान हैं। बहुत सोच-समझकर श्रीमन्, यह ऐक्ट बनाया गया कि एक ऐसे डिग्नीफाइड प्रोफेशन में काम करने वालों का स्तर ऊंचा उठे और वह ईमानदारी से देश की सेवा कर सकें; लेकिन जो सुबह से शाम तक काम करे, ओवरटाइम न मिले, छुट्टी में भी बुला कर के उनसे काम कराया जाय और ओवरटाइम न दिया जाय, सुबह से शाम तक जिनको छुट्टी न मिले, तो उनके लिये इन सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिये यह सब व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने की। लेकिन मैं देखता हूं कि आज कई महीने गुजर गये, लेकिन सरकार एक भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इसका जवाब माननीय मंत्री खुद देंगे। कोई भी अड़चन हो, परेशानी हो तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उसको दूर करे और केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट का जो मंशा है उसको पूरा कराने के लिये सरकार पूरी शक्ति इसमें लगावे।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी तो इस पक्ष में हैं, उनको कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक दिक्कत या दो-चार दिक्कतें भी सामने आवें तो भी हमें आशा है कि सरकार इन आब्सटैकिल्स को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी। जैसे एस्टैब्लिसमेन्ट्स या मैनेजमेन्ट रिटर्न्स पेश नहीं करते और सरकार के पास यदि वह पावर नहीं है जिसके द्वारा वह रिटर्न्स मंगवा सके तो उसके लिये पार्लियामेन्ट में इस ऐक्ट में ऐसे कोई संशोधन के लिये भी सुझाव पेश करें केन्द्रीय सरकार को, या सम्भव हो सके तो अपने यहां कोई लेजिस्लेशन लायें और हमारे प्रदेश में जो काम करने वाले एस्टैब्लिशमेन्ट हैं, जैसे पी० टी० आई०, यू० पी० आई० हैं उन सभी को बाध्य करें कि जिससे उनके रिटर्न्स समय पर आवें, हमारे ऐक्ट की इज्जत हो, उसका इम्पलीमेन्टेशन हो, उसकी कद्र हो तथा पत्रकारों को अधिकार प्राप्त हो सकें।

मुझे उम्मीद है कि सरकार शीघ्र उसके लिये कोई न कोई कदम उठायेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता जी, सुविधा-जनक तो यह होता कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी के भाषण के बाद माननीय मंत्री जी का भाषण होता और सरकारी पक्ष की बात मालूम हो जाती। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हमें अपनी राय कायम करने का मौका मिलता।

श्री अधिष्ठाता—मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह तय हो गया था कि पहले माननीय त्रिलोकीसिंह जी बोलेंगे और फिर अन्य सदस्यों के बोलने के बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अधिष्ठाता जी, मुझे यह मालूम नहीं लेकिन मैं आपका, आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे सभी विवादों में सुविधा इसी में है कि शुरू में ही दोनों पक्षों की बात मालूम हो जाय तो हम उसके सम्बन्ध में अपनी राय कायम कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—मैं भी ऐसा ही समझता हूं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि यह तय हो गया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—ऐसी कोई बात तय नहीं हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि मुझे इसी असुविधा के अन्तर्गत अपने विचारों को प्रगट करना है। सवाल हमारे समने सीधा-सादा, छोटा सा एक ही है और वह यह है कि जो ऐक्ट हमारे देश का बन गया है, जो कानून बन गया है, उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है जिससे श्रम-जीवी पत्रकारों को जो सुविधायें और अधिकार मिलने चाहिये वह नहीं मिल रहे हैं, उनसे वह वंचित हैं। मैं दलील के लिये यह भी मान लूं जैसा कि स्वयं विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा है कि उसमें कुछ कमियां हैं, संसद के बनाये हुये कानून में, केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये कानून में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हमारी प्रादेशिक सरकार को उसको लागू कराने में, श्रमजीवी पत्रकारों को अधिकार और सुविधायें दिलाने में कठिनाई पैदा हो रही है।

इस सम्बन्ध में अधिष्ठाता महोदय, मेरे मन में एक विचार यह पैदा होता है कि अक्सर यह देखा गया है कि चाहे संसद का बनाया हुआ कानून हो, चाहे प्रादेशिक सरकार का बनाया हुआ हो, जब कोई कानून उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के अधिकार कम करने वाला और श्रमजीवियों के अधिकार बढ़ाने वाला होता है तब न जाने क्यों कैजुअली या काजुअली मैं नहीं कह सकता कि क्यों ऐसा होता है कि कानून में कोई छोटी सी त्रुटि रह जाती है, लैक्यूना रह जाता है जिससे उन बेचारे श्रमजीवियों को जो अधिकार और सुविधायें मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिल पाती हैं और इस तरह की बाधायें आती हैं। जब मैं देखता हूं कि हमारे

साथी जो उधर बैठते हैं वह उद्योगपतियों की ओर पूंजीपतियों की वकालत करने लगे हैं तो मुझे शक होता है कि शायद यह जो संयोग है वह उतना आकस्मिक नहीं है बल्कि वह दूसरे प्रकार का हो सकता है। वह क्या है? मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कानून में इस तरह की कमियां रह जाती हैं। इस समय जैसा कि मैंने कहा कि केवल सवाल यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों को जो अधिकार और सुविधायें मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिल रही हैं। वह जल्दी से जल्दी उनको मिलें। हमारी सरकार यह कह सकती है कि हमें वह अधिकार नहीं है।

मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उनका कर्त्तव्य है कि इसको इम्पलीमेंट करायें तो सब से पहले उस समय उनको यह देखना चाहिये था कि उन्हें उसके इम्पलीमेंट कराने के लिये समुचित अधिकार मिलें हैं या नहीं? अगर नहीं मिले हैं तो उनका सब से पहला कर्तव्य यह था कि वह उस समय संसद का ध्यान, केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाती कि बगैर इन अधिकारों के वह इसको इम्पलीमेंट नहीं करा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने इस कर्तव्य का पालन किया? मैं तो यहां तक आगे बढ़ता हूं कि जब ऐसी बातें कानून में आ जायं कि ऐसी कमियां रह जायं कि उसकी मंशा जो जन कल्याणकारी सरकार की हैसियत से, समाजवादी ढंग का समाज कायम करने वाली सरकार की हैसियत से हो, वह पूरी न होती हो तब मुझे कहने के लिये क्षमा किया जाय कि अगर आर्डिनेन्स का कभी भी जस्टिफिकेशन हो सकता है तो वह ऐसे ही समय पर हो सकता है। जनता के ऊपर कर लादने के लिये आर्डिनेन्सेज के उपयोग को मैं गलत समझता हूं, जनता के अधिकारों को कम करने के लिये मैं आर्डिनेन्सेज के उपयोग को गलत समझता हूं, लेकिन जनता के एक विशेष वर्ग के कष्ट को, उसके पीड़न को कम करने के लिये अगर आर्डिनेंस की आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिये।

मेरा खयाल यह है कि इस बात को तो मंत्री महोदय भी मानेंगे कि श्रमजीवी पत्रकारों और पत्रकारों का अपना एक विशेष स्थान है, समाज में ही नहीं है बल्कि शासन में भी पत्रकार फोर्थ स्टेट माना गया है, सरकार का एक स्तम्भ और अंग माना गया है और उस स्तम्भ और अंग का श्रमजीवी पत्रकार सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसकी रीढ़ है, उसमें जो कुछ अच्छा है वह सब यह है। इसलिये जब तक उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती तब तक हमारी सरकार का वह अंग अधूरा रहता है और जितना उपयोगी वह होना चाहिये उतना नहीं हो सकता। इसलिये सरकार और जनता, दोनों का यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी अमल में लाने के लिये प्रयत्न करें। जैसा कि मैंने कहा, अगर आर्डिनेंस के जरिये से यह हो सकता है तो आर्डिनेंस से किया जाना चाहिये और अगर उसमें कोई कानूनी अड़चन हो तो क्या कारण है कि सरकार ने अपनी ओर से, जब उसके ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व है कि इसका पालन करायें, कोई नियम बना करके उन कमियों को दूर कराने का काम इस अधिवेशन में क्यों नहीं किया? जब संसद से ढाई घंटे में यह पास हो गया तो यहां भी उसको बना कर ढाई घंटे में पास करा के इम्प्लीमेंट कराने का प्रयत्न हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय के पास इसका क्या जवाब है?

तीसरी बात एक और है जो मैं पहले एक तरह से कह चुका हूं, कि अगर ये दोनों बातें भी सम्भव नहीं थीं, तो पहले तो मंत्री महोदय का यह कर्तव्य है कि इस सदन को और जनता को इस बात का विश्वास दिलायें और ऐसे संतोषजनक कारण दें जिससे हम यह समझ सकें कि वे कौन सी बातें थीं जिनके कारण सरकार अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं कर सकी। और जब वह सदन और जनता की शंकाओं का समाधान कर सकें तब मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि पहले ही दिन इस कमी के मालूम होते ही केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाते और उनसे कहते कि इस कमी को दूर करें नहीं तो आपने जो हमारे ऊपर भार डाल रखा है उसको हम पूरा नहीं कर पायेंगे। तो मैं कैटेगोरिकली इन तीन

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

सवालों का जवाब सरकार से चाहता हूं, कि क्यों नहीं इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिये कदम उठाया गया ? क्यों नहीं कदम उठाना चाहते हैं ? और क्या वजह है कि सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया ? इन शब्दों के साथ में इस बात का समर्थन करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों को जिन अधिकारों से वंचित रखा गया है वे अधिकार उनको शीघ्र से शीघ्र मिलें ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । साथ ही यह सदन अपोजीशन लीडर का इस बात लिये आभारी है कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करा कर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मैं समझता हूं कि इस विषय के ऊपर उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जो अभी तक कही जा चुकी हैं । मेरा ख्याल है कि आज एक संघर्ष प्रापर्टी और डेमोक्रेसी के बीच चल रहा है और यह फैसला इस सदन को करना है कि आया प्रापर्टी डेमोक्रेसी में चुने हुये जनप्रतिनिधियों के वरडिक्ट के फैसले को मानती है अथवा प्रापर्टी अपने अनुकूल लोगों को बदलने में कामयाब होती है । मेरा ऐसा ख्याल है कि यह बिल बहुत ज्यादा लोगों की जिन्दगी पर असर नहीं डालता, लेकिन जनसंख्या का प्रश्न यहां नहीं है । प्रश्न यह है कि इस बिल का ताल्लुक उन लोगों से है कि जिन्होंने हमारी दासता के जमाने में हमारे करोड़ों लोगों के दिलोदिमाग को एक तरह से ढाला था और जिन्होंने आज भी अपनी निर्भीकता से, कलम की ताकत से सही बातों को कहने की जुर्रत की है । इसलिये आदमी कितने एफेक्टेड होते हैं इसका सवाल नहीं है । यह एक ऐसे क्लास से ताल्लुक रखता है कि जिसका देश के निर्माण में बड़ा हाथ रहा है और रहेगा । इसलिये गवर्नमेन्ट की पालिसी इसके लिये इस तरह की है । अभी केन्द्रीय पार्लियामेन्ट ने इसको पास किया और वह इसको लागू करने के लिये जिम्मेदार है ।

अब, अधिष्ठाता महोदय, माननीय पालीवाल जी की स्पीच से मुझे इस बात की थोड़ी सी गंध आई कि उनका ऐसा ख्याल है कि जो चीज पार्लियामेंट ने पास की है उसके लिये सरकार कुछ आनाकानी कर रही है, या अगर आनाकानी नहीं भी कर रही है तो कुछ ऐसा तरीका बरत रही है कि जिससे उस बात को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता । मेरा अपना खयाल है कि ऐसा करने में सरकार से भी ज्यादा एक और बड़ा फैक्टर है । प्रापर्टी और डेमोक्रेसी की लड़ाई यहां भी अपना असर दिखा रही है । जाहिर बात है कि डेमोक्रेसी कानून के जरिये से प्रापर्टी को कंट्रोल करना चाहती है, कानूनी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, उसको समाज के फायदे के लिये इस्तेमाल करना चाहती है । इसके साथ ही यह भी सही है कि समाज में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जो इस लड़ाई में डेमोक्रेसी को हराना चाहते हैं । और हमारी जुडिशरी का जो फैसला है, जो अब तक कई बार हम देख चुके हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हमारी जुडिशरी के दिलोदिमाग में यह बात अभी नहीं उतर पा रही है कि किस तरह से प्रापर्टी को हराया जाय । पहले के फैसले इस बात को जाहिर करते हैं । तो मैं माननीय पालीवाल जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह संघर्ष इतना आसान नहीं है । इधर के लोगों को प्रापर्टी के साथ कोई खास दिलचस्पी नहीं है ; मेरा खयाल है कि प्रापर्टी वाले लोग इधर हैं भी नहीं । इस मसले को हल करने का अच्छा तरीका यह है कि हम उसके लिये हालात पैदा करें । मान लीजिये कि हमको मिनिस्टर साहब से कोई काम लेना है तो उसके लिये अगर हम शुरू से ही कहने लगें कि आप की नीयत यह काम करने की नहीं है, तो उनका उत्साह भंग हो जायगा । तो मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि इस प्रकार का एप्रोच किया जाय । मैं यह मान कर चलता हूं कि पार्लियामेंट ने जो फैसला किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसका स्वागत करेगी और उसको लागू करेगी और उत्तर प्रदेश की लीडरशिप पर इस बात का भार है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि वह इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाये। मुझे इस बात का गर्व है कि उसने इस दिशा में काफी काम पहले भी किया है। मेरा ख्याल है कि पहली इन्क्वायरी कमेटी उत्तर प्रदेश में ही बैठी थी। तो यह समझना कि यहां की सरकार कोई आनाकानी करेगी, सही नहीं होगा। अगर कुछ कानून की बातें हैं तो वह उसी तरीके से पूरी की जा सकती हैं। क्योंकि कानून की लड़ाई एक मौलिक प्रश्न है और उस खयाल से मैं आशा करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानूनी झगड़े में न बंध कर अपने दिलोदिमाग को साफ रखते हुये ऐसे साधन जुटायेगी, क्योंकि जो फैसला पार्लियामेंट ने किया है उसका एक ऐसे वर्ग पर असर पड़ने वाला है कि जो देश और समाज का कल्याण करने वाला है। इसलिये उसकी नीयत पर कोई शक न करते हुये मैं सदन से यह नम्र निवेदन करूंगा कि वह कोई एक ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे उस फैसले को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, यह आज का विवाद एक ऐसे वर्ग से ताल्लुक रखता है जिसका देश के निर्माण में और रास्ता दिखाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिये हम इस वर्ग के सम्बन्ध में जो भी विचार हो उसको बहुत ठंडे दिल से और बहुत ही संजीदगी के साथ करें तो अच्छा होगा। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खासतौर से वेज बोर्ड की सिफारिशों के लिये हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया। पूर्व के वक्ताओं ने इस पर काफी रोशनी डाली और जो ऐक्ट बना है उसमें कितनी कमियां रह गई हैं इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। इसलिये मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हां, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वेज बोर्ड की सिफारिशों में जो वेतन-क्रम श्रमजीवी पत्रकारों के लिये रखा गया है वह इतना कम है कि इस वेतन से एक ऐसी आशा करना कि वह देश के लिये कोई अच्छा साहित्य-बना सकेंगे या देश के लिये कोई अच्छे विचार रख सकेंगे और अपना काम अच्छी तरह से निभा सकेंगे, मुश्किल मालूम होता है।

जहां तक वेज बोर्ड की सिफारिशों की बात है अगर उसको देखा जाय तो उन पत्रकारों की सर्विस किसी तरह से भी अपर डिवीजन क्लर्क से ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि अपर डिवीजन क्लर्क से बहुत योग्यता का काम और अच्छा काम, ज्यादा मस्तिष्क का काम उनको करना पड़ता है। इसके बावजूद भी उनको जो इतना कम वेतन दिये जाने की बात है जो इस ऐक्ट में है वह एक बहुत बड़ी कमी है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिये साधन नहीं रहे। रोज हम यह देखते हैं जो कानून सरकार लागू करना चाहती है, चाहे उसमें कोई खास बात हो या न हो, उसके लिये आर्डिनेन्स तुरन्त निकल जाते हैं और लागू हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जब जनता के अधिकार के सम्बन्ध में कोई आवाज उठती है तो सरकार के आदमी जिस द्रुतगति और अविलम्बता के साथ काम करते हैं यदि उसका शतांश भी इसके लिये व्यग्रता दिखाई गई होती तो पत्रकारों का निर्णय अपनी जगह पर हो जाता और वह यह महसूस करते कि उनके हित में यह निर्णय हुआ है।

अब सवाल यह है कि जो कानून बना है उसमें क्या कमियां हैं। उसमें कमियां और खामियां होते हुये भी यदि वह कानून लागू न हो तो इससे ज्यादा और क्या विडम्बना हो सकती है। यह सरकार का कर्तव्य था कि वह देखती कि जो कानून बनाया गया है, उन खामियों के बावजूद भी, जो मांग प्रेस कमीशन ने पेश की थी और प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर बहुत सी बातों को नहीं माना गया, फिर भी उसको लागू करती। लेकिन जितनी बातें मानी गई और जिनके ऊपर सरकार ने विचार कर लिया था, उन मांगों को भी सरकार ने नहीं माना और लागू नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी नीति है जो देश में स्वस्थ परम्परा को कायम नहीं कर सकती है। हमारे प्रदेश में जो श्रमजीवी पत्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

हैं अगर उनको अच्छा वेतन न हो और नौकरी पर काम के लिये निश्चित घंटे न हों तो वे बेचारे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे देश की प्रगति हो।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इन सिफारिशों को लागू करने में गजब की ढिलें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कह दिया कि जहां तक पैसा देने का सवाल है वह पिछले एरियर्स से लागू नहीं होता, उन्होंने यह अवार्ड दिया कि वह ११ मई सन् ५५ से लागू होगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि उसके लागू होने में कोई कठिनाई हो। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्बन्ध में भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह कहा जा सकता है कि कानून में यह साफ नहीं था कि केन्द्रीय सरकार इसको करे या प्रान्तीय सरकार करे। इसके बारे में केन्द्रीय मंत्री नन्दा साहब ने लोक सभा में १३ सितम्बर को एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है :—

"The implementation of the Working Journalists Act is within the jurisdiction of the State Governments."

यानी इस कानून का लागू किया जाना प्रान्तीय सरकार के हाथ में है और उन्हीं को इसे लागू करना चाहिये। इसमें कोई ऐसी अनिश्चित बात नहीं है जिसके कारण सरकार बहाना ले कि लागू करने में कोई कठिनाई है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस कानून को क्यों लागू नहीं किया जाता, इसमें कौन सी परेशानी है। मैं तो खास तौर से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता था कि अगर उनको इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई थी तो उनको प्रेस में बयान देना चाहिये था ताकि कम से कम श्रमजीवी पत्रकारों को कुछ आश्वासन तो मिल जाता। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह कहां तक जेबा है कि एक ऐसे तबके के बारे में, जो गरीब हो, कोई कार्यवाही न की जाय और न उसके बारे में कुछ कहा ही जाय।

एक बात और है वह यह कि इसको सरकार जो लागू नहीं कर रही है उसमें कुछ कारण भी मालूम होता है। और वह यह है कि अगर वह लागू हो जायगा तो जो न्यूज पेपर्स के मालिक हैं उनकी मनमानी बन्द हो जायगी। जब कानून लागू होगा तो उनकी जो स्वेच्छाचारिता है वह खत्म हो जायगी। चाहे किसी को वे १५ रुपया दें अथवा १०० रुपया दें। इस आनेस्ट और जरूरी व्यवसाय के लिये यह जरूरी है कि उसकी सर्विसेज में दृढ़ता हो और मालिकों की स्वेच्छाचारिता न हो जिससे वे अपने काम को अच्छी तरह से कर सकें।

मुझे इस सम्बन्ध में एक बात और मालूम हुई है वह यह कि समाचारपत्रों के मालिकों की भेंट माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे मिनिस्टरों से हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि सदन के समक्ष माननीय मंत्री जी यह बतायें कि आखिर उन समाचारपत्रों के मालिकों को उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? क्या कारण है कि सरकार उनको अभी तक अभयदान दिये हुए हैं? जिस कानून को ११ मई से ही लागू हो जाना चाहिये था, जो रिटर्न दाखिल हो जाने चाहिये थे, वे अभी तक नहीं हुए। यह सरकार की कौन सी नीति है और किस प्रकार सरकार उनको डिफेन्ड कर सकती है?

रिटर्न्स के सम्बन्ध में एक बात और कह दूं। दूसरे अखबारों के रिटर्न दाखिल न होते तो कुछ बात भी थी लेकिन नेशनल हेरल्ड एक ऐसा अखबार है जिसका सम्बन्ध खास प्रधान मंत्री जी से है। गवर्नमेंट का एक तरह से वह अखबार समझा जाता है, उस अखबार के सम्बन्ध में उनको क्या परेशानी है? कम से कम सरकार अपने उस अखबार के सम्बन्ध में, जिसमें पूरे, सबके सब लोग उन्हीं के भरे हुए हैं, उसमें यह कानून आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज नेशनल हेराल्ड के श्रमजीवी पत्रकारों के लिये यह कानून लागू है?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—श्रीमान्, मैं माननीय वक्ता को सिर्फ इतनी सूचना देना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड सरकार का अखबार नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि वह इतनी ही लचर दलील है जितनी लचर दलील सरकार की तरफ से दी जा सकती है। सरकार का न हो, अगर आप सब लोग बैठ कर दूसरी कैपेसिटी में काम कर सकते हैं.....

श्री अधिष्ठाता---आप ऐसी बात कह रहे हैं जिसके लिये आपको तैयार होना चाहिये कि अगर जरूरत पड़े तो उसका सबूत भी दे सकें, कि यह प्रधान मंत्री का अखबार है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह तो हम सब लोग जानते हैं, अगर जरूरत होगी तो इसे साबित कर दिया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस तरह की लचर दलीलें देकर भले ही इन्कार करें लेकिन प्रधान मंत्री का उस अखबार से सम्पर्क है। दूसरे प्रदेश के मंत्री हों या इस प्रदश के मंत्री हों, उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है तो वे इन्कार करें, लेकिन जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मैंने अभी-अभी पढ़ा है कि कौन-कौन उसके डाइरेक्टर्स हैं। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति होता है जो दो जगह दूसरी-दूसरी कैपेसिटी में बैठता है। व्यक्ति के अन्दर तीन चीजें होती हैं, मस्तिष्क, बुद्धि और इरादा, तो इरादे के नाम पर मैं कहता हूं कि उसका इन्तजाम वे करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका सब से पहला कर्तव्य था कि इस कानून को सबसे पहले उसमें लागू करते, लेकिन आज तक उस कानून को वहां लागू क्यों नहीं किया गया ? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

जहां तक रिटर्न दाखिल करने की बात है, सरकार की तरफ से कुछ इंस्पेक्टर्स नियुक्त कर दिये गये हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जितने इन्स्पेक्टर्स नियुक्त हुए हैं उनमें से कितने इंस्पेक्टरों ने कितने केसेज इस तरह के पकड़े और रिपोर्ट की कि कहां कौन खराबी है और कौन सा कानून इन श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में लागू किया गया है। अगर उन्होंने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं की तो फिर इन इंस्पेक्टरों को इतनी तनख्वाह क्यों दी जा रही है ? क्यों सरकारी एक्सचेकर का रुपया खर्च हो रहा है ? इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी उनकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उन इन्स्पेक्टरों को तनख्वाहें किस लिये दी जा रही हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि उनका फंक्शन क्या है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि यह पैसा जो अब तक इन्स्पेक्टरों को दिया गया है उसका औचित्य वे कहां तक और किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं ?

श्रीमन्, दूसरी बात इस सम्बन्ध में कुछ सरकार की लापरवाही की है। हमारे माननीय सदस्य गोविन्द सहाय जी ने कहा कि मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर लापरवाही का आरोप नहीं लगाना चाहिये क्योंकि इससे माननीय मंत्री जी ऐसा समझ सकते हैं कि चाहे हम कोई भी काम करें हमें खराब कहा ही जाता है, तो इस तरह से उनको उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती कि वे अच्छा काम करें। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई काम खराब हो तो क्या हम उस खराबी को भी न कहें ? यदि कोई नुक्स हो तो उस नुक्स को भी न बतलावें ? मैं किसी की नीयत या इरादे पर शक नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहने का हक रखता हूं कि मैं ऐसा समझता हूं कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने अपने कर्तव्य का बिल्कुल निर्वहन नहीं किया और इस प्रदेश के अन्दर श्रमजीवी पत्रकारों के लिये इस कानून को लागू कराने में वह असमर्थ रही है। श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक अधिवेशन देहरादून में होने जा रहा है, वहां वे कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे स्ट्राइक की नौबत आ जाय। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की असम्भावित घटना और अवांछनीय घटना न घटे और इस प्रदेश में सुख शान्ति रहे, इसके लिये सरकार उस वेजेज कमेटी की रिपोर्ट को अविलम्ब इस प्रदेश में लागू करानेकी कोशिश करे। अगर इस तरह की अवांछनीय कोई घटना घटी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता—मैं नहीं सुनना चाहता।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अखबारनवीसों के बारे में कानून की पैदा शुदा दिक्कतों के बारे में विचार कर रहा था। इसके मुताल्लिक जो कुछ माननीय त्रिलोकी सिंह जी व माननीय पालीवाल जी ने कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं और उनकी बातों को दोहराये बगैर जो कुछ मेरी राय इसके मुताल्लिक है वह पेश करता हूं। आप अगर इन तमाम वाकयात को मेरी ऐनक से देखेंगे तो वह आपको एक दूसरी शक्ल में नजर आयेंगे और जो इल्जाम और तोहमतें ढूंढ़ी गई हैं उनकी गुंजायश नहीं रहेगी।

अभी जुलाई में लेबर कांफ्रेन्स हुई थी जिसमें तय हुआ था कि हम मजदूरों को मैनेजमेंट में हिस्सा दें और हिन्दुस्तान की सभी मजदूर संस्थाओं ने उस पालिसी को माना। आप इस कान्फ्रेंस के मातहत बने हुये दफात को देखें तो आपको मालूम होगा, एक बड़े काबिल आदमी की सदारत में वह वेज बोर्ड बनाया गया था। उसमें स्वयं पत्रकारों के भी नुमाइन्दे शामिल हुये और मैनेजमेंट के नुमाइन्दे भी शरीक हुये थे। इस तरह का वेज बोर्ड बनाने की मंशा भी यही थी कि कहीं गलती न हो। तमाम मजदूर पार्टियों से, जितनी भी इस समय हिन्दुस्तान में मौजूद हैं, मिलकर जिस पालिसी को जन्म दिया गया था वह यह कि मजदूर और मिलमालिक मिलकर एक पालिसी पर अमल करें और इसी के लिये यह वेजबोर्ड बना था। समझा यह जाता था कि जब यह फैसले मैनेजमेंट और मजदूरों के समझौते से हुये हैं तो इसके अमलदरामद के लिये कानून की जरूरत न होगी बल्कि वह अपना इन्तजाम खुद ही कर लेंगे। हमने समझा था कि वह लेबर पालिसी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरीमेंट होगा जिसमें मजदूर को मैनेजमेंट को हिस्सा देकर काम चलेगा। लेकिन हमारे मिल मालिकों ने जिस तरीके से काम किया और उस पालिसी को चलाया वह कामयाब नहीं हुई, वह अपने ही तरह से उसको चलाना चाहते हैं। आज की हालात में मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यह पालिसी नाकामयाब हुई है, क्योंकि कहीं भी कानून में कोई ऐसी धारा नहीं रखी गई है कि वह अपनी ग्रास आय के रिटर्न्स अवश्य ही दें, जिसके द्वारा जिनको जिस कैटेगरी में आना चाहिये उनको उस हिसाब से वेतन मिले और दिलवाने की शक्ल हो। उसमें सिर्फ एक चीज है कि अगर वह नहीं देते हैं तो वह लैण्ड रेवेन्यू की वसूली की तरह दिला दिया जाय, जिसका कि इसमें प्राविजन है, लेकिन सूबा सरकार की तसल्ली अगर हो जाय कि तलाफी हुई है या कोई आदादशुमार या रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन सूबा सरकार अपनी तसल्ली किस आधार पर करेगी? इस तरह से यह वेज बोर्ड का फैसला बेकार हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज को एक दूसरे नुक्ते निगाह से देखता हूं। जो दफात मजदूर भाइयों और अखबारनवीसों से ताल्लुक रखती हैं उनको बनाने में मैं कहूंगा कि उन सबने एक बड़ी भारी साबित कदमी, उसूलपरस्ती और लेबर के सम्मान को ऊंचा उठाने वाला काम किया है और वह यह कि वेज बोर्ड के मेम्बरान की हैसियत से उन्होंने बहुत से ऐसे कवायद और ऐसे ग्रेड्स मंजूर किये जो उनको कतई सूट नहीं करते थे। उन्होंने सब एडीटर के लिये सिर्फ १५० रुपये और रिपोर्टर के लिये ९० रुपये पर ही कनाअत की और उसको तसलीम किया। यह उन्होंने सिर्फ इसलिये किया क्योंकि वह जिम्मेदारी के साथ मैनेजमेंट में हिस्सा लेकर देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाने में पूरा सहयोग देना चाहते हैं। उसके बाद यहां की सभा ने एक रेजोल्यूशन किया और वह यह था कि चूंकि मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह भी तय कर दिया है कि जिनके मामले में कोर्ट में हैं उन पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी मजदूर भाइयों ने यह तय किया कि जो भी वेतन उनको मिलता है वह ११ मई से दिया जाय। मजदूरों की तरफ से इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिये इस तरह का कोआपरेशन पेश किया गया और यह उनका दूसरा कदम इस तरफ था। उसके बाद तीसरा कदम यह है कि बावजूद तमाम इश्तआल दिलाने

के, बावजूद उनके साथ बेइन्साफी के और बावजूद इन ज्यादतियों के, वह किसी डिमांस्ट्रेशन के ऊपर अभी नहीं आ रहे हैं बल्कि निहायत सब्र के साथ, निहायत इतमीनान के साथ यह देखना चाहते हैं कि क्या होता है ? इसके लिए मैं तमाम मजदूर भाइयों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं । इसमें कोई नाउम्मेदी की और कोई परेशानी की बात नहीं है बल्कि यह इत्तफाक है, यह उनकी खुशकिस्मती है कि मजदूर ने जो तहरीक मैनेजमेंट में हिस्सा लेने के अख्तियार को हासिल करने के लिये शुरू की थी उसकी पहल उनके पास आ गयी है और वह हरावलदस्ता बन गये हैं और जो हरावल दस्ता बनेगा सब से ज्यादा चोट और जख्म उसे उठाना पड़ेगा । मगर वह उस तबके और जमात का हीरो भी होगा । इसलिये हीरो होने का जो मौका है वह इस तबके को मिला है । अब हमारे मंत्री महोदय देहली जा रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि मैनेजमेंट में मजदूर को कितना हिस्सा मिल सकता है, क्या मिल सकता है ? मैं आपके जरिये उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह जाकर वहां बतलायें कि हमारी यह पालिसी कि हम मैनेजमेंट पर एतबार कर सकें, हम मैनेजमेंट से यह उम्मीद कर सकें कि वह सच्चाई पर कायम रहेगा, वह मजदूर को एक साथी मानेगा और हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था को ऊंचा उठायेगा, फेल हो गयी है । इस नाकामयाबी को तसलीम करते हुए, अब जिन तरीकों से हमें मैनेजमेंट से डील करना हो और अपनी पालिसी को आगे ले जाना हो उसके लिए हमें सोचना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि सूबा सरकार की एक बात मैं नहीं समझ सका कि जिन पंद्रह अखबारों ने उसको रिटर्न दे दिये हैं उनकी कैटेगरीज कायम करके, उन पर वेज बोर्ड के फैसले को क्यों नाफिज नहीं करती ? उनको यह फैसला मनवायें । अगर वह इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो शुबहात पैदा होते हैं । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जो आज तक इंडस्ट्रियल पीस की उम्मीद की जाती थी वह भी नहीं रहेगी । अगर हमारे पत्रकार भाई अपने इस मिशन में, कि जो वेज बोर्ड ने उनके लिए सिफारिशात की हैं, उन मरायात को कानून के जरिये हासिल करने में नाकामयाब रहे तो मजदूर इस बात को कभी भी बरदाश्त नहीं करेगा और साफ-साफ ऐलान करेगा कि जब हम कानून के जरिये अपने अख्तियारात को हासिल नहीं कर सकते तो हमारे लिए सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया है कि हम अपनी किस्मत, अपनी ताकत और अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, उसको लेकर आगे बढ़ें । अगर एक मुनासिब टाइम के अन्दर यह वेज बोर्ड का फैसला लागू नहीं होता है तो मैं अपने पत्रकार भाइयों को मशविरा दूंगा कि वह बाकायदा नोटिस देकर अपनी ताकत और गवर्नमेंट की ताकत को आजमाएं । यह उनका पैदायशी हक है यह इसलिए नहीं है कि उसको उठा कर रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि वह असेम्बली में भाषण दे रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेटफार्म पर भाषण नहीं दे रहे हैं ।

डाक्टर जयगोपाल—बहरहाल, गवर्नमेंट की इस नीति को मानते हुए कि वह मैनेजमेंट में हिस्सा देकर यह चाहती थी कि वेज बोर्ड के फैसले वह अपनी मरजी से इम्प्लीमेंट करे, उसमें वह नाकामयाब रही है । अब हमारे सामने, और मेरे सामने तो बहुत साफ तौर पर, यह सोचने की बात है कि अब हम इसको कैसे करें । चाहे इसके लिए आर्डिनेंस निकाला जाय, या इसके लिए कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जाय, बहरहाल ताकत का इस्तेमाल, इसको मनवाने के लिए रह गया है । इसके अलावा और कोई तरीका बाकी नहीं रह गया है । मैं यह उम्मीद करूंगा कि हमारी सूबा सरकार इस मुताल्लिक कोई न कोई कदम जरूर उठायेगी और अगर वह नहीं उठायेगी तो इस लेबर पालिसी के चलाने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और इससे हम जितना आगे बढ़ जाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ सकेंगे । बहरहाल, इतना साफ है कि मैनेजमेंट हमें साथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है । हमें इस बात को भी गौर से साथ सोचना होगा कि आखिर हम क्या करें और अगर हम इसको सोचने में नाकामयाब रहे तो हम अपनी चीजों को न हल कर सकेंगे । कम से कम जो १५ अखबारों के रिटर्न्स गवर्नमेंट के पास

[डाक्टर जयगोपाल]

आ गये हैं उनके अन्दर वेज बोर्ड के फैसले को जरूर लागू कर देना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उनके मजीद अकदाम क्या हैं? और जहां पिछलियों के लिए इलाज सोचा जाय वहां अगलियों के लिए भी सोचा जा सके। और मैं इसके अन्दर यह बात नहीं देखता कि स्टेट या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कोई मकसद किसी तरह सरमायेदारों को सपोर्ट करने का है। बल्कि एक पालिसी ले डाउन की है, उसके मातहत एक तजुर्बा किया, हम नाकामयाब हुए, बदकिस्मती की बात है। तो इन अल्फ़ाज के साथ मैं यह आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस वेज बोर्ड के फैसले को लागू कराने की पूरी कोशिश करेगी।

श्री अधिष्ठाता—(श्री नारायणदत्त तिवारी से) अगर आप इस बात की गारण्टी दें कि ५ मिनट ही बोलेंगे तो मैं इजाजत दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल) अब श्रीमन्, गारन्टी कैसे दे सकता हूं, वैसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मैं ५ मिनट ही बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता—एक बात मैं निवेदन कर दूं कि जब आप बोलना शुरू कर दें तो मैं आपको कैसे रोक दूंगा? माननीय मंत्री जी को भी तो जवाब देना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं केवल ५ मिनट ही बोलूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, एक हमारी दिक्कत है, यद्यपि आपकी भी दिक्कत है। लेकिन हमारी दिक्कत आप ही हल कर सकते हैं। आपने...

श्री अधिष्ठाता—आपकी दिक्कत सदन हल कर सकता है मैं नहीं।

श्री झारखंडेराय—जी हां, लेकिन आपकी सहायता और अनुज्ञा से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दो दलों के लोगों में से कोई नहीं बोला। तो कम से कम इसका प्रावीजन आप जरूर करें अन्यथा यह तो बड़ा अन्याय होगा।

श्री अधिष्ठाता—अब शाइन्दा हो सकता है कि बजाय एक घंटे के ऐसे मामलों पर दो घंटा बहस की जाय। इस वक्त तो १ घंटे का समय ही था उसको आधा घंटा और बढ़ाया गया, अगर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी कहें कि केवल ५ मिनट ही बोलेंगे तो मैं इजाजत दे सकता हूं, और भी सदस्य अगर ५ मिनट ही बोलने को कहें तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी— श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी मैंने निवेदन किया था कि मुझे सुना जाय और आदेश हुआ कि सुनाने का अधिकार नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि किसी माननीय सदस्य को अपनी बातों को सुनाने का अधिकार है या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—केवल प्वाइंट आफ आर्डर पर बोल सकते हैं। ऐसे मामले में जब वाद-विवाद हो रहा है उसके बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आज इस विधान सभा में यह प्रथम अवसर है जब हम अपने श्रमजीवी पत्रकार भाइयों की सहानुभूति में और वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में विवाद कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? हमारा ऐसा विचार है कि यू० पी० की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस सम्बन्ध में मैं कुछ प्रश्नों को द्वारा सरकार से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहला प्रश्न यह है कि जब १० मई, १९५६ को वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने का फैसला हो गया तो यू० पी० सरकार ने कितने पत्र, कितने अखबार के मालिकों को यू० पी० में लिखे कि आप इस वेज बोर्ड के फैसले को मानिये ? सूचना आने पर जरूर दी गई थी कि हमने सबको सूचित कर दिया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने दो बार लोकसभा को सूचित किया कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और उनसे कह दिया गया है कि आप प्रत्येक न्यूज पेपर मालिक को यह खबर कर दीजिये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है उनके लिये लागू है और दूसरों के लिये लागू नहीं है। तो राज्य सरकारों से पहली अगस्त के दिन कहा गया था कि आप इस पोजीशन को प्रत्येक न्यूज पेपर के प्रोप्राइटर को एक्सप्लेन कर दीजिये। मुझे भय है कि राज्य सरकार ने कोई एक्सप्लेनेशन इस प्रकार का न्यूज पेपर मालिकों को नहीं दिया।

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार बताये कि जो इंस्पेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं उन्होंने कितने इंस्पेक्शन आज तक इस ऐक्ट के मातहत किये ? जहां तक मुझे सूचना है, एक भी इंस्पेक्शन आज तक नहीं हुआ।

तीसरा प्रश्न यह है धारा ६ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट की जो है इसके मातहत कितने प्रासीक्यूशन्स राज्य सरकार के इंस्पेक्टर्स ने किये ? क्योंकि आये दिन यह खबर मिलती रहती है कि ओवर टाइम वर्क लिया जाता है, छुट्टियां नहीं मिलतीं। धारा ६ में आज तक कितने प्रासीक्यूशन्स हुए ? और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत जो विक्टिमाइजेशन आज हो रहा है, अभी आपने देखा कि पायनियर के करस्पान्डेंट श्री टंडन को हटा दिया गया और आज यह दबाव दिया जा रहा है कि तुम यह कह दो कि वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें हमारे लिये लागू हो गई हैं। तो इस प्रकार जब विक्टिमाइजेशन की बात आज यहां पर भी चल रही है तो उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धाराओं का पालन किया या नहीं किया ?

चौथी बात जो मुझे जाननी है वह यह कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत सरकार को यह आमनीबस पावर्स है कि वह कोई भी नोटिफिकेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सम्बन्ध में निकाल सकती है। जब कि और शुगर मिल्स के लिये सरकार नोटीफिकेशन निकालती है तो वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत कोई नोटिफिकेशन निकाला या नहीं निकाला ?

पांचवी बात मुझे यह जाननी है कि जो १५ अखबार जिनके रिटर्न आ गये हैं उनके मामले में वेजेज लागू किये गये हैं या नहीं किये गये हैं ? यदि नहीं लागू किये गये हैं तो क्या सरकार वर्किंग जर्नलिस्ट्स से यह कहने जा रही है कि धारा १७ के अनुसार वह अप्लाई करें कलेक्टर को जिससे कि एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से वह वेजेज उन १५ अखबारों के कर्मचारियों को कम से कम दिलाये जायं।

तो यह सारे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर सरकार को अवश्य देना चाहिये और अपने को उत्तरदायी मानना चाहिये। मैं समझता हूं कि नियमों में और ऐक्ट में काफी प्राविजन हैं, काफी ताकत सरकार को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत है जिनका वह प्रयोग कर सकती है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि जिस प्रकार इंगलैंड में वीवरब्रुक कम्बाइन है, अमेरिका में हियरिस्ट कम्बाइन है, उसी प्रकार यहां के बिरला साहब या गोयनका साहब कम्बाइन से वह घबराये नहीं। बल्कि जो यहां श्रमजीवी पत्रकार हैं, जो प्रजातन्त्र के लिये उतने ही मुख्य स्तम्भ हैं जितने कि हम लोग हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार अग्रसर हो, यही हमारा निवेदन है और यही मेरे कामरोको प्रस्ताव की मंशा भी है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय झारखंडेराय, ५ मिनट आप बोलेंगे।

श्री झारखंडेराय--बिलकुल ठीक । मंजूर है ।

चेयरमैन साहब, आज का विचार-विषय इस सरकार और इसकी नीति की असली तस्वीर को देखने के लिये एक आइना का काम कर रहा है । यह वह कसौटी है कि जिस पर सरकार की नीति का खोटापन उभर करके हमारे सामने जाहिर हो जाता है । इस सदन में यह विचार व्यक्त किया गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज, एक कानून बनाया और उसके मातहत एक वेज बोर्ड कायम हुआ, उसने कुछ रिआयतों के लिये सिफारिशें कीं तो प्रांतीय सरकार उन्हें क्यों नहीं लागू कर रही या करा पा रही है ? मेरा दृढ़ मत है कि प्रांतीय सरकार अपने कर्तव्य से इस मामले में नीचे गिर रही है ।

यह अक्सर देखा जाता है कि जब हैव्ज और हैव नाट्स में लड़ाई होती है, सम्पतिवादी वर्ग और सम्पतिवादी वर्ग के द्वारा शोषित तत्वों में जब कोई टक्कर होती है तो उनमें सरकार जिनका साथ देती है उसी से उसका चरित्र स्पष्ट हो जाता है । सरकार की असलियत को पहचानने का यह एक मौका है । जो बड़े-बड़े पत्र उद्योगपति हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब उस वेज बोर्ड में उनके भी प्रतिनिधि थे और बराबर की संख्या में थे तो उसके फैसले को वह खुद क्यों नहीं लागू करते हैं । इस तरह क्या वे अपने प्रतिनिधियों का आदर कर रहे हैं ? सरकार भी उसके फैसले को लागू नहीं कर पा रही है तो क्या वह केन्द्रीय सरकार की आज्ञा का पालन कर रही है ? ऐसा अन्तर्विरोध हमें यहीं पहले भी दिखायी पड़ा है । प्लानिंग कमीशन सिफारिश करता है सीलिंग के लिये, माननीय चरणसिंह जी उसके खिलाफ बोलते हैं और काम करते हैं । राज्यपाल गिरि जी जमीन बटवारे की बात कहते हैं । श्री चरणसिंह उसके घोर विरोधी हैं । इसके अलावा योजना आयोग जो सिफारिश करता है वह यहां लागू नहीं होती । देश के प्रधान मंत्री कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में बोलते हैं तो यहां की सरकार उसके खिलाफ बातें करती है । मैं माननीय गोविंदसहाय जी को बतला दूं कि इस तरह का मतभेद केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों में और प्रान्तीय सरकारों व प्रान्तीय सरकारों में और मंत्रियों में आपस में दिखाई पड़ रहा है । इस शासक दल व सरकार के अन्दर घोर प्रतिक्रियावादी तत्व भी हैं यही वजह है कि केन्द्रीय सरकार फैसला करती है और वह यहां इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता । यही नहीं, यदि जर्नलिस्ट्स के बारे में कोई फैसला हुआ होता तो यह सरकार अब तक न मालूम क्या कार्यवाही कर चुकी होती । इसकी आज्ञा उल्लंघन करने पर यह अपनी लम्बी कानून रूपी बाहों से न जाने क्या कर गुजरी होती, लेकिन यह सरकार अपनी आंखों के सामने बैठे हुये बड़े-बड़े पत्रकारों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती । इसलिये मैं एक ही सवाल इस सदन की वाणी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्यों इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ? अगर इसका कारण यही है कि कोई एश्योरेंस चुपके से दिया गया है और उसके लिये कारण उपस्थित किये जायेंगे तो वह भी जवाब से साफ हो जायगा और अगर सचमुच ऐसे कारण हैं और सरकार की मजबूरी है तो सरकार उन मजबूरियों को दूर करे । हमारे देश के उस तबके को जिसने दासता के युग में बहुत बड़ी सेवायें की हैं और जो इस युग में भी कर रहा है उसकी परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार को दृढ़ता से कदम उठाना चाहिये और जो पत्र-उद्योगपति उसके रास्ते में रोड़ा बनता है उसको कुचल देना चाहिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उसी प्वाइंट को लेकर श्री नारायणदत्त तिवारी और झारखंडे राय जी खड़े हुये तो उनको समय दिया गया, तो यह जो किया गया यह उचित था या अनुचित ?

श्री अधिष्ठाता--इस तरह की बातें सदन में नहीं उठानी चाहिये । आप माननीय नवलकिशोर जी से बातें करें । आप ह्विप नहीं हैं । आपके ह्विप ही ने कहा है कि उनकी तरफ के लोगों को न बोलने दिया जाय ।

श्री धनुषधारी पांडेय---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं जानना चाहता हूं कि हमें इस सदन में ह्विप के आदेश का पालन करना है या अध्यक्ष महोदय का ?

श्री अधिष्ठाता---जब आपके ह्विप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को न बोलने दिया जाय, थोड़ा सा समय रह गया है, विरोधी दल को ही बोलने दिया जाय तो फिर मैं क्या करता ? मैंने भी यही उचित समझा कि विरोधी दल के प्वाइन्ट्स आ जायेंगे तो ज्यादा अच्छा है और आपकी तरफ से मंत्री जी बोलेंगे ही।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---जो प्रश्न मैंने किया था वह आपसे किया था, पार्टी व्हिप से नहीं किया था।

श्री अधिष्ठाता---जो प्रश्न आपने किया उसी का मैंने उत्तर दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सदन के सदस्यों को माननीय अधिष्ठाता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की व्यवस्था पर क्वेश्चन करने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता---कोई अधिकार नहीं है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---अधिष्ठाता महोदय, थोड़े से समय में दो तीन प्रश्न मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि 'पायनियर' में सरकार के कुछ हिस्से हैं और अगर समाजवादी कहलाने वाली सरकार के हिस्से उस पेपर में हैं तो फिर उसने क्यों नहीं इस बात का प्रयत्न किया कि जब श्रमजीवी अपने वेतन के सम्बन्ध में सरकार के सामने आता है तो उसने उसको हर प्रकार से सहायता क्यों नहीं की ? जो बीच में पूंजीपति हैं वे तो रोड़े के रूप में हैं ही। लेकिन यहां तो यह है कि जब स्वर्ग से गिरा तो खजूर में अटका। वेज बोर्ड से जब निर्णय हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में पूंजीपति गये। वहां से उनके खिलाफ निर्णय हुआ तो वह चीज अब सरकार के सामने आती है और उसमें यह तरीका है कि दो विरोधी बातें प्रस्तुत होती हैं। श्रम मंत्री जी ने पहले कहा था कि उन्होंने इसको दिलाने के लिये सारे प्रयत्न कर लिये हैं लेकिन दूसरे मंत्री महोदय ने एक स्थान पर कहा है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें हैं, इससे विरोधाभास होता है। इससे स्पष्टतया यह प्रगट होता है कि सरकार टालमटोल की नीति को अपना रही है वरना इतने लेबर इंस्पेक्टरों के होने के बाद और अखबारों में भी सरकार का दूसरी तरह से काफी हाथ रहता है, वह अखबारों को बिजनेस देती है, अगर सरकार उन पर कोई प्रेशर डालना चाहती तो वह निकल नहीं सकते हैं। आजकल कोई भी अखबार बिना सरकार की सहायता के चल नहीं सकता है। इसलिये क्या यह सत्य है कि सरकार ने सारे प्रयत्न किये और वह सब निष्फल हो गये ?

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि क्या सरकार जो रिटर्न्स उसको प्राप्त हुये हैं उनको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ताकि उनका ग्रेडेशन जल्दी से जल्दी हो सके और उससे श्रमजीवी पत्रकारों को लाभ पहुंच सके। यही एक ऐसा विषय नहीं है जिसमें सरकार की पालिसी ऐसी है बल्कि औरों में भी सरकार की यही पालिसी है। ऐग्रीकल्चरल मिनिमम वेजेज हैं उन पर भी कोई कड़ा प्रतिबन्ध नहीं किया गया है जिसके कारण वह दिये जा सकें। मेरी इन तमाम बातों को दृष्टि में रखते हुये कि जो कार्य आप कर सकते थे, जो प्रयत्न आप कर सकते थे वह क्या आपने कर लिये हैं ? और अगर कर लिये हैं तो उनके बावजूद नतीजा नहीं निकला है, इसके क्या कारण हैं ? केन्द्र से क्यों ऐसे वक्तव्य आते हैं कि इसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है ? मैं श्रमजीवी पत्रकारों की मुसीबतों को देखते हुये आशा करूंगा कि सरकार जो वेज बोर्ड का फैसला है उसको लागू कराने का यत्न करेगी।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो बहस हो रही थी उसके दौरान में मुझे यह मालूम पड़ा कि कुछ गलतफहमी माननीय सदस्यों के दिमागों में है जिससे उन्होंने बहुत सी टीका की है, जो निराधार है, जैसा कि मैं बतलाऊंगा उससे साबित होगा। एक तो यह कि प्रादेशिक सरकार ने, जब से वेज बोर्ड लागू हुआ है, हर तरह से कोशिश की है कि जितने भी हमारे इस प्रदेश में ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनका सम्बन्ध समाचारपत्रों से है, उनको रिटर्न्स भेजने के लिये नोटिसेज भेजे जायं, सूचनायें मांगी गई हैं और जो रिटर्न्स आये हैं वह १९ हैं और उन्होंने अपनी जो कुछ रेवेन्यू है उसका एकाउन्ट भेजा है। उसमें से ३३ ऐसे हैं जिन्होंने यह लिखा है कि हम इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। दस ने जो रिटर्न्स भेजे हैं वह काफी नहीं है, इसलिये उनको फिर लिखा गया है कि वह पूरे तौर से उनको भेजें, बाकी ४७ ने कोई जवाब नहीं दिया है।

माननीय सदस्यों को यह भी मालूम होगा, जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने बतलाया, कि इस कानून में कुछ कमियां हैं जिनके कारण, सरकार की चाहे कुछ भी मंशा हो वह पूरा नहीं कर पाती है। वह मजबूर है, वह कुछ नहीं कर सकती है। उसके सिलसिले में यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार की कोशिश है और प्रादेशिक सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेन्ट को अपनी दिक्कतों से परिचित कराया है और गवर्नमेन्ट समझती है कि कुछ न कुछ संशोधन कानून में होना चाहिये यदि इसको पूरे तौर से लागू कराना है। आज गवर्नमेन्ट के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं हैं जिनके कारण वह इस कानून को लागू करा सके।

अधिष्ठाता महोदय, आज जो इस्टेब्लिशमेन्ट्स अपने रिटर्न्स नहीं भेजते हैं तो गवर्नमेन्ट के पास उनके लिये कोई इलाज नहीं है कि उनको मजबूर कर सके। उसका क्या इलाज हो सकता है इसके बारे में माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपने सुझाव केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेज दिये हैं।

जहां तक इस ऐक्ट को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये गवर्नमेन्ट की कोशिश का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह श्रमजीवी पत्रकारों से पूरी सहानुभूति रखती है और उनके हितों की रक्षा करना हमारे विभाग का विशेष कर्तव्य है। तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है।

दो पेपर्स ने तो इम्प्लीमेंट कर भी दिया है, एक मुरादाबाद का और एक झांसी का। कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जिनके संचालक हमारे माननीय पालीवाल जी भी हैं। उस पेपर ने अपने रिटर्न्स तो भेज दिये हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कहां तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने का निश्चय किया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जहां तक मुझे इत्तला है उन्होंने शुरू कर दिया है और मैं जून में यह आदेश दे आया था। अगर नहीं हुआ होगा तो अब जाते ही २२ तारीख को उनसे करा देंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक नियम बनाने की बात है, हमारे पास इसका अधिकार है और गवर्नमेन्ट ने इसके लिये श्रमजीवियों की संस्थाओं को और प्रतिष्ठानों की संस्थाओं को लिखा है और रूल्स के सम्बन्ध में उनकी राय का हम इन्तजार कर रहे हैं। जब वे रूल्स बन जायेंगे तो उसके बाद जो डिस्प्यूट्स आयेंगे, उनका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत उन रूल्स के मुताबिक फैसला होगा। मुझे तो सिर्फ इतना कहना था कि इस कानून को पूरा कराने के लिये जो भी हो सकता है उसमें सरकार किसी हद तक भी पीछे नहीं है। लेकिन जो मजबूरियां हैं और जिनका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने भी किया है और-और सदस्यों ने भी महसूस किया है उनके कारण ही हम पूरे तौर से इस कानून को लागू नहीं करा पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस कमी को दूर करने के लिये कोई न कोई कदम जल्द से जल्द उठायेगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी उन सुझावों को बतायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐक्ट में कोई पैनल प्राविजन नहीं है जिसके जरिये से अगर कोई कानून को पूरी तरह से लागू न करे तो हम उसको सजा दे सकें। अगर कोई श्रमजीवी मुकदमा दायर करें तब तो हम उसको आगे भेज सकते हैं परन्तु कानून को फालो न करने पर उस प्रतिष्ठान पर कोई सजा गवर्नमेन्ट नहीं लगा सकती है। इसी तरह के सुझाव हमने भेजे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने अपने ५ मिनट के भाषण में दो तीन निश्चित बातें माननीय मंत्री जी से पूछी थीं। अगर वे उनका जवाब दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता—आपने ५,६ सवाल पूछे थे। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता कि वे उत्तर दें।

श्री नेकराम शर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन इस्टैबलिशमेन्ट्स के रिटर्न्स आ गये हैं ?

श्री अधिष्ठाता—यह तो बताया जा चुका है।

श्री उग्रसेन—मैं सूचना चाहता हूं कि जिन ४७ अखबारों ने प्रदेश की सरकार के पास रिटर्न नहीं दाखिल किये हैं क्या माननीय मंत्री जी केन्द्र को अपनी रिपोर्ट सब्मिट करते समय, इस ऐक्ट के रिव्यू पर, उनके विरुद्ध भी कुछ लिखेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—उसमें तो इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि इंस्पेक्शन कितने इंस्पेक्टर्स ने किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, यह क्वेश्चन आवर तो है नहीं।

श्री अधिष्ठाता—यही तो मैं भी कह रहा हूं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१९ सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके लिये तकावी स्वीकार की गयी थी	स्थान	कार्य का विवरण	धन अन्य-विवरण		
१	२	३	४	५		६
				रु०	आ०	पा०
१	जिला सहकारी अधिकारी	चुरहा कलां	ट्यूबवेल	५,०००	०	०
२	,, ,,	चांदापुर	,,	२,०००	०	०
३	,, ,,	याकूबपुर	,,	१,६४०	०	०
४	,, ,,	रौली	,,	१,६३६	०	०
५	,, ,,	हरिहरपुर	,,	१,६३६	०	०
६	,, ,,	कुन्डरिया	,,	१,६३६	०	०
७	,, ,,	गोरा	,,	१,६३६	०	०
८	,, ,,	गुलड़िया	,,	१,६३६	०	०
९	,,	वसुलिया	,,	१,६३६	०	०
१०	,, ,,	सेहरामऊ दक्षिणी	,,	१,६३६	०	०
११	,, ,,	वहेना	,,	१,६३६	०	०
१२	,, ,,	लाड़पुर	,,	१,६३६	०	०
१३	,, ,,	यारपुर	,,	१,६३६	०	०
१४	जिला गन्ना अधिकारी	..		२,०००	०	०
१५	श्री प्रतिपालसिंह ..	मझारी	कुआं	१,८६३	०	०
१६	,, ,,	कुरिया कलां	,,	१,८६३	०	०
१७	खन्ड विकास अधिकारी	हथेल	,,	६००	०	०
१८	प्रधान गांव सभा हथेल	हथेल	,,	६००	०	०
१९	सावन्त सिंह बमरौली	बमरौली	,,	५००	०	०
२०	बिहारीलाल	मदरौली	,,	५००	०	०
२१	महाराजसिंह	औदापुर	,,	५००	०	०
२२	श्री लालसिंह	सैदापुर	,,	६००	०	०
२३	रतीराम	असत्यारपुर बधरा	,,	२००	०	०
२४	सौदानसिंह	दियोरिया झाला	,,	५००	०	०
२५	लज्जाराम	गुरथना	,,	५००	०	०
२६	जौरावरसिंह	कुदैया	,,	४००	०	०
२७	पुत्तूलाल	औदापुर	,,	३००	०	०
२८	बिन्दा	वरीखास	,,	६००	०	०
२९	बादशाहसिंह	सिकन्दरपुर कलां	,,	४००	०	०
३०	झरगदसिंह	,,	,,	६००	०	०
३१	महादेवसिंह	,,	,,	६००	०	०
३२	पगरजसिंह	बेहटा जंगल	,,	६००	०	०
३३	गया सिंह	,,	,,	६००	०	०

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके लिये तकावी स्वीकार की गयी थी	स्थान	कार्य का विवरण	धन		अन्य-विवरण
१	२	३	४	५		६
				रु०	आ०	पा०
३४	प्रधान ग्राम सभा	वारा कलां	कुआं	४००	०	०
३५	प्रधान ग्राम सभा	वारा खुर्द	,,	५००	०	०
३६	प्रधान ग्राम सभा	वारा कलां	,,	५००	०	०
३७	प्रधान ग्राम सभा	वारा खुर्द	,,	२००	०	०
३८	प्रधान ग्राम सभा	रफियाबाद कलान	,,	५००	०	०
३९	प्रधान ग्राम सभा	रफियाबाद कलान	,,	५००	०	०
४०	प्रधान ग्राम सभा	रफियाबाद कलान	,,	५००	०	०
४१	प्रधान ग्राम सभा	मंगटोरा	,,	६३७	८	०
४२	प्रधान ग्राम सभा	वारा कलां	,,	४००	०	०
४३	श्री अशफाक हुसेन	रसूलपुर	,,	४००	०	०
४४	श्री प्रधान ग्राम सभा	विक्रमपुर	,,	४००	०	०
४५	प्रधान ग्राम सभा	मुड़ेली	,,	४००	०	०
४६	प्रधान ग्राम सभा	थरिया	,,	४००	०	०
४७	प्रधान ग्राम सभा	कुदरासी	,,	४००	०	०
४८	,,	खजूरी	,,	४००	०	०
४९	,,	,,	,,	४००	०	०
५०	,,	,,	,,	८०४	०	०
५१	तज्जू	रुजवारी	,,	८१३	१०	०
५२	राम लाल	जोगीपुर	,,	७५३	८	०
५३	ग्वाला किसान	सरेली	,,	८५३	०	०
५४	महबूब हुसेन	बनबाहपुर	,,	६१५	०	०
५५	खलील मुहम्मद खां	,,	,,	६३४	८	०
५६	मंजूर हुसेन	डमोरा	,,	९६०	०	०
५७	मकसूद अली खां	उमरपुर	,,	७७१	८	०
५८	श्रीमती दिलवरी बेगम	डमोरा	,,	८५३	७	०
५९	ज्वाला सिंह	पिपरी	,,	७५५	०	०
६०	देवराम	दोशपुर हरेली	,,	८४८	१०	३
६१	सत्यदेव	रुद्रपुर	,,	७८०	०	०
६२	श्री कृपाल	सरेली	,,	८४६	१०	०
६३	मुहम्मद शफी खां	बनवारीपुर	,,	९००	१५	३
६४	किशवर अली खां	बिहारीपुर	,,	८५५	४	६
६५	लाखनलाल	बरसेड़ा हवेली	,,	७९२	७	६
६६	लाला दामोदरदास	मिर्गापुर	,,	९९८	६	६
६७	रामेश्वर दयाल	पुवायां	,,	९९८	६	६
६८	रामस्वरूप	भरतपुर	,,	९९८	६	६
६९	मंगल खां	नितगजां	,,	९३६	०	०
७०	सोहनलाल	कैहमारा	,,			

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके लिये तकावी स्वीकार की गई थी	स्थान	कार्य का विवरण	धन		अन्य-विवरण
१	२	३	४	५		६
				रु०	आ०	पा०
७१	तेजबहादुर	बद्रीपुररा	कुआं	९३६	०	०
७२	दीवानचन्द्र	पिपरिया बिरसिंहपुर	,,	८९७	९	६
७३	छिद्दम्मीलाल	बद्रीपुर हदीरा	,,	८९७	९	६
७४	आनन्द देव	गदाई सांड़ा	,,	८९७	९	६
७५	ज्ञानसिंह	जमुनिया	,,	८९७	९	६
७६	श्री रघुबर	हथौड़ा	हरिजन बेल	२००	०	०
७७	श्री तिलई राम	पिपरिया	कुआं	२००	०	०
७८	श्रीमुल्ला	बिरसिंहपुर	,,	२००	०	०
७९	श्री चन्दन	रिदीसर	,,	१५०	०	०
८०	खुमानी	बरुआ खुर्द	,,	१५०	०	०
८१	पुरन	हरियापुर	,,	१५०	०	०
८२	श्री नेतराम	मदनापुर	,,	१५०	०	०
८३	श्री कालिका	पिपरौला	,,	१५०	०	०
८४	मथुरा	भटपुरा	,,	१५०	०	०
८५	मंगली	जवों	,,	२००	०	०
८६	शोभादास	करुवापुर	,,	१५०	०	०
८७	बनबूराम	कुन्डरिया	,,	१५०	०	०
८८	इतबारी	कुतवापुर	,,	१५०	०	०
८९	लेखा	खमरिया	,,	२००	०	०
९०	लाहौरी	मिरगापुर	,,	१५०	०	०
९१	गुलजारी	रायपुर	,,	२००	०	०
९२	मनोहर	चकममरेज	,,	१५०	०	०
९३	मिसरी	परौर	,,	१५०	०	०
९४	भीखम	धनौरा	,,	१५०	०	०
९५	कल्याण	पटई	,,	२००	०	०
९६	सुमेरचन्द्र	रुद्रपुर	,,	२००	०	०
९७	छोटेलाल	गोवरसनडा	,,	२००	०	०
९८	दर्शनलाल	दौलतपुर	,,	२००	०	०
९९	रग्धा	बिलन्दपुर	,,	२००	०	०
१००	दुर्जन	बजीरपुर	,,	२००	०	०
१०१	दलाल	सिकरोही	,,	१५०	०	०
१०२	गोधन	टकेली	,,	१५०	०	०
१०३	मथुरा	शेरगढ़	,,	५०	०	०

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

सूची

क्रम-सं०	सड़क का नाम	नियोजन-विभाग द्वारा स्वीकृत धन	धन जो अब तक दिया	सड़क की लम्बाई मी० फ० ग०			कार्य की प्रगति
१	खैरागढ़-कागारोल	१०,०००	७,०००	६	०	०	एक मील बन चुकी है।
२	जाखरा-कटरा	१०,०००	६,०००	०	५	०	पूर्ण बन चुकी है।
३	सैया-लावूखेड़ा	३०,०००	९,०००	५	०	०	एक मील पूर्ण हो चुकी है, दो मील में कार्य हो रहा है।
४	खैरागढ़-उटगिर	१०,०००	७,८००	४	०	०	४ फ० पूर्ण हो चुकी है १ मील ४ फ० में कार्य हो रहा है।
५	कुर्राबिलरपुर रोड	१३,५००	१३,३००	३	०	०	पूर्ण हो चुकी है
६	सहारा-बरारा	८,८४१	७,५००	१	४	०	१ मी० २ फ० बन चुकी है।
७	फतहपुर सीकरी-डावर	३०,०००	३०,०००	४	६	०	पूर्ण हो चुकी है।
८	विपरावली रोड	२,५००	..	०	४	०	२ फ० में कंकड़ बिछाये जा चुके हैं।
९	सांतपुर रोड	६,०००	१,०००	०	६	०	सड़क पर गिट्टी पड़ चुकी है।
१०	होलीपुरा-भगोर	४,०००	५००	०	५	०	३ फ० में गिट्टी पड़ चुकी है।
११	अगनेर	२,०००	..	०		१०	कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

DISTRICTWISE AND YEARWISE DISTRIBUTION OF ADDITIONAL FOOD PRODUCTION TARGETS IN TONS

Serial no.	Name of District	1960-61	
		Kharif	*Rabi*
1	Agra	7,200	36,000
2	Allahabad	22,400	46,200
3	Aligarh	18,000	44,400
4	Almora	44,200	4,200
5	Azamgarh	33,400	39,000
6	Budaun	14,400	44,400
7	Bahraich	26,400	46,800
8	Ballia	12,000	24,000
9	Banaras	16,800	24,000
10	Banda	14,400	42,000
11	Bara Banki	18,000	31,200
12	Bareilly	16,800	23,600
13	Basti	33,600	58,800
14	Bijnore	14,400	28,800
15	Bulandshahr	19,800	42,600
16	Dehradun	3,000	4,200
17	Deoria	28,200	21,600
18	Etah	15,000	33,000
19	Etawah	12,000	26,400
20	Faizabad	19,400	31,800
21	Farrukhabad	8,400	28,800
22	Fatehpur	12,000	26,400
23	Garhwal	7,800	5,400
24	Ghazipur	13,200	26,400
25	Gonda	33,600	52,800
26	Gorakhpur	27,600	24,000
27	Hamirpur	14,400	44,400
28	Hardoi	16,800	46,800
29	Jalaun	7,200	31,200
30	Jaunpur	15,600	30,000
31	Jhansi	18,000	34,800
32	Kanpur	15,600	39,600
33	Lakhimpur	21,600	38,400
34	Lucknow	7,200	14,400
35	Mainpuri	12,600	29,400
36	Mathura	13,200	33,600
37	Meerut	26,400	51,600
38	Mirzapur	18,000	32,400
39	Moradabad	22,200	48,600
40	Muzaffarnagar	17,400	33,000
41	Naini Tal	6,000	6,000

Serial no.	Name of District	1960-61 Kharif	Rabi
42	Pilibhit	12,600	23,400
43	Pratapgarh	9,000	17,400
44	Rae Bareli	14,400	26,400
45	Rampur	8,400	9,600
46	Saharanpur	20,400	39,600
47	Shahjahanpur	14,400	34,800
48	Sitapur	22,800	44,400
49	Sultanpur	16,800	28,800
50	Tehri Garhwal	1,800	3,000
51	Unnao	12,000	27,200
	Total	804,000	15,96,000

TARGETS OF INCREASED PRODUCTION UNDER OIL SEEDS IN TONS

Serial number	Name of District	1960-61
1	Agra	7,300
2	Aligarh	3,650
3	Allahabad	5,500
4	Almora	..
5	Azamgarh	3,800
6	Budaun	3,650
7	Bahraich	4,750
8	Ballia	600
9	Banda	9,900
10	BaraBanki	1,150
11	Barelly	3,800
12	Bastir	7,200
13	Bijno	3,400
14	Bulandsh	3,000
15	Dehra Du	5,350
16	Deoria	6,200
17	Etah	5,500
18	Etawah	3,000
19	Faizabad	1,100
20	Farrukhabad	6,000
21	Fatehpur	3,900
22	Garhwal	400
23	Ghazipur	650
24	Gonda	10,550
25	Gorakhpur	7,650
26	Hamirpur	14,640

Serial no.	Name of District	1960-61
27	Hardoi	7,400
28	Jalaun	7,940
29	Jaunpur	5,150
30	Jhansi	18,040
31	Kanpur	8,950
32	Kheri	4,200
33	Lucknow	1,000
34	Mainpuri	7,000
35	Mathura	7,840
36	Meerut	3,240
37	Mirzapur	13,500
38	Moradabad	3,700
39	Muzaffarnagar	3,250
40	Naini Tal	2,950
41	Pilibhit	1,180
42	Pratapgarh	1,130
43	Rae Bareli	1,100
44	Rampur	3,300
45	Saharanpur	6,000
46	Shahjahanpur	1,000
47	Sitapur	6,650
48	Tehri Garhwal	100
49	Unnao	3,700
50	Sultanpur	1,190
51	Varanasi	3,350
	Total	2,45,900

YEARWISE PRODUCTION OF SUGAR CANE TARGET IN UTTAR PRADESH IN CRORE MAUNDS AND LAKH TONS

Year	Crore maunds	Lakh Tons
1956-57	63.80	235
1957-58	66.00	242
1958-59	68.20	250
1959-60	69.85	256
1960-61	71.50	263

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१–२२ के उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

प्रान्तीय रक्षक दल गस्ती द्वारा जनवरी १, १९५६ से दिसम्बर ३१, १९५६ तक किये गये कार्यों का विवरण

	कर्मचारी भर्ती किये गये	
(१)	ग्रुप लीडर	२,३०६
(२)	सेक्शन लीडर	३३२
	प्रशिक्षण (संस्था)	
(३)	बिना अस्त्रों के सैनिक प्रशिक्षण ..	७६६
(४)	अस्त्रों सहित सैनिक प्रशिक्षण ..	१७८
(५)	अन्य प्रशिक्षण (तैरना आदि) ..	२५
(६)	सैनिक पुनःप्रशिक्षण	४२
	स्वास्थ्य वर्द्धक कार्य	
(७)	दंगल आयोजित किये गये	२४६
(८)	खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं ..	५६५
(९)	स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रदर्शनी की संख्या ..	४०
(१०)	अखाड़ों की संख्या	४६४
	विकास शिविर एवं विकास कार्य	
(११)	विकास कैम्प आयोजित किये गये ..	४८
(१२)	सड़क निर्माण	२५ मी०४ फ०
(१३)	सड़क सुधार	१२४ मी०२ फ०
(१४)	बांध तथा बन्धियों का निर्माण ..	६ फ०
(१५)	गूल्स निर्माण	१ १/२ फ०
(१६)	गूल्स सुधार	७ फ०
(१७)	खाद के गड्ढे खोदे गये	१३१
(१८)	सोख्ता	९४
(१९)	तालाब गहरे किये गये	२
(२०)	पेड़ लगाये गये	१,०००
(२१)	गांधी चबूतरा निर्माण	३
(२२)	बच्चों के खेल के मैदान	३
	सामाजिक तथा अन्य कार्य	
(२३)	मेले में कार्य करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या ..	१७३
(२४)	खोये हुए बच्चों की संख्या जो तालाश किये गये..	१८
	प्रशन्सनीय कार्य	
(२५)	प्रान्तीय रक्षक दल के सदस्यों की सहायता से डूबते, अग्नि ग्रसित बाढ़-पीड़ित लोगों को जान बचायी (संख्या)	५

प्रांतीय रक्षक दल यूनिट बस्ती के कर्मचारियों के पहली जनवरी सन् १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक बस्ती हेड क्वार्टर एवं जोतों में रहने का विवरण।

क्रमांक	नाम कर्मचारी क्षे० का० क०	अवकाश पर रहने का समय दिनों में	प्रशिक्षण लखनऊ में रहने का समय दिनों में	पंचायत चुनाव में रहने का समय दिनों में	स्टाफ मीटिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य के सम्बन्ध में बस्ती हेड क० पर रहने का समय दिनों में	क्षेत्र में रहने का समय दिनों में	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री दया शंकर मिश्र ..	२	२५	४१	२२	२७६	
२	श्री राम अवस्थी ..	४४	२५	४१	२३	२३३	
३	श्री शैलेन्द्रनाथ दुबे ..	३४	२५	४१	२४	२४२	
४	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद ..	१४	२५	४१	२५	२६१	
५	श्री परमहंस सिंह ..	४६	२५	४१	२२	२३२	
६	श्री लाल बिहारी शर्मा	१४	२५	४१	२७	२५९	
७	श्री सुभद्रनाथ पांडेय ..	७४	२५	४१	२६	२०१	
८	श्री ब्रह्म दीन यादव ..	४५	२५	४१	२५	२२९	
९	श्री त्रियुगी नारायण शर्मा	५५	२५	४१	२१	२२४	
१०	श्री नगेन्द्र सिंह ..	७	२५	४१	१८	२७५	
११	श्री रामदेव यादव ..	३७	२५	४१	३	२६०	
१२	श्री गौरीशंकर सिंह ..	५१	२५	४१	२८	२४१	
१३	श्री नन्दाप्रसाद गुप्ता ..	४५	२५	४१	२७	२२८	
१४	श्री महमूद अहमद ..	२४	२५	४१	२५	२५१	
१५	श्री चन्द्रभाल मिश्र ..	२९	२५	४१	२५	२४६	
१६	श्री विजयबहादुर लाल	३४	२५	—	२७	२८०	
१७	श्री शिवशंकर शर्मा ..	११	२५	४१	शेष दिनों में बस्ती हे० क० पर स्टोर के पुराने रिकार्ड छानबीन करने के सम्बन्ध में रहे।		
१८	श्री रामलखन सिंह ..	१८	२५	४१	२६	२७०	
१९	श्री चन्द्रधर पांडेय ..	४	२५	४१	२६	२३७	
२०	श्री चन्द्रदेव प्रधान ..	३७	२५	४१	२३	२३३	
२१	श्री हरिहर सिंह ..	४४	२५	४१	१	२३९	
२२	श्री अब्दुल हई ..	१	२५	—	१०	१४४	श्री सिंह की नियुक्ति यहां पर २२-६-५६ को हुई थी।
२३	श्री श्यामबिहारी सिंह	१४	२५	—			

क्रमांक	नाम कर्मचारी क्षे० का० क०	अवकाश पर रहने का समय दिनों में	प्रशिक्षण लखनऊ में रहने का समय दिनों में	पंचायत चुनाव में रहने का समय दिनों में	स्टाफ मीटिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य के सम्बन्ध में बस्ती हे० क० पर रहने का समय दिनों में	क्षेत्र में रहने का समय दिनों में	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८
२४	श्री लालता प्रसाद शुक्ल	३४	२५	४१	१३२	१३४	श्री शुक्ल विशेष कार्य से बस्ती हे० क० पर रोके गये थे।
२५	श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्त	१४	२५	१	९	१२५	श्री गुप्त १२-७-५६ को यहां नियुक्त हुए।
२६	श्री रामरूप राय ..	७	२५	—	१८	२०९	श्री राय १७-४-५६ को यहां ज्वाइन किये थे।
२७	श्री जगदीश सिंह ..	३५	—	४१	१२	१५०	२५-८-५६ को यहां से स्थानान्तरण हो गया।
२८	श्री राम निहार शर्मा ..	१७	—	४१	१५	१६५	२५-८-५६ को यहां से स्थानान्तरण हो गया।
२९	श्री राम नरेश सिंह ..	७	—	—	५	५४	६-३-५६ को त्याग-पत्र दिये।
३०	श्री अदालत सिंह ..	—	—	—	—	२८	२८-१-५६ को स्थानान्तरण हो गया।
३१	श्री राम शंकर ..	—	—	—	५	३३	७-२-५६ को स्थानान्तरण हो गया
३२	श्री विजयपाल सिंह ..	प्रा० र० द० मुख्यालय लखनऊ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।					
३३	श्री अयोध्याप्रसाद ..	४९	२५	—	२३	२४६	यहां पर २४-१-५६ को नियुक्त हुए।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गई योजनाओं की धनराशि जिन से खाद्योत्पादन में सहयोग मिलेगा

योजना का नाम	धनराशि (लाख रुपयों में)
१—बड़े सिंचाई कार्य नहरें तथा बांध	२,५८०.००
२—छोटे सिंचाई कार्य	१,११४.७५
३—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा कम्युनिटी विकास कार्य-क्रम ..	२,६६०.००*
४—उन्नत बीज	३०९.००
५—भूमि-संरक्षण तथा विकास	१८७.३६
कुल ..	६,८५१.११

*भारत सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है और आशा है कि यह धनराशि बढ़ाकर ३,३३५.७७ लाख रुपया कर दी जायगी।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७–२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

उत्तर प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत कार्य करने वाले विशेष पदाधिकारियों (O.S.D.) की संख्या

क्रम-संख्या	विशेष पदाधिकारी का नाम	विभाग का नाम जिस के अधीन कार्य कर रहे हैं	जिस तिथि से कार्य कर रहे हैं
१	श्री डी० एन० शर्मा ..	स्वास्थ्य सेवा संचालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	१७ मई, १९५५।
२	श्री आर० सी० नागर	राजस्व परिषद् (Board of Revenue)	१६ अक्तूबर, १९५५।
३	श्री एस० के० श्रीवास्तव	,, ,, ,,	६ अक्तूबर, १९५६।
४	श्री आर० के० दुबे ..	,, ,, ,,	१० अक्तूबर, १९५६।
५	श्री आर० के० शर्मा ..	,, ,, ,,	१ अप्रैल, १९५७।
६	श्री बीरेन्द्र सिंह ..	,, ,, ,,	६ सितम्बर, १९५७।
७	श्री मुकुट बिहारीलाल दर	शक्ति (ख) विभाग, सचिवालय, उत्तर प्रदेश	९ अप्रैल, १९५७।
८	श्री पुरषोत्तमलाल श्रीवास्तवा।	शिक्षा सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश	१० फरवरी, १९५५।
९	श्री पी० एन० माथुर ..	,, ,, ,,	१ अप्रैल, १९५७।
१०	श्री कृष्णानन्द सक्सेना	माल सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश	१ दिसम्बर, १९५६।
११	श्री आर० बी० लाल	चीफ इन्जीनियर रिहन्ड (पावर) एलेक्ट्रिसिटी उत्तर प्रदेश।	३ जून, १९५७।
१२	श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा	गृह सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश	१२ मई, १९५५।
१३	श्री के० बी० जोशी ..	स्वायत्त शासन सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।	२८ फरवरी, १९५६।
१४	श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव	मुख्य सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।	२६ नवम्बर, १९५५।
१५	श्री हरीहरप्रसाद चतुर्वेदी	चिकित्सा सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।	१७ अप्रैल, १९५७।
१६	श्री अब्दुल हमीद ..	न्याय सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।	३१ जुलाई, १९५६।
१७	श्री जे० के० नीने ..	वित्त सचिव शाखा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।	२७ अगस्त, १९५३।
१८	श्री डब्लू० बी० गोखले	,, ,, ,,	१ अप्रैल, १९५५।

क्रम संख्या	विशेष-पदाधिकारी का नाम	विभाग का नाम जिसके अधीन कार्य कर रहे हैं	जिस तिथि से कार्य कर रहे हैं
१९	श्री कैलाशनारायण मालवीय ।	शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ..	२४ मई, १९५७ ।
२०	श्री ब्रह्मस्वरूप सक्सेना	" " " ..	१५ सितम्बर, १९५६ ।
२१	डा० जय गोपाल वर्मा	" " " ..	२ फरवरी, १९५७ ।
२२	श्री एस० एम० कर ..	" " " ..	२२ दिसम्बर, १९५६ ।
२३	श्री हसमत हुसैन उसमानी	" " " ..	२२ अक्तूबर, १९५४ ।
२४	श्री महेश्वरदयाल शर्मा	" " " ..	१३ सितम्बर, १९५५ ।
२५	श्री ब्रजमोहन गुप्त ..	" " " ..	२७ दिसम्बर, १९५५ ।
२६	श्री डी० डी० तिवारी	" " " ..	१ अप्रैल, १९५६ ।
२७	श्री खलीलुर्रब ..	" " " ..	३ मार्च, १९५७ ।
२८	श्री राजेन्द्रलाल ..	इन्फार्मेशन डायरेक्टरेट ..	२७ मई, १९५४ ।
२९	श्री अशोक कुमार ..	" " ..	१६ जनवरी, १९५६ ।
३०	श्री मुन्नी चौबे ..	प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	१८ मई, १९५७ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १९२ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार ने निम्नलिखित फैक्ट्रियों को उत्तर प्रदेश में पब्लिक सेक्टर में खोलने का निश्चय किया है:—

(१) सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री बरेली में, जिसके निर्माण में लगभग १० करोड़ रुपया व्यय होगा।

(२) अल्यूमिनियम फैक्ट्री रिहन्द क्षेत्र में इसके लागत के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(३) रेल के इंजनों के पुर्जे बनाने का कारखाना महुआडीह जिला वाराणसी में, इसकी लागत के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

राज्य सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित फैक्ट्रियों को पब्लिक सेक्टर में स्थापित या विस्तृत करने जा रही है:—

(१) गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री चुर्क जिला मिर्जापुर। इसके विस्तार के लिये सरकार ने २ करोड़ रुपये की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की है। यह अनुमान किया जाता है कि इस योजना पर यह रकम अन्त में २.७८ करोड़ हो जायगी।

(२) गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्सट्रूमेंटस फैक्टरी, लखनऊ इस फैक्टरी के विस्तार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है परन्तु अनुमान है कि यह रकम अन्त में २४.५० लाख हो जायगी।

(३) प्राइवेट सेक्टर में इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेंट ऐण्ड रेग्यूलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत अब तक निम्नलिखित बड़े कारखाने खोलने के लिये भारत सरकार ने लाइसेन्स स्वीकृत किये हैं। इनमें से कुछ कारखानों की लागत ज्ञात नहीं है। जिनकी लागत ज्ञात है वह उनके सन्मुख दी हुई है।

	लागत
१—एक सोडा ऐश तथा अमोनियम क्लोराइड फैक्टरी, वाराणसी	३.२५ करोड़
२—एक सल्फ्यूरिक ऐसिड बनाने की फैक्टरी, कानपुर ..	(लागत की जानकारी नहीं है)
३—एक कृत्रिम सिल्क से सूत बनाने का कारखाना, कानपुर	२.८ करोड़
४—एक सूती मिल की मशीनों के पुर्जे बनाने वाली फैक्टरी, कानपुर	१.५ करोड़
५—एक सीमेंट फैक्टरी, देहरादून	२.२५ करोड़
६—चार रेल के डिब्बे बनाने वाली फैक्टरियां, २ कानपुर १ सहीबाबाद, १ बरेली	२.२५ करोड़
७—एक ट्रांसफोर्मर और स्विचगियर फैक्टरी, नैनी, इलाहाबाद	३ करोड़
८—एक रैपिंग पेपर मिल, इलाहाबाद	५ लाख
९—एक खोई से कागज बनाने की मिल मेरठ ..	२.६ करोड़
१०—तीन सूती कपड़े की मिलें, १ नैनी, १ मेरठ, १ देहरादून	(लागत ज्ञात नहीं)
११—एक क्रोमक्रस्ट बनाने की फैक्टरी, कानपुर ..	(लागत ज्ञात नहीं)

	लागत
१२—पांच चीनी की फैक्टरियां, २ नैनीताल, १ पीलीभीत, १ मेरठ, १ सहारनपुर	६.२५ करोड़
१३—तीन डिस्टीलरी, १ मोदीनगर (मेरठ,) १ पिलखनी (सहारनपुर), १ स्योहारा (बिजनौर) ..	(ज्ञात नहीं)
१४—एक साइकिल बनाने का कारखाना, मोदीनगर ..	(ज्ञात नहीं)
१५—स्ट्रकचरल प्लान्ट, कानपुर	८० लाख
१६—तीन शीशे का सामान बनाने वाली फैक्टरियां, १ एतमादपुर (आगरा), २ फिरोजाबाद ।	(लागत ज्ञात नहीं)

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४—पर)

श्री नत्थूसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ से सम्बन्धित सूची का विवरण

तहसील	ग्राम जिसमें अग्निकांड हुआ	संख्या उन लोगों की जिनको हानि पहुंची	सहायता जो दी गई
१	२	३	४
मैनपुरी ..	१—हलपुरा	७	..
	२—नगला गडिया नोनेर	२०	..
	३—नगला वगा मजरा नौनेर	६०	३०० रु० तकावी तीन अधिकारी व्यक्तियों को ।
	४—धर्मगंदपुर ..	७५	५ व्यक्तियों को १०० रु० इमदाद दी गई । ५० व्यक्तियों को कीमती १५० रु० का कपड़ा बांटा गया १३ व्यक्तियों को तकावी २,५७५ रु० दी गई ।
	५—परोंख ..	६	..
	६—करीमगंज ..	८	..
	७—नगला वतरौली मजरा नौनेर	६	४२५ रु० तकावी ३ व्यक्तियों को दी गई ।
	८—नगला छिद्दू मजरा लखौरा	१	..
भोगांव	१—अलावलपुर ..	५	..
	२—घनमऊ ..	७	..
	३—मेदेपुर ..	५	..
	४—तिलियानी ..	८	..
	५—महावतपुर ..	१०	..
	६—स्योना ..	६	..
	७—सिमरई	९	मालगुजारी २८ रु० १ आना माफ हुई ।
	८—सकरा ..	७	मालगुजारी १९ रु० १४ आना माफ हुई ।
	९—भांवत ..	३	..
	१०—मल्ला मई ..	४	..
	११—अजीतगंज ..	इमारत जू० हा० स्कूल	..

तहसील	ग्राम जिसमें अग्निकांड हुआ	संख्या उन लोगों की जिनको हानि पहुंची	सहायता जो दी गई
१	२	३	४
शिकोहाबाद	१---बहोरी डांडा मजरा खड़ी	१४	१०० रु० मदद दी गई ।
	२---मेहराबाद ..	१	..
	३---मोहमदाबाद उर्फ शिकोहाबाद	६	..
	४---अहमदपुर ..	८	१०० रू० इमदाद दी गई ।
	५---पाछे मई ..	१०	..
	६---कारी खेड़ा ..	३	..
	७---बहादरपुर ..	२२	..
	८---भदान स्टेशन ..	१	..
	९---नगला बलुआ	१	..
जसराना	१---दिनौली गोरवा ..	६	..
	२---सुराया ..	३	८० रु० इमदाद दी गई ।
	३---केलई ..	१	..
	४---दारापुर मिला वती	१	२६ रु० मालगुजारी में माफी दी गई ।
	५---ओडमपुर ..	१	..
करहल	१---नगला मई खेड़ा मजरा सोज	२	११ रु० २ पै० मालगुजारी में माफी सिफारिश की गई है । तकावी मंजूर की गई मगर नहीं ली ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पृष्ठ १९७ पर)

क्रम-संख्या	शाखा का नाम		अस्थायी व्यक्तियों की संख्या		परिगणित जाति की संख्या	
			सहायक	चपरासी	सहायक	चपरासी
१	२		३	४	५	६
१	मुख्य सचिव की शाखा	..	१९१	६७	२	१२
२	वित्त सचिव की शाखा	..	८६	५३	२	७
३	सा० निर्माण विभाग सचिव की शाखा	..	९३	३७	१	४
४	गृह सचिव की शाखा	..	२१७	३४	५	८
५	माल सचिव की शाखा	..	७३	३७	..	४
६	न्याय सचिव की शाखा	..	८६	४४	२	१
७	शिक्षा सचिव की शाखा	..	५७	१७	..	..
८	स्वा० शा० वि० सचिव की शाखा	..	७८	२०	४	३
९	उद्योग सचिव की शाखा	..	१०६	३८	२	५
१०	कृषि सचिव की शाखा	..	६२	३६	..	२
११	चिकित्सा सचिव की शाखा	..	४८	११	१	२
१२	सचिव एवं रसद विभाग की शाखा	..	५६	२१	..	१
१३	सहायता एवं पुर्नवास सचिव की शाखा	..	५८	७	..	..
१४	सूचना सचिव की शाखा	..	१३५	९८	..	९
१५	नियोजन सचिव की शाखा	..	३१	११	..	२
	योग	..	१,३७७	५३१	१९	६०

अनुसंधान एवं प्रलेखन केन्द्र

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

सूची

बड़गांव राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में खुलने की तिथि (अप्रैल १, १९५६) से जुलाई ३१, १९५७ तक होने वाले विकास कार्यों तथा उन पर होने वाले व्यय की सूची

मदें		संख्या	सरकारी व्यय	जनता का अनुदान
१		२	३	४
			रु०	रु०
१—नवीन कूप निर्माण	..	१८	५,४४५	६,९४६
२—कुओं का जीर्णोद्धार	..	५७	७,१५१	४,३०२
३—खरंजे एवं नालिएं	..	८	१,९३७	२,७३७
४—पाठशाला भवन निर्माण	..	७	८,२८५	१,६५९
५—पुलिया	..	१८	५,२१६	२,६८०
६—राजकीय सिंचाई कार्य	..	..	१४,१२९	..
योग	..		४२,१६३	१८,३२४

ऊपर के कार्यों के अलावा कार्यालय के भवन तथा अधिकारियों के रहने के मकानों के निर्माण में १६,००३ रु० व्यय हुआ।

विधान सभा पुस्तकालय उ०प्र०

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

सन् १९५४-५५ एवं १९५५-५६ में सामान्य विकास खंड अलीगंज (एटा) में किये गये कार्यों का विवरण

१—यातायात

	मी०	फ०	ग०
अ—पक्की सड़क का निर्माण	९	६	११५
ब—कच्ची सड़क का निर्माण	७५	४	१५
स—मरम्मत पक्की सड़क	७	४	०
क—मरम्मत कच्ची सड़क	६६	५	३
ख—नये पुलों के निर्माण की संख्या		१	
ग—नई पुलियों के निर्माण की संख्या		३६	
घ—मरम्मत पुलियां		४	

२—सिंचाई

(१) राजकीय ट्यूब वेल्स निर्माण	२७
(२) व्यक्तिगत ट्यूब वेल्स निर्माण	२
(३) मैसनरी कूप निर्माण	१८५
(४) बोरिंग	३६६
(५) रहट	९४
(६) पंपिंग सेट	९
(७) मरम्मत सिंचाई कुआं	४७२
(८) तालाब गहरे किये गये	२७

३—भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार

(१) क्षेत्र भूमि संरक्षण	२,०२६ एकड़
(२) क्षेत्र भूमि सुधार	८०६ ,,

४—उद्यान एवं वृक्षारोपण

(१) फलदार वृक्ष लगाये गये	४१,३१२
(२) ईंधन वाले वृक्ष लगाये गये	१३,३०१
(३) क्षेत्र नये उद्यान जो लगाये गये	९३९ एकड़
(४) क्षेत्र नवीन वृक्षारोपण	१७९ ,,
(५) क्षेत्र नवीन नर्सरी	४८ ,,
(६) संख्या नवीन नर्सरी	२४ ,,

५—कृषि उन्नति के साधन

(१) कृषकों के खेत में किये गये प्रदर्शन ..	५,४१७
(२) क्षेत्र जो सुधारा गया ..	३,१८२ एकड़
(३) विकास क्षेत्र में दृश्य दर्शन की संख्या ..	२०५
(४) दर्शकों की संख्या ..	३,५४३

६—उन्नत बीज वितरण

		मन	सेर	छटांक
(१)	मूंगफली	५		
(२)	ढैंचा	५६	७	८
(३)	गेहूं	१४,७९३	२८	१४
(४)	जौ	१,२०८	२४	०
(५)	मटर	२०२	१२	४
(६)	चना	१,४७२	३	१३
(७)	आलू	८९१	३०	०
(८)	तरकारी बीज	९३—१/२	पौंड	
(९)	सीडलिंग	संख्या २९६,०४३		
(१०)	मक्का	३५	०	१२
(११)	धान	९३	१२	८
(१२)	अरहर	७	३५	१२
(१३)	कपास	४०	४	१२
(१४)	मूंग	९८	३५	०
(१५)	सनई	४१,९२५		०

७—उन्नतशील यंत्र

विक्रय की संख्या

(१)	हाथ से प्रयोग किये गये	४६७
(२)	बैलों से प्रयोग किये गये	९४

८—खादें

(१)	क्षेत्र जो सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग से सुधारा गया	२७३६ एकड़
(२)	खाद का विक्रय	४०,९३५ मन

९—पशुपालन

(१)	बधिया किये गये सांड़ों की संख्या ..	१,२८८
(२)	टीके लगाये गये जानवरों की संख्या ..	७,८५९०
(३)	चिकित्सा किये गये जानवरों की संख्या ..	९,३७९
(४)	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोला गया ..	१
(५)	उन्नतशील पशुओं के लिये ऋण दिया गया	३१,५०५ रु०
(६)	वितरित की गई गायों की संख्या ..	७६
(७)	वितरित की गई भैंसों की संख्या ..	७

१०—व्यक्तिगत या संस्था के लिये अनुदान

		रु०	आ०	पा०
(१)	फुट पाथ पर	२४,४४४	८	०
(२)	बकरियों की संख्या	१३		
(३)	पशु-प्रदर्शनियों की संख्या	३८		

११—कुटीर उद्योग धंधे

(१)	प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या	३०

विधान सभा

१२—स्वास्थ्य एवं सफाई

(१)	पानी पीने के पक्के कुओं का निर्माण ..	२९३
(२)	पुराने कुओं का जीर्णोद्धार	४८२
(३)	हाथ के नल दिये गये ..	२१
(४)	पक्की नाली निर्माण	१८,३७६ गज
(५)	गांव में किये गये सफाई आंदोलनों की संख्या ..	३३७
(६)	चेचक के टीके लगाये गये (संख्या) ..	३९,२९५
(७)	हैजा के टीके लगाये गये (संख्या) ..	७,९०७
(८)	बी०सी० जी० के टीके लगाये गये (संख्या) ..	७००
(९)	औषधि पेटिका दी गई	९
(१०)	प्रथम सहायता पेटिका दी गई	१
(११)	दाइयों का प्रशिक्षण	८
(१२)	स्वास्थ्य प्रदर्शनी	१३

१३—शिक्षा, समाज शिक्षा एवं सामुदायिक भवन

(१)	पुस्तकालय, वाचनालय एवं सूचना केन्द्रों की संख्या	१११
(२)	रेडियो दिये गये (संख्या)	१४
(३)	चल-चित्र प्रदर्शन	१३७
(४)	आयोजित किये गये मेले	५
(५)	पाठशाला एवं पंचायत घरों की संख्या ..	३–(१२ अधूरे)
(६)	गांधी चबूतरे	२२
(७)	पाठशालायें	१४–(१६ अधूरे)

१४—हरिजन कल्याण

(१)	मकानों को सहायता दी गई	१५
(२)	कुओं को सहायता दी गई	३८
(३)	अनुदान दिया गया	८,०५० रु०
(४)	प्रौढ़ पाठशाला में शिक्षा पाने वाले हरिजनों की संख्या	२५६

१५—पंचायत

(१)	अदालत पंचायत द्वारा तय किये गये मामलों की संख्या	१,८४७
(२)	पंचायत कर वसूली	रु० ४३,२६९ आ० ११ ०

१६—सहकारिता

(१)	प्रारंभिक समितियां आयोजित कीं ..	९२
(२)	सदस्य भर्ती किये	३,५३०
(३)	संघ आयोजित हुये	५
(४)	सहकारी भट्टे	४
(५)	नवीन सहकारी बीज भंडार खुले ..	४
(६)	खाद विक्रय	१६,२२२ बोरे
(७)	ईंट विक्रय	७९२६,०७२
(८)	सीमेंट विक्रय	१,१८८ बोरे
(९)	बीज दिया गया	१६,२४१ मन
(१०)	इमारत बनी	२

१७—प्रान्तीय रक्षक दल

(१)	रक्षक भर्ती किये गये	२५०
(२)	हल्का सरदार	८१
(३)	विकास कैम्प आयोजित	४

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में उन काश्तकारों की सूचना जिनकी भूमि खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत १९५६ में एक्वायर की गई।

सिगाही खुर्द

१--- श्री कलवन्त सिंह पुत्र साधू सिंह इत्यादि निवासी देह।
२--- ,, जुडावन पुत्र राम चरन निवासी देह।
३--- ,, छेदी पुत्र फर्जा निवासी देह।
४--- ,, तोता पुत्र बुद्धा निवासी देह।
५--- ,, दुजई पुत्र टीका निवासी देह।
६--- ,, नजीर खां पुत्र गोबर निवासी देह।
७--- श्रीमती मालविन्दाकर पुत्री जगदयाल सिंह निवासी देह।
८--- श्री जगेंद्र सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी देह इत्यादि।
९--- ,, लाभ सिंह पुत्र केहर सिंह ,, ,, ,,।
१०---,, सम्भर पुत्र गोबरे निवासी देह
११---,, हरिविन्द सिंह पुत्र सुचासिंह पिसरान हरनाम सिंह नि० देह।

सेमरी-ग्राम

१२--- श्रीमती लक्षा कुमारी स्त्री भगवती प्रसाद खेतान निवासी नं० १३ कुहन्स, कलकत्ता

ग्राम पेडिहा

१३--- श्री सुरेंद्रसिंह पुत्र सुरेषु सिंह नि० पटियाला।
१४--- ,, सुरेंद्र कौर पुत्री साधू सिंह नि० पटियाला।
१५---श्रीमती नरेंद्रकौर पुत्री साधू सिंह निवासी पटियाला।
१६---श्री बलवन्ता सिंह पुत्र साधू सिंह।
१७---सरदार सन्तोष सिंह पुत्र किशुन।

ग्राम---मंझरा पच्छिम

१८---श्री शिवनन्दपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह नि० पटियाला।
१९---श्रीमती जोगेंद्र कौर पत्नी जगपाल सिंह पटियाला।
२०---,, जराखन पुत्र काशी राम नि० सिंगाही।

ग्राम-बहादुर नगर

२१---श्रीमती सावित्री देवी झझंरिया पत्नी श्री नन्दकिशोर नि० शुक्ला रोड, कलकत्ता।

ग्राम---सुमेरपुर

२२---श्रीमती जगोत्रा कुमारी वेवा दुर्गपाल सिंह व बाल कुमार सिंह शंकर सिंह पुत्र मोम सिंह।
२३---नावालिगान वविलायत सुभद्रा कुमारी मादर खुद सों मेड़ोरा।
२४---श्री देवी प्रसाद मालविया पुत्र सदाशिव मालविया नि० कानपुर।

ग्राम—मुरार खेडा

२५—आत्मासिंह पुत्र नानक सिंह निवासी देह ।
२५—करनल सिंह पुत्र वरम सिंह निवासी देह ।
२७—चन्दन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी देह ।
२८—जरनेल सिंह पुत्र धरमसिंह ।
२९—जागीरसिंह पुत्र धरमसिंह नि० देह ।
३०—जीता सिंह पुत्र पंचमन सिंह निवासी देह ।
३१—नीतसिंह पुत्र दर्शन सिंह व दलवीर सिंह तथा गुरुवचन सिंह व जुगेन्द्रसिंह नावालिग पिसरान ।
३२—नत्थासिंह व वलायत इन्द्र कौर ग्राम वासी ।
३३—श्रीमती नन्द कौर स्त्री हीरा सिंह निवासी देह ।
३४—नदमसिंह पुत्र फकारसिंह निवासी देह ।
३५—नारसिंह पुत्र हीरासिंह नि० देह ।
३६—पालसिंह पुत्र हरनामसिंह नि० देह ।
३७—प्यारासिंह पुत्र उधमसिंह नि० देह ।
३८—फम्मनसिंह पुत्र जीवनसिंह निवासी देह ।
३९—श्रीमती किश्न पत्नी वेदावासिंह निवासी देह ।
४०—वन्तासिंह पुत्र फेजासिंह निवासी देह ।
४१—वावरासिंह जैलसिंह व करनैलसिंह व इन्द्रसिंह पुत्र आत्मासिंह नि० देह ।
४२—बुधई पुत्र मुन्ना निवासी सिंगाही खुर्द ।
४३—बूटासिंह पुत्र आत्मासिंह नि० देह ।
४४—श्रीमती माना विधवा ईश्वर सिंह निवासी देह ।
४५—मथुरा पुत्र गजोधर निवासी ग्राम सिंगाही ।
४६—मकवनसिंह पुत्र पूरन निवासी देह ।
४७—सूरजसिंह पुत्र बूटासिंह निवासी देह ।
४८—सुरेंद्रसिंह पुत्र साधूसिंह नि० देह ।
४९—हजारीसिंह पुत्र पूरनसिंह निवासी देह ।
५०—हरनामसिंह पुत्र पूरनसिंह निवासी देह ।

ग्राम—विकमवन

५१—अर्जुनसिंह पुत्र वाधासिंह नि० ग्रामवासी ।
५२—अमरसिंह पुत्र भगतसिंह निवासी ग्रामवासी ।
५३—श्रीमती इन्द्रकौर जौजे शेरसिंह निवासी देह ।
५४—इन्द्रसिंह पुत्र सोनासिंह निवासी देह ।
५५—इन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी देह ।
५६—मु० इन्द्रकौर जोजा विगाडिया प्रीतमसिंह निवासी ग्रामवासी ।
५७—उजागरसिंह पुत्र रालिया सिंह निवासी देह ।
५८—करतासिंह पुत्र शेरसिंह निवासी देह ।
५९—करतारसिंह पुत्र सरदारसिंह निवासी देह ।
६०—सरदार करन सिंह नाबालिग पुत्र विगाडिया प्रीतमसिंह निवासी देह ।
६१—गुरनामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासी देह ।
६२—गुरुदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह नि० देह ।
६३—गंदासिंह पुत्र सामसिंह नि० देह ।
६४—गुरुदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह नि० देह ।

६५—जसवन्तसिंह पुत्र सरदार सिंह नि० देह।
६६—जोरासिंह पुत्र सरदार सन्तासिंह नि० देह।
६७—दलीपसिंह पुत्र सरदार अर्जुनसिंह नि० देह।
६८—निगोरासिंह बैसराव पुत्र श्यामसिंह नि० देह।
६९—प्रीतमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह।
७०—विगाडिया प्रीतमसिंह पुत्र सरदार किशुनसिंह नि० देह।
७१—बख्शी सिंह पुत्र रतनसिंह नि० देह।
७२—बचनसिंह पुत्र शेरसिंह नि० देह।
७३—बोटासिंह पुत्र श्यामसिंह नि० देह।
७४—बचनसिंह पुत्र सरवन सिंह नि० देह।
७५—मेजरसिंह मिठसिंह पुत्र लालसिंह नि० देह।
७६—मिलकियतसिंह पुत्र करतारसिंह नि० देह।
७७—सोहनसिंह पुत्र मग्गरसिंह निवासी देह।
७८—सरवनसिंह पुत्र सुनहरसिंह नि० देह।
७९—हरि किशुन सिंह व अमरसिंह पुत्र लालसिंह व केवलसिंह व स्वरूप सिंह पुत्र बन्तासिंह निवासी देह
८०—हजारासिंह पुत्र उमरावसिंह निवासी देह।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५९ एल० ए०—१९५७—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा